लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-15, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1969/17श्रावण, 1891 (शक)
No.-15, Friday, August 8, 1969/Sravana 17, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
421	भारतीय साम्यवादी दल द्वारा लाल रक्षक दल का पुनःगठित किया जाना	Revival of CPI Red Guards	1--8
422	कृषकों के लिए मौसम सम्बन्धी भविष्य वाणी की व्यवस्था	Weather Forecasting for Agriculturists ...	8--12
423	तीसरी योजना में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान	Industrial and Scientific Research in the 3rd Plan ...	12--16
424	देश द्रोह विषयक विधि का अधिनियम	Enactment of Law on Treason	16--18
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.			
425	विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं में विधि शिक्षा	Teaching of law in universities in Indian Languages	19--20
426	खान अब्दुल गफ्फार खां को नेहरू पुरस्कार	Nehru Award for Khan Abdul Ghaffar Khan	20
427	भारी वर्षा के कारण नेफा में सड़क संचार का बन्द होना	Suspension of Road Communications in NEFA due to Heavy Rains	20--21

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
428	विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by workers of Hindustan Shipyard Ltd. at Visakhapatnam	21--22
429	पंजाबी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार	Extension of Jurisdiction of Punjabi University	22--23
430	कर्मचारी-प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC's Report on Personnel Administration	23
431	एयर इण्डिया द्वारा एंग्लो-फ्रेंच सुपर सौनिक एयर लाइन कनकार्ड' की खरीद	Purchase of Anglo French Supersonic Air-liner Concord by Air India	23
432	हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा	Statehood for Himachal Pradesh	24
433	केरल में मुस्लिम बहुल जिला	Muslim Majority District in Kerala ...	24--25
434	दिल्ली में कालेजों की प्रबन्ध व्यवस्था	Administration of Colleges in Delhi ...	25
435	छोटा नागपुर और सन्थाल परगाना में सड़क परिवहन का विकास	Development of Road Transport in Chhotanagpur and Santhal Parganas	25--26
436	अन्दमान तथा अन्य द्वीपों में राष्ट्र विरोध गतिविधियां	Anti-National activities in Andaman and other Islands	26
437	दिल्ली में बिक्री कर	Sales Tax in Delhi	26--28
438	काश्मीर का भारत संघ के साथ पूर्ण विलय	Complete integration of Kashmir with Union of India	28
439	शिक्षा मन्त्रालय में हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Correspondence in Hindi in Education Ministry	28--29
440	राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commissaion for Reorganisation of States	29

तां. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
441	छोटा नागपुर में सी० आई० ए० की गतिविधियां	CIA Activities in Chhotanagpur	29--30
442	गुजरात राज्य में सड़क विकास कार्यक्रम	Road Development programme in Gujarat State	30--31
443	दिल्ली के अध्यापकों की मांगें	Demands of Delhi Teachers	31
444	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मान्यता से वंचित किये गए कर्मचारी संघों को मान्यता देना	Recognition of Unions derecognised for Participation in 19th Sept. 1968 Strike ...	31
445	पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का वापस बुलाया जाना	Withdrawal of CRP from West Bengal ...	32
446	उत्तर प्रदेश में दंगे	Riots in Uttar Pradesh ...	32--33
447	लद्दाख का विकास	Development of Ladakh	33--34
448	पटना के निकट सम्बलपुर में गंगा पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Ganga at Sambalpur near Patna	34--35
449	देशबन्धु कालेज, दिल्ली में अनियमितताएं	Irregularities in Deshbandhu College, Delhi	35--36
450	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा पांच पायलट परियोजनाओं का शुरू किया जाना	Launching of Five Pilot Plant Projects by CSIR	36
अतां. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.			
2721	दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को परेशान किया जाना तथा उनका शोषण	Harassment and exploitation of Foreign Tourists in Delhi	36--37

2722	मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन	Anti Hindi Agitation in Madras	37
2723	राष्ट्रीय एकता के लिए एक लिपि	Common Script for National Integration ...	37
2724	गांधी तथा गालिब शताब्दी समारोहों के लिए चन्दा	Donations for celebration of Gandhi and Ghalib Centenaries	38--39
2725	पुरातत्वीय वस्तुओं आदि की विदेशों को तस्करी	Smuggling out of ANTIQUES	39
2726	विदेशी पर्यटकों से धोखा-घड़ी	Cheating of Foreign Tourists ...	40
2727	भारत में पर्यटक	Tourists in India	40--41
2728	भारत-हंगरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान-प्रदान	Hungarian Cultural Exchange Programme...	41
2729	जयपुर में 'वेनर फॉरेन्सिक अनुसंधान संस्थान' के निदेशक श्री रमेशचन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी	Arrest of Dr. Ramesh Chandra Sharma Director of Weiner forensic Research Foundation at Jaipur	41--42
2730	स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व रियासतों में प्रयुक्त भाषा	Language used in Princely States before Independence ...	42
2731	चण्डीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं की कमी	Shortage of Essential Commodities in Chandigarh	42
2732	पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर का अवकाश का बढ़ाया जाना	Extension of leave to Shri Dharma Vira, Governor of West Bengal	43
2733	महिला न्यायाधीशों की संख्या	Number of women Judges	43
2734	दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Pending cases in Delhi Courts	43--45

2735	दिल्ली के क्रान्तिकारियों के लिए स्मारक	Memorial for Delhi Revolutionaries	45--46
2736	संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट	ARC Report on Union Territories	46
2737	नई दिल्ली में जनगणना अधीक्षकों का सम्मेलन	Conference of Superintendents of Census operation held in New Delhi	46--47
2738	उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के मन्दिर की खुदाई	Excavation of Gupta Period Shrine in U.P.	47
2739	चौथी पंच वर्षीय योजना में पर्यटन के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for tourism during Fourth Plan	47--49
2740	पर्यटन विभाग के प्रबन्धाधीन होटल	Hotels managed by the Department of Tourism	49
2741	अशोका होटल्स लिमिटेड नई दिल्ली का रिवाल्विग टावर	Revolving tower of Ashoka Hotel Ltd. New Delhi	49--50
2742	मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के नियमों का दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होना	Applicability of Central Rules Reg. merger of DA with Pay to Delhi Administration Employees	50--51
2743	फरीदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन पर किया गया सरकारी व्यय	Government expenditure incurred on AICC Session at Faridabad	51
2744	राष्ट्रीय संग्रहालय संबंधी रंधावा समिति का प्रतिवेदन	Report of Randhawa Committee on National Museum	51--52
2745	सड़क परिवहन का विकास	Development of Road Transport	52

2746	छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Chotanagpur and Santhal Parganas ...	52--53
2747	आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की गतिविधियां	Naxalites' Activities in Andhra Pradesh ...	53
2748	ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु वस्तुओं का धर्म परिवर्तन के लिए दुरूपयोग	Misuse of articles meant for free distribution for proselytisation by Christian Missionaries ...	54
2749	भारत सुन्दरी का चुनाव	Selection of Miss India	54
2750	भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting India	55
2751	भारतीय युवकों में आध्यात्मिक ज्ञान की अभिलाषा	Spiritual Hunger of Youngmen in India ...	55--56
2752	मृत्यु दण्ड समाप्त करना	Abolition of Death Sentence	56--57
2753	उपूसी में चीन समर्थक तत्वों की गिरफ्तारी	Arrest of Pro-Chinese elements in NEFA ...	57
2754	अंग्रेजी को जारी रखने की समय सीमा	Time limit for continuance of English ...	57
2755	पब्लिक स्कूलों में शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति की क्रियान्विति	Implementation of National policy on education in Public Schools	57--58
2756	हिन्दी में किये गए करार	Agreement concluded in Hindi	58--59
2757	शिक्षा मन्त्रालय में हिन्दी के सम्बन्ध में जारी किये गए आदेश	Orders regarding use of Hindi in Education Ministry	59--60
2758	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क का बढ़ाया जाना	Raising of registration fee under Copyright Act	60--61

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2759 केन्द्रीय सचिवालय सेवा का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of CSS	61
2760 भारत में विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries in India	68--62
2761 उप राज्यपाल दिल्ली को लिखे गए पत्रों पर कार्यवाही	Action on letters addressed to Ltd. Governor, Delhi	62--63
2762 विधेयकों का हिन्दी में पुरःस्थापन	Introduction of Bills in Hindi	63
2763 आम चुनावों में प्रयोग किया गया विदेशी धन	Foreign Money used in General Election ...	64
2764 'पंजाब यूनिवर्सिटी' के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच मतभेद	Differences between Union Government and Punjab Government regarding Punjab University	64
2765 ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries	65
2766 गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथ की सम्पर्क लाइनें	Link lines of Coastal Highway in Gujarat State	65--66
2767 चौथी योजना में समाज सेवा तथा खेलों की व्यवस्था	Provision for Social Service and Sports in Fourth Plan	66--67
2768 बाल पुस्तक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों का चयन	Production of Books by National Book Trust	67
2769 पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर	Employment opportunities for Educated people	68--69
2770 वेतन के दिन हिन्दुस्तान शिप यार्ड के 1500 कर्मचारियों को उनका ऋण काटने के बाद वेतन न दिया जाना	No payment made to 1500 workers of Hindustan Shipyard on pay day after deduction of their loans	69

2771	विशाखापटनम बन्दरगाह का विस्तार करने का प्रस्ताव	Proposal to expand Visakhapatnam Port. ...	69--70
2772	युवकों में अनुशासनहीनता	Indiscipline Amongst Youth	70
2773	पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Statement made by Deputy Chief Minister of West Bengal	71
2774	दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानि	Losses suffered by DTU	71--72
2775	उत्तर प्रदेश में चिरोली के संत के भाषण	Lectures by Chirauli Sant in U. P.... ...	72
2776	धार्मिक पुस्तकों से पाठ पढ़ाया जाना	Teaching of lessons from religious books ...	72--73
2777	राष्ट्रीय एकता परिषद समिति प्रतिवेदन	Report of Committee of National Integration Council	73--74
2778	दिल्ली में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Meeting of students' representatives in Delhi ...	74
2779	छपरा से बुयार और बुयार से राजमोल के लिए गंगा नदी स्टामर सेवा	Steamer service in Ganga from Chapra to Buyar and Buyar to Rajmautal	74--75
2780	आसाम पुनर्गठन विधेयक	Assam Reorganisation Bill	75
2781	पालम हवाई अड्डे के लिए एक नया धावन पथ बनाने का सुझाव	Suggestion for new runway for Palam Airport	75--76
2782	विज्ञान तथा टैक्नोलोजी सम्बन्धी कर्मचारियों और विचारों के आदान प्रदान के लिए रूस के साथ करार	Agreement with USSR for exchange of personnel and ideas relating to Science & Technology	76
2783	पन्त पॉलिटैक्निक के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to students of Pant Polytechnic	76--77

2784	अयोध्या में पुरातन समाधियों का संरक्षण	Protection of ancient samadhis in Ayodhya	77
2785	नौवहन के नए मार्गों सम्बन्धी उप समिति का प्रतिवेदन	Report of sub-committee on New Shipping routes ...	77
2786	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय भारतीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली	Lal Bhadur Shastri Rashtriya Bhartiya Sanskrit Vidyapeeth, Delhi	78
2787	हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Himachal Pradesh Manipur and Tripura	78
2788	भारत में निरक्षरता	Illiteracy in India	78--80
2789	भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में रंगे हाथ पकड़े गए व्यक्ति	Persons caught red-handed by Anticorruption Officials in Union Territories	80
2790	राज्यों का पुनर्गठन	Reorganisation of States	80
2791	उत्तर प्रदेश में कालेजों और स्कूलों में विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) में वृद्धि	Increase of Tution Fee of Students in Schools and Colleges in U. P.	81
2792	चण्डीगढ़ का भविष्य	Future of Chandigarh	81--82
2793	हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Himachal Pradesh	82
2794	चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति	Chandigarh Local Advisory Committee ...	82--83
2795	सरकारी कालोनियों की कल्याण संस्थाओं को अनुदान	Grants to Welfare Associations in Government Colonies	83--84
2796	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्तियां तथा पदोन्नतियों के सम्बन्ध में समिति	Committee to deal with appointments and promotions in various laboratories ...	84

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2797	लद्दाख में पाकिस्तान के एजेंट	Pak. Agents in Ladakh	84
2798	दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग का प्रतिवेदन	Khosla Commission Report on Delhi Police	84--85
2799	दिल्ली में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Delhi	85
2800	केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का पुनः केन्द्रीयकरण	Recentralisation of Central Secretariat Service	85--86
2801	फरीदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मंत्रियों द्वारा स्टाफ कारों का प्रयोग	Use of Staff cars by Ministers at Faridabad Congress Session	86
2802	कलकत्ता से पटना के लिए गंगा नदी में स्टीमर सेवा	Steamer service in River Ganga from Patna to Calcutta	86
2803	विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने की योजना	Scheme for inculcating spirit of nationalism among students	86--87
2804	उड़ीसा में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Orissa...	87
2805	शिक्षा निदेशकों का सम्मेलन	Conference of Directors of Education ...	87--88
2806	28 जून, 1969 को दिल्ली से हैदराबाद तक उड़ान संख्या 403	Shaky Flight No. 403 from Delhi to Hyderabad on 28th June, 1969	88
2807	बेरोजगार इंजीनियर और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति	Unemployed Engineers and diploma Holders	88--89
2808	अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक समारोहों के उद्घाटन के लिए निमंत्रणों का स्वीकार न किया जाना	Non-acceptance of invitations by Officers for inaugurating public functions	89

2809	राष्ट्रपति भवन में स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन को मिले हुए शयन कक्ष के फर्नीचर का जामिया मिलिया इस्लामिया को दिया जाना	Handling over of bed room furniture provided to late President Dr. Zakir Hussian at Rashtrapati Bhawan to Jamia Milia Islamia	90
2810	नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	Nehru University, New Delhi	90--91
2811	धनाबाद जिले के निकट पाई गई पैराशूट	Parachute found near Dhanbad District ...	91
2812	सिल्वर तथा कलकत्ता के बीच विमान दुर्घटना	Plane crash between Silchar and Calcutta	91--92
2813	राज्यों में नजर बन्द व्यक्ति	Detenus in States	92
2814	इंदौर में हवाई पट्टी	Airstrip at Indore ...	92
2815	मध्य प्रदेश में राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh —	92--93
2816	मणिपुर में पाकिस्तानी शस्त्रों का मिलना	Pak arms unearthed in Manipur ...	93
2817	स्वाधीनता दिवस को काम का दिन घोषित करने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Administrative reforms commission recommendation on declaring independence Day as a working day	94
2818	भारत में पर्यटक यातायात में कमी	Decline in Tourist Traffic to India	94--95
2819	दिल्ली उच्च न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार	Pecuniary Jurisdiction of Delhi High Court	95
2820	राज्यों को और अधिक शक्तियां देना	Granting of more powers to States... ...	95
2821	पोनी (महाराष्ट्र) में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Surveys at Pauni (Maharashtra)	96

2822	प्रपत्रों को हिन्दी तथा अंग्रेजी में छापना	Printing cf Forms in Hindi and English ...	96--97
2823	भारत में विदेशियों की गिरफ्तारियां	Arrest of foreigneers in India	97
2824	मऊनाथ भंजन घटना के बारे में न्यायिक जांच की मांग	Demand for Judicial Enquiry into Maunath Bhanjan Incident	97
2825	केरल में पाकिस्तान समर्थक नारे	Pro-Pak. Slogans in Kerala	97--98
2826	मजदूर सेवा दल	Mazdoor Sewa Dal	98
2827	मध्य प्रदेश में रजिस्टर किये गए पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals registrered in M. P. ...	98
2828	मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistanies in Madhya Pradesh	98--99
2829	भारत-फारस की खाड़ी मार्ग पर कार्य कर रही चलने वाली जहाजरानी कम्पनियों का सम्मेलन	Conference of Shipping Lines plying on India Persian Gul route	99
2830	दमदम हवाई अड्डे के समीप रहने वाले परिवारों के लिए जल का प्रबन्ध	Water arrangement for families living near Dum Dum Airport	99--100
2831	बम्बई और दिल्ली में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे होटल	Hotels run by Indian airlines corporation in Bombay and Delhi	100
2832	केन्द्र द्वारा उत्तर बंगाल में सड़क संचार का विकास	Development of road cammunications in North Bengal	100
2833	गौहाटी में वर्तमान भवन के विस्तार अथवा नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव	Proposal for extension of the Existing Building or construction of new one at Gauhati	101

2834	आसाम की जनता की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में आसाम के राज्यपाल का भाषण	Assam Governor's speech regarding problems and Grievances of People of Assam ...	101
2835	इंदौर में दंगे	Indore Riots	101--102
2836	राष्ट्रीय योग्यता दल के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना	Implementation of National Fitness Corps programme	102--103
2837	पटना में गंगा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Ganga at Patna	103
2838	जहाज माल भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in shipping Freights Rates ...	103--104
2839	इन्जीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance to Engineering Graudates and Diploma Holders ...	104--105
2840	विशेष पुलिस संगठन द्वारा मैसर्स एपीजे एण्ड कम्पनी के विरूद्ध जांच	SPE Enquiry against M/s. Apeejay and Co.	105
2842	प्रधान मन्त्री तथा गृह-कार्य मंत्री द्वारा हैदराबाद का दौरा	Prime Minister's and Home Minister's visit to Hyderabad	105--106
2843	नई दिल्ली की एक गृहनिर्माण फर्म द्वारा फरीदाबाद में रिहायशी प्लाट देने के लिए धन का संग्रह	Collection of money by a New Delhi Housing firm for giving residential plots at Faridabad	106--107
2844	व्यापारी समुद्री जहाजों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में तकनीकी समिति	Technical committee on training facilities for officers of Merchant Navy ...	107
2845	रेल नौवहन समन्वय समिति	Rail Sea Coordination Committee ...	107--108

2846	भारतीय तटवर्ती नौवहन को जहाजों की मरम्मत संबंधी सुविधाएं प्रदान करना	Ship repair facilities to Indian coastal shipping ...	108
2847	कन्नानूर (केरल) में एयोमलाई का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Ezhimalai in Cannanore (Kerala) as Tourist Centre	108--109
2848	पैराशूटों का पकड़ा जाना	Seizure of parachutes	109
2849	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नौ टन भार के निर्धारित लक्ष्य की अपूर्णता	Target of Shipping Tonnage fixed since independence not achieved ...	109--110
2850	दिल्ली के एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट के विरूद्ध निन्दात्मक टिप्पणी	Strictures against an Honorary Magistrate of Delhi	110
2851	पंजाब हरयाना क्षेत्रिक विवाद के बारे में आन्दोलन	Compaign over Punjab Haryana Territorial Dispute	110--111
2852	डमडम हवाई अड्डे पर पानी की कमी	Water shortage at Dum Dum Airport ...	111
2853	लन्दन में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की योजना	Plan to start a Cultural Centre in London	111--112
2854	एयर इण्डिया द्वारा बोइंग विमान खरीदने का निर्णय	Decision by Air India to purchase Boeing planes	112
2855	नई दिल्ली में केन्द्रीय जांच विभाग की गोष्ठी	C. B. I. Symposium in New Delhi ...	112--113
2856	पुलिस की हिरासत में गोआ के एक साम्यवादी नेता की मृत्यु	Death of Goa communist leader in Police Custody	113--114
2857	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 2 के निवासी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कल्याण संस्था	Class IV Employees' Residents' Welfare Association, Sector II, R-K. Puram, New Delhi	114--115

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2858	दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में पर्यटक विकास पर खर्च	Expenditure on Development of Tourism during Second and Third Plans ... 115
2859	दिल्ली में मस्जिदों को गिराए जाने का आरोप	Alleged Demolition of Mosques in Delhi 115--116
2860	कलकत्ता में गैर बंगाली व्यापारी समाज के बीच तनाव	Tension in Calcutta amongst non-Bengals Business Community 116
2861	गुजरात-राजस्थान क्षेत्रीय विवाद	Gujarat Rajasthan Territorial Dispute ... 116--111
2862	लन्दन में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centre in London ... 117
2863	हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण	Construction of Second Bridge over Hooghly 117--118
2864	अफगानिस्तान और भारत के बीच वैज्ञानिक सहयोग का कार्यक्रम	Scientific cooperation programme with Afganistan ... 118
2865	अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग तथा राकेट्री में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post Graduate Course in space Engineering and Rocketry 118--119
2866	कल्याण संस्थाओं की कल्याणकारी कार्यवाहियां	Welfare activities of welfare associations 119--120
2867	सीमावर्ती क्षेत्रों में कुओं में पाकिस्तानियों द्वारा विष डालना	Pakistanis throwing poison in wells on borders 120
2868	5 जून, 1969 को मौनसून के आने पर सांताक्रूज हवाई अड्डे पर अव्यवस्था	Chaos at Santa Cruz Airport on the inlet of Monsoon on 5.6.69 120--121
2869	केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Centre-State Relations ... 121

2870 उड़ीसा के फूलबानी जिले में रहस्यमय वस्तुओं का पाया जाना — Mysterious objects found in Phulbani District Orissa ... 121--122

2871 राहत कार्यों के लिए नियत धन का दुरूपयोग — Alleged Misuse of Relief Funds 122

2872 दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए धन के आवंटन में कटौती — Cut in Allocation of funds for DTU 122

2873 दिल्ली में हिसार की एक महिला का कथित अपहरण — Alleged abduction of Hissar Woman in Delhi 122--123

2874 भारत और पोलैंड में वैज्ञानिक सहयोग — Scientific cooperation between India and Poland 123--124

2875 हंगरी के साथ वैज्ञानिकों की अदला-बदली संबंधी कार्यक्रम — Scientists Exchange programme with Hungary 124

2876 बलगारिया के साथ वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम — Scientific cooperation Programme with Bulgaria 124--125

2877 अंग्रेजी के आशुलिपिकों की कमी — Shortage of English Stenographers ... 125--126

2878 बिहार के सहायता प्राप्त कालेजों में छात्रों का प्रवेश — Admission of Students in Aided Colleges in Bihar 126

2879 मुस्लिम सेना बनाया जाना — Formation of muslim Sena 126

2880 हिमाचल प्रदेश में लगाए गए पंजाब के अधिकारी — Officers allocated from Punjab to Himachal Pradesh 127

2881 पंजाब विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कम किया जाना — Curtailment of jurisdiction of Punjab University 127--128

2882 लद्दाख में मुस्लिम बहुल जिला बनाया जाना — Carving out a Muslim majority district in Ladakh 128

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
2883 क्षेत्रीय अनुसंधान शाला हैदराबाद में कोयला गैस परियोजना	Coal Gasification project at Regional Research Laboratory, Hyderabad ...	129
2884 जर्मन लोकतंत्री गणराज्य में गांधी जन्म शताब्दी समारोह सम्बन्धी जर्मन भारत सोसाइटी द्वारा समिति का स्थापित किया जाना	Committee set up by German India Society for Gandhi Centenary Celebrations in Federal Republic of Germany ...	129--131
2885 डा० मालिक अब्बास की गिरफ्तारी	Arrest of Dr. Malik Abbas	131
2886 दिल्ली में घेराव	Gheraos in Delhi	131--132
2887 विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned from Foreign Tourists	132
2888 जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा लिया जाने वाला पथकर	Road Toll Tax collected by J&K Government	133
2889 विद्रोही कुकी और मिजो लोगों द्वारा भर्ती	Recruitment by Kuki and Mizo Rebels ...	133
2890 वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology	133--134
2891 महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें	University Grants Commission's re. commendations regarding revision of Pay Scales of University Teachers of Maharashtra	134
2892 केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु और वेतनमान को एक समान करना	Uniform retirement age and scale of pay rules for Centre and States	135

2893 भारत-नेपाल सीमा पर बिहार में राष्ट्रीय राज पथ — National Highways in Indo-Nepal border in Bihar 135--136

2894 भारत में चीनी और पाकिस्तानी जासूस — Chinese and Pak spies in India 136--137

2895 प्राचीन तथा बहुमूल्य कला वस्तुओं को भारत से चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना — Smuggling out of valuable antiques and art objects 137

2896 होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों (मध्य प्रदेश) में प्राचीन स्मारक — Ancient monuments in Hoshangabad and Narsinghpur Districts (Madhya Pradesh) 137--138

2897 विदेशों में भारतीय मूर्तियों, कांस्य मूर्तियों, छोटे कला चित्रों और कला कृतियों आदि की प्रदर्शनी — Exhibition of Indian Sculptures, Bronzes, miniature art paintings and pieces etc. abroad 138

2898 एकात्मक सरकार — Unitary form of Government ... 138--139

2899 एम० ए० का पत्राचार पाठक्रम — Correspondence course in M.A. 139--140

2900 "भाई एक्सपेरीमेंट' विद ट्रुथ नामक पुस्तक — Book on 'My Experiments with Truth' 140

2901 दुर्गापुर में गोली चलने की दुर्घटना — Durgapur firing incident 140

2902 कलकत्ता में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि — Land for construction of CRP Headquarters at Calcutta 141

2903 गुब्बारों द्वारा आसाम में चीनी इश्तहार छोड़े जाना — Chinese pamphlets in Assam through balloons 141--142

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.			
2904	भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री बी. पी. सिन्हा को पेंशन दिया जाना	Pension to Shri H. P. Sinha, former Chief Justice of India	142
2905	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	National policy on Education	142--145
2906	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि	Rise in road accidents in Delhi	145--146
2907	राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए दी गई सामग्री	Material supplied for construction of National Highways ...	146
2908	आसाम में विदेशी धर्म-प्रचारक	Foreign Missionaries in Assam	146--147
2909	दिल्ली के ईदगाह क्षेत्र में मस्जिदों का कथित गिराया जाना	Alleged demolition of Mosques in Idgah area, Delhi ...	147
2910	उड़ीसा में सर्वेक्षण और खुदाई कार्य	Survey and Execuvation work in Orissa ...	147--148
2911	उड़ीसा में पर्यटकों के लिए परिवहन तथा अन्य सुविधाएं	Transport and other facilities for tourists in Orissa	148--149
2912	शिक्षा तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने सम्बन्धी समिति के बारे में कार्यवाही सारांश रिकार्ड करने में अनियमितताएं	Irregularities in recording minutes re. Committee on Education and student particpation	149
2913	ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास इंजीनियरी डिप्लोमा धारी व्यक्ति	AMIE qualified engineering diploma Holders	149
2915	संविधान विरोधी नारे	Anti Constitution slogans	149--150
2916	संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता	Code of conduct for Members of Parliament	150

2917 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य-संचालन के बारे में एक संसद सदस्य का पत्र	Letter from Member of Parliament regarding functioning of Indian Airlines Corportion	150--151
2918 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों के सम्बन्धियों की उच्च पदों पर नियुक्ति के बारे में शिकायतें	Complaint regarding appointment of relatives of officers of IAC on high positions ...	151
2919 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में काम करने वाले मेहतरों की सुविधाएं	Amenities to sweepers working in Indian Airlines ...	151
2920 स्वर्णरेखा नदी (उड़ीसा) पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over River Subernarekha (Orissa)	152
अध्यक्ष का निर्वाचन	Election of the Speaker ...	152
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ...	152
श्री रंगा	Shri Ranga	152-153
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	154-155
श्री अंबाजागन	Shri Anbazhagan	155
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	155--156
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	156--157
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	157
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	157--158
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	158
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh ...	159
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	159--160
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	160
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	160
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	160
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur	161
श्री मुहम्मद शरीफ	Shri Mohammed Sheriff ...	161
श्री यशपाल सिंह	Shri Yaspal Singh	161

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अध्यक्ष महोदय	Mr. Speaker	161--163
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	Re. Calling Attention Notice ...	161--164
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	163--165
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	165
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report ...	165
सभा का कार्य	Business of the House	165--166
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ...	166--167
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-Eighth Report ...	166--168
स्वर्ण नियन्त्रण (संशोधन) आध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा स्वर्ण नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक के निरनुमोदन	Statutory Resolution re. Disapproval of Gold control (Amendment) Ordinance and Gold Control (Amendment) Bill...	168--172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	168
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ...	168
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	170
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	171
श्री वेदव्रत बरूआ	Shri Bedabrata Barua ...	171
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced ...	171
(1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 2,4 आदि का (संशोधन) (श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा)	(1) The All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of section 2,4 etc.) by Shri George Fernandes	172
(2) धनकर (संशोधन) विधेयक, 1969 (नई धारा 16 क का रखा जाना) (श्री वेणी शंकर शर्मा का)	(2) The Wealth Tax (Amendment) Bill, 1969 (Insertion of new Section 16A) by Shri Beni Shanker Sharma ...	172
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक-वापस लिया गया	Code of Civil Procedure (Amendment) Eill-withdrawan	
(धारा 87 ख का हटाया जाना)(श्री नारायणरेड्डी का)	(Omission of Section 87B) by Shri M. N. Reddy	173

विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		...	173
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	...	...	174
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	...	...	175
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	...	...	176
श्री एस० कंडापन	Shri S. Kandappan	...	...	177
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar		...	177
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	...	...	178
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 4 80 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 4,80 etc.) by		...	185
(श्री शिवचन्द झा का)	Shri Shiva Chandra Jha	...	...	185
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	...	...	185
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	...	...	185
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	...	...	186
जापान को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	..	...	186
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	...	...	186
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	...	...	189

लोक--सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 8 अगस्त, 1969/17 श्रावण, 1891 (शक)
Friday, August 8, 1969/Sravana 17, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय साम्यवादी दल द्वारा लाल रक्षक दल को पुनःगठित किया जाना

+

*421 श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० वे० नायक :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० की० अमीन :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री दे० अमात

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 30 मई, 1969 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल ने अपने लाल रक्षक दल को लोक सेवा दल के एक भिन्न नाम से पुनः गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) लोक सेवा दल के उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसके पुनःगठन किये जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय साम्यवादी दल ने फरवरी, 1968 में पटना में हुई अपनी 8 वीं पार्टी कांग्रेस में जन सेवा दल नामक 5 लाख स्वयं सेवकों का एक दल बनाने का निर्णय किया । जन सेवा दल को बनाने का मुख्य प्रयोजन पार्टी को सुनियोजित तरीके से अपनी बैठकें, सम्मेलन, रैली तथा जलूस इत्यादि के संचालन में सहायता देना बताया जाता है । महामारी के दौरान सहायता करने के समान सामाजिक कार्य भी उनका एक उद्देश्य बताया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय साम्यवादी दल का स्वयं सेवक दल कानून के अधीन किसी दण्डनीय गतिविधि के लिए ध्यान में नहीं आया है ।

श्री क० प्र० सिंह देव : शब्दकोष में 'पैरा-मिलिटरी" शब्द का अर्थ "सेना का सहायक अंग" दिया गया है । मैं गृह कार्य मंत्री से यह जानना चहता हूं कि भारतीय साम्यवादी दल अथवा अन्य दलों के "पैरा-मिलिटरी" संगठनों को स्वतत्रता शक्ति के बाद देश में पनपने की अनुमति क्यों दी जाती है, जबकि एक मात्र सैनिक संगठन भारतीय स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना ही होनी चाहिये ? राजनीतिक दलों के नेताओं, जैसे कि श्री ज्योति बसु तथा श्री नम्बूदिरीपाद ने यह कहा बताते हैं कि वे संविधान को अन्दर ही अन्दर मे भग करेंगे । मैं आज के "इंडियन एक्सप्रैस" से कुछ अंश उद्धृत करने की अनुमति चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"केरल के मुख्य मंत्री का उत्तर एक चुनौती देने वाला ही नहीं अपितु प्रतिरोधी प्रकार का भी था । उन्होंने अपने पत्र में कहा बताते हैं कि वह एक राजनीतिक वक्तव्य था और उस पर विचार करने के लिये उनका दिल्ली आने का कोई इरादा नहीं है । उन्होंने केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री के मुख्य मंत्री को बुला भेजने के अधिकार को भी चुनौती दी है ।"

इन तथ्यों को तथा इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल या केरल में साम्यवादी दल के कुछ उग्रवादियों के स्वयसेवी संगठनों ने तीन दिन पहले आगजनी तथा लूटमार की थी और पश्चिम बंगाल में विधान सभा में जब पुलिस घुस आई थी तो श्री ज्योति बसु ने कहा बताते हैं कि उन्हें अपने आदमियों से सूचना मिली है कि कौन लोग पुलिस के दादा हैं और कौन लोग विधान सभा में प्रवेश करके आन्दोलन के लिये जिम्मेदार हैं, क्या मैं गृह कार्य मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या राजनीति दलों के ऐसे उत्तरदायी नेता तथा सरकार के सदस्य, जो पुलिस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये अपने आदमियों पर निर्भर करते हैं, "पैरा-मिलिटरी" संगठन या पुलिस के अन्दर पंचमांगी तत्व हैं ।

ऐसे संगठनों को पनपने देने में भारत सरकार ने क्या बुद्धिमता दर्शाई है, जबकि वे लुटमार और आगजनी कर रहे है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्यों ने प्रश्नों का गोरखधन्धा बना दिया है । मैं तो केवल एक ही प्रश्न देखता हूं कि क्या यह संगठन एक अर्द्ध-सैनिक संगठन है । मैं इसे

अर्द्ध-सैनिक संगठन नहीं समझता। अनेक अन्य राजनैतिक दलों के अपने स्वयंसेवी संगठन हैं। यदि ऐसे उचित प्रयोजनों के लिये भारतीय साम्यवादी दल अपना स्वयंसेवी संगठन रखना चाहता है। तो मैं इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं समझता हूं।

श्री क० प्र० सिंह देव : मैंने भारतीय साम्यवादी दल द्वारा एक स्वयंसेवी संगठन रखे जाने पर आपत्ति नहीं की है। यदि यह अर्द्ध-सैनिक सगठन नहीं है और गृह कार्य मंत्री इससे प्रसन्न हैं, तो मैं संतुष्ट हूं। (अन्तर्बाधाएं)

हाल में इन स्वयंसेवी सगठनों ने बड़ी गड़बड़ी पैदा की है और कुछ दिन पहले उन्होंने पुलिस थानों पर, जैसे तेल्लीचेरी और एल्सप्पी में, भी हमला किया था। इसलिये, ऐसे स्वयसेवी संगठनों को पनपने देने में क्या बुद्धिमता है जबकि वे तोड़फोड़, लूटमार, आगाजनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में सलग्न हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिन लोगों ने लूटमार और आगाजनी की है, उन पर अभियोग चलाये गये हैं। केरल सरकार ने भी उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। मैं उन्हें स्वयसेवी संगठन नहीं मानता।

श्री रा० की० अमीन : प्राय: सामान्य व्यक्ति को विभिन्न संगठनों तथा राजनैतिक दलों के बीच के सम्बन्धों की जानकारी नहीं होती। कलकत्ता में चीन समर्थक प्रदर्शन हुआ। ऐसे संगठनों को प्रयोग करके राजनैतिक दलों द्वारा ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और सत्तारूढ़ दल संगठनों के नाम पर उन्हें धन देते हैं। यद्यपि कोई संगठन देखने में स्वतंत्र मालूम होते हैं। परन्तु वास्तव में वह किसी दल का अंग ही होता है। इसलिये क्या सरकार ऐसे विभिन्न संगठनों और विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ उनके सम्बम्धों के बारे में सभा में पर्याप्त जानकारी देगी और क्या निश्चित रूप से यह बतायेगी कि क्या वह उन पर प्रतिबन्ध लगायेगी अथवा नहीं ताकि सरकार की नीति स्पष्ट हो जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि विभिन्न संगठनों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में जानकारी देना मेरे लिये संभव है, उनके बारे में केवल इतना ही अन्तर किया जा सकता है कि क्या वे सगठन हिंसा की कार्यवाही कर रहे हैं अथवा गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, उनका मापदण्ड उनकी गतिविधियां होती हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Are Government aware that in the States where communists or ther political parties have come into power, they have created parallel organisations so as to remain in power, and such organisations work just like police. This has happened in Kerala and West Bengal and where Jan Sangh was in power in Madhya Pradesh, trained volunteers of R. S. S. were recruited as sub-inspectors. Has it come to the notice of Government ?

Shri Atal Behari Vajpayee : It is incorrect.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां कहीं भी कोई राजनैतिक दल पुलिस आदि में अपने आदमियों को घुसेड़ते और विचारधारा का प्रभार करने का प्रयत्न कर रहा है, यह बहुत

खतरनाक बात है और ऐसी बातों के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। यह किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयसेवक का उल्लेख किया गया, तो श्री वाजपेयी ने कहा कि यह गलत है क्योंकि वे समझते हैं कि यह गलत है। यदि पश्चिम बंगाल अथवा केरल के बारे में ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो कुछ लोग खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि यह गलत है। इसलिए यह बात मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इतिहास इस बात का साक्षी है कि दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका तथा पड़ौसी देश बर्मा और पाकिस्तान आदि अनेक देशों में आवश्यकता से अधिक नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता देकर लोकतंत्र को नष्ट किया गया है। ऐसा करके हम लोगों के नागरिक अधिकार ही कम नहीं करेंगे बल्कि लोकतंत्र के मूल आधार को भी खतरे में डाल देंगे। अन्यथा, मुझे समझ में नहीं आता कि हम इन अर्द्ध-सैनिक अथवा सेना के समकक्ष संगठनों को किस प्रकार बर्दाश्त कर रहे हैं, जो साम्प्रदायिकता और प्रादेशिकता फैलाते रहे हैं। अब हम एक अर्द्ध सैनिक संगठन के बारे में सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हिंसा, खुन खराबे अव्यवस्था पर आधारित एक राजनैतिक दर्शन का प्रचार किये जाने की सम्भावना है। इन संगठनों के प्रकट प्रयोजन चाहे जो हो, लोगों के लिये गंभीर चिन्ता की बात तो यह है कि उनके वास्तविक प्रयोजन क्या हैं, इसलिए मैं सम्बन्धित मत्री महोदय से जानना चाहू गा कि क्या सरकार ऐसे अर्द्ध-सैनिक संगठनों को, जो हमारे धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्र और संसदीय लोकतन्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, खतरा समझती हैं अथवा नहीं ? दूसरे, यदि उन्हें वास्तव में खतरा समझा जाता है, तो इन अर्द्ध-सैनिक अथवा सैनिक किस्म के इन सगठनों पर हमेशा के लिये प्रतिबन्ध लगाने में संविधान के उपबन्धों में गृह-कार्य मंत्री के मार्ग में क्या वास्तविक बाधा है ? यदि ऐ ी कठिनाई हो तो क्या वे लोकतंत्रीय सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले सभी दलों को विश्वास में लेंगे और इन सभी अर्द्ध-सैनिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये उपयुक्त साधन निकालेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात पर इस सभा में कई बार चर्चा भी की जा चुकी है। वह स्वयं संविधान के प्रख्यात वकील हैं। इसलिये इस समस्या पर मुझे उनके साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी संगठन पर प्रतिबन्ध लगाना अत्यन्त कठिन प्रश्न है, जिसमें अनेक कानूनी कठिनाइयां होती हैं। मैंने राजनैतिक दलों के साथ इस बारे में विचार करने का प्रयत्न किया था। कुछ राजनैतिक दलों ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये, परन्तु अन्य दलों ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनके लिये यह एक संगठन बनाने और रखने का मूलभूत प्रश्न पैदा करता है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार ने अवश्य ही कुछ कार्यवाही की है। जहां पर वह समझती है कि कोई संगठन धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, तो वह ऐसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा देती है और सरकारी कर्मचारियों को उनसे सम्बन्ध रखने की मनाही कर देती है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ और कुछ अन्य राजनैतिक संगठन। उसने उन्हें राजनैतिक संगठन माना है और उन पर प्रतिबन्ध लगाया है। फिर भी, हम जानते हैं कि इस सम्मानित सभा में सरकारी

कर्मचारियों को भी राजनैतिक दलों में भाग लेने के मूलभूत अधिकार देने के प्रश्न उठाये गये हैं। इसलिए इस बारे में हम सावधानीपूर्वक कार्य कर रहे हैं और हमारा विचार किसी अर्द्ध-सैनिक संगठन को प्रोत्साहन देने का नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है क्या उसमें राजनैतिक दलों की ऐसी गतिविधियां शामिल है, जिनके अन्तर्गत शास्त्रास्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जारहा है और हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है ? यदि ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं, कि यह देश में सार्वजनिक शान्ति के हित में है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना तथा हिंसात्मक गतिविधियां करना देश के हितों के विरुद्ध हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : उनको किस प्रकार से रोकने का आपका विचार है ? क्या इन्हें रोकना आपका कर्तव्य नहीं है ?

श्री दे० प्रभात : क्या भारत सरकार ने गत सप्ताह कलकत्ता विधान सभा में घटी घटनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के अभिप्रेत अर्थों पर विचार किया है कि उनके कुछ व्यक्तियो ने कुछ पुलिस अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में उन्हें सूचना दी है ? श्री ज्योति बसु के कौनसे आदमी हैं, जो उनकी मुखबिरी कर रहे हैं ? क्या वे स्थानीय पुलिस के अंग हैं अथवा साम्यवादी दल के सदस्य हैं, जो श्री बसु के मुखबिर के रूप में काम कर रहे हैं ? क्या वे किसी अर्ध-सैनिक संगठन के सदस्य हैं, जैसे लाल रक्षक, जो इस देश में साम्यवादियों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ? क्या वे अपने अर्द्ध-सैनिक संगठन को साम्यवादी चीन के लाल रक्षकों की तरह लिबोसन आर्मी (मुक्ति सेना) कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य माओ त्सेतुंग और उसके दर्शन की उसके विरोधियों से रक्षा करना है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री चेंगलराया नायडू : साम्यवादी दल न केवल लाल रक्षकों का स्वयं सेवक दल तैयार कर रहा है अपितु सादे वेश मे लड़ाकू सेना भी तैयार कर रहा है। और वे लोग बड़े योजनाबद्ध ढंग से गांवों पर आक्रमण करते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर हमला करते हैं तथा उनकी सम्पत्ति लूटते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं परन्तु सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। साम्यवादी दल के लोग दूसरे दलों में भी घुस रहे हैं। वे अपने लोगों को सरकार के ऊंचे पद ग्रहण करने के लिए भी भेज रहे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण निगमों के अध्यक्ष पद; और वे लोग वहां कर्मचारियों में साम्यवाद फैला रहे हैं। यह बात बहुत खतरनाक स्वास्थ ग्रहण करती जा रही है। क्या सरकार कम से कम साम्यवादियों को तो निगमों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त करना बन्द करेंगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक राजनीतिक दलों में इनके घुसने का प्रश्न है, मेरे विचार से सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। यह तो उन राजनैतिक

दलों की अपनी बुद्धिमता और सूझ-बूझ पर निर्भर करता है। जहां तक निगमों में अध्यक्ष पदों की बात है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्राय: देखा गया है कि साम्यवादियों को तंग करने का परिणाम आत्महत्या करना होता है। मैं जानना चाहूगा कि क्या गृह-कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिव सेना तथाकथित सेना की साम्प्रदायिक गतिविधियों को ध्यानपूर्ण जांच करने के बाद ही प्रतिक्रियावादी तत्वों,—चाहे वह सिंडीकेट हो अथवा कोई अन्य दल, उनके द्वारा किये जा रहे आक्रमण का मुकाबला करने के लिये ही यह विशिष्ठ लोक सेवक दल गठित किया गया है। क्या वह इस तथ्य पर विचार करेंगे कि यह दल एक सेना नहीं है, अपितु एक लोक सेवा दल है जिसको साम्प्रदायिकता से लड़ने तथा देश में समाजवाद के उद्देश्य को समाप्त करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह इस नये दल के बारे में चाहे कुछ कहें, इसके इरादों तथा गतिविधियों के बारे में प्रत्येक को सतर्क रहना होगा। मुझे इस दल को कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। वह अपना समर्थन स्वय प्राप्त करे।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister, in his reply, has stated that action would be taken after judging their activities and also against those persons who induge in unlawful activities in Kerala. I would like to know firstly, whether any action has been taken against the different Communist Organisations for their unlawful activities in Kerala; and secondly, whether he taks action on the reports obtained from the States where different parties are ruling, or he has got his own sources to collect the facts; and if he has got the facts, whether he would state them in the House ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही सरकार के पास जानकारी प्राप्त करने के अन्य स्रोत भी हैं तथा कुछ सगठन भी हैं परन्तु उन्हें केवल अपने ही क्षेत्र में कार्य करना होता है। वे राज्य सरकार के कार्य का अधिलंघन अथवा उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करते। जब वहां राज्य सरकारें हैं और वे कार्य कर रहीं हैं, तो अपने क्षेत्र में अबाध रूप से कार्य करने का उनको अधिकार है तथा केन्द्रीय सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

Shri S. M. Joshi : Only those persons of the Dal appear before the people who are in uniforms, and we ask questions about them here. But it appears that where the work is going on in a democratic manner. These are persons of the Dal come in plain clothes and attack; and the police is unable to help other people. Recently, there was a meeting of the tenants of Bombay, organised by the Sampoorna Maharashtra Samiti. and it is told that members of Shiv Sena were also present there in plain clothes. Certainly there were slogans supporting the Shiv Sena. But when the Conference was going on, they stoned the meeting and one of our workers Shri Ranga Sanwade was injured. I could not reach here on Monday as I had to take him to the Hospital. In these circumstances, our party has also considered the question whether or not to form a Dal to protect ourselves when the police is unable to protect us. I, therefore, want to know from the hon. Minister whether he has got the right without intervening in the States' affairs, to ask the States to make adequate security arrangements for the activities being carried on in a democratic manner ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से यह आशा की जा सकती है कि लोकतांत्रिक तथा कानूनी ढंग से होने वाले कार्यों की रक्षा राज्य सरकारें करें। इस विशिष्ठ मामले में मैंने समाचार पढ़े हैं, परन्तु मैंने राज्य सरकारों से नहीं पूछा। परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, मैं इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत करने को तैयार हूं, ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके। जहां तक अन्य दलों की बैठकों में बाधा पहुंचाने या पथराव आदि करने की बात है; यह किसी विशिष्ठ दल का एकाधिकार नहीं है। माननीय सदस्य ने संयुक्त महाराष्ट्र समिति का उल्लेख किया है, और मैं कह सकता हूं कि कई बार तो मुझे भी निशाना बनाया गया हैं.....

Shri S. M. Joshi : Have you ever faced stoning ? I too was the General Secretary of the Sampoorna Maharashtra Samiti, please let me know.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अब तो भूल गये, क्या करें ? मैं इस बात का उल्लेख क्रोध में नहीं कर रहा। यह कहने का मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि इस बारे में प्रत्येक दल को स्वय अपने हितों को देखते हुए विचार करना चाहिये। यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि उनका राजनैतिक दल भी कोई ऐसी स्वयंसेवी संस्था गठित करे, तो वह क्यों नहीं कर लेते ?

श्री शकरराव माने : मत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ संगठनों से सम्बन्ध रखने की मनादी कर दी गई है जिसका अर्थ यह है कि वे सगठन कोई आपत्तिजनक कार्य कर रहे होंगे। यह भेद-भाव क्यों किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को तो मनाही कर दी गई है परन्तु जनता को उन संगठनों से सम्बन्ध रखने की छूट है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें तो कोई भेद-भाव की बात नहीं है। यदि वह मुझे कोई तथ्य दें तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are two kinds of such parties. The one kind is of those who work according to the Constitution although the Government may not share their views. But if those organisations work according to the Constitution, whether they belong to the Communists or any other parties. The Government should not take any step against them nor the Government can do so. But those organisation, which violate the provisions of the Constitution, store arms, attack people and have no faith in the Constitution, should certainly be taken to task.

He has just now told that he too has certain sources of information; and that there is the so-called Lok Seva Dal, which do not include either the people (Lok) or the Service (Sevas) or the group (the Dal); may I know whether this Dal has been working according to the Constitution or has been violating the constitutional provis ons. If they are violating the Constitution, what are their activities ? Let the people know of that. What action will the Government take against that Dal ?

Secondly, what steps are the Government taking to educate the people, or otherwise making them feel, that the activitis of this Dal are dangerous ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य एक ऐसे खतरनाक सिद्धान्त की वकालत कर रहे हैं कि सरकार यह स्वीकार कर ले कि कौनसा संगठन प्रतिक्रियावादी है, कौनसा प्रगतिशील है, कौनसा अच्छा है, तथा कौनसा बुरा है। उदाहरणार्थ, अब सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अपना सम्बन्ध न रखें। क्या वह इससे सहमत हैं, अथवा नहीं ?

श्री कंवरलाल गुप्त : पहले मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिये। मैंने तो यह पूछा था कि ऐसे कौनसे संगठन हैं जो संधिान के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो यही कहूंगा कि इसका निर्णय अन्ततः लोगों पर ही छोड़ना पड़ेगा। जहां तक संविधान के विरुद्ध कार्य करने वाले संगठनों का प्रश्न है, सरकार निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या यह संगठन संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, या नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वर्तमान जानकारी के अनुसार यह सिद्ध ए कोई सामग्री नहीं है कि यह संगठन संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मैं उन्हें उस संगठन का संविधान उपलब्ध कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

कृषकों के लिये मौसम की भविष्यवाणी की व्यवस्था

*422. **श्री देवकी नन्दन पादोदिया :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष असामयिक वर्षा, कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा, बाढ़ों आदि के कारण फसलों को बहुत क्षति होती है और विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसानों को मौसम की भविष्यवाणी सम्बन्धी सुविधायें इस समय उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक कुशल तरीके से उपलब्ध की जा सकें, तो इस क्षति को बहुत कम किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो संचार प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजनी महर्षि) : (क) से (ग). कृषकों को मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियां रेडियो और समाचार-पत्रों द्वारा प्राप्त होती हैं। प्रादेशिक भाषाओं में किसानों के लिए मौसम सम्बन्धी बुलेटिन आकाशवाणी

द्वारा नियत समयों पर प्रसारित किये जाते हैं। सरकार इस क्षेत्र में नवीनतम अनुसन्धान और प्रगति के आधार पर मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियों के सुधार के प्रश्न का हमेशा पुनरावलोकन करती रहती है। बाढ़ों, बवंडरों (साइक्लोनों), अत्यधिक अथवा असामयिक वर्षा, और असामयिक अनावृष्टि के पूर्वानुमान लगाने और उनकी सामयिक चेतावनी देने की दिशा में मौसम विज्ञान विभाग निरन्तर प्रगति करता आया है। विश्वव्यापी मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियों में सुधार करने के उद्देश्य से विश्व मौसम-विज्ञान संस्था द्वारा तैयार की गई विश्व-मौसम-निगरानी योजना में यह विभाग एक सक्रिय भाग लेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि प्रति वर्ष फसलों को हानि होती है। आपके उत्तर में यह नहीं बताया गया।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : यह तो स्पष्ट है कि मौसम की खराबी के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। यह बात तो सर्वसिद्ध है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मौसम सम्बन्धी सूचनाओं तथा विज्ञान की प्रगति का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में काफी लाभ हो सकते हैं। यह बात सारे विश्व ने मानी है। अनेक देशों ने इसका लाभ उठाया है। भारत में दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, डा० एल० एस० माथुर, वेधशाला महानिदेशक तथा डा० स्वामिनायन, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के निदेशक ने समय समय पर कहा है कि यदि मौसम सम्बन्धी विकासों तथा कृषि आयोजनों के महत्व समुचित समन्वय किया जाये तो (डा० माथुर के मत के अनुसार) कृषि में 20 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है तथा (डा० स्वामिनायन के मत के अनुसार) दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों के क्षेत्रों में उत्पादन दुगना होकर 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। इस पर भी हम भारतवासी इन विकासों की अवहेलना करते हैं। वर्ष 1967 में, कुछ प्रस्ताव पेश हुए थे, जिनमें से एक मौसम सम्बन्धी विश्वसनीय पूर्व सूचना तंत्र को अधिक सुदृढ बनाने के लिए समुद्र तट रेखा पर विशेष प्रकार के चार राडार स्थापित करने का भी प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव यह था कि सूखे तथा बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए एक जलोहका विज्ञान एकक की स्थापना की जाये। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन विशिष्ट प्रस्तावों के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों में लापरवाही की अनुमति क्यों दी जाती है?

डा० कर्ण सिंह : मौसम सम्बन्धी विभाग की एक परियोजना है कि समुद्र तट रेखा पर आठ तूफान सचेतक केन्द्र स्थापित किये जायें। इनमें से एक केन्द्र के लिए राडार की सामग्री पहुँच गई है तथा विशाखापत्तनम में लगाई जा रही है और इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है। हमें आशा है कि शेष सात केन्द्रों का कार्य भी चौथी योजना के दौरान पूरा हो जायेगा। इन राडारों के लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स को आदेश दिये जा रहे हैं क्योंकि पहले यह सारी सामग्री बाहर से आयात की जाती थी। आदेश शीघ्र ही दिये जायेंगे तथा

हमारे केन्द्रों की यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सम्भवतः पूर्ण हो जायेगी। यदि ऐसा हो जाता है तो तूफानों के बारे में पूर्व सूचना देने तथा इस प्रकार ऋतु की पूर्व जानकारी प्राप्त करने की हमारी क्षमता बहुत विकसित हो जायेगी। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न जल-विज्ञान से सम्बन्धित है। जलोहका विज्ञान (Hydro-meteorology) कार्य को भी चौथी योजना में शामिल किया गया है तथा उसका कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह प्रश्न 1967 में पूछा गया था। इसके कार्यान्वित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

डा० कर्ण सिंह : देरी इस कारण से हुई है कि चतुर्थ योजना, जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, इसी वर्ष पहली अप्रेल से आरम्भ हुई है और जब तक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता है तब तक हमारे लिये योजना को हाथ में लेना असम्भव होगा क्योंकि हमारे पास ससाधन नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैंने सुना है कि मन्त्री महोदय ने विश्व योजनाओं में भारत के भाग लेने के बारे में कहा है। यह सुविदित है कि एक विश्व मौसम पर्यवेक्षण योजना बनाई गई है और उस योजना के अनुसार मेलबोर्न, मास्को और वाशिंगटन मुख्य ट्रंक परिपथ होंगे। ऐसी आशा है कि भारत भी क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक होगा और भारत 24 मुख्य केन्द्रों की आवश्यकता को पूरा करेगा। क्या भारत में इस केन्द्र की वर्ष 1971 तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है? यदि 1971 तक इसके पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है तो देरी होने का क्या कारण है और इसकी कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

डा० कर्ण सिंह : मैंने अपने उत्तर में विश्व मौसम निगरानी योजना का विशेष उल्लेख किया है और यह चतुर्थ योजना में शामिल की गई है और 8.75 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है और इस पर काम शीघ्र होने की सम्भावना है। मैं नहीं समझता कि ऐसी बड़ी योजना पर कार्य एक अथवा दो वर्ष में पूरा हो जायेगा। मैं समझता हूं कि चतुर्थ योजना के अन्त में हमें कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना का प्रथम चरण क्रियान्वित कर देना चाहिये ...(व्यवधान)

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि मौसम की भविष्यवाणी करने वाली मशीन 100 वर्ष पुरानी है और वे मौसम की भविष्यवाणी उस शब्दावली में करते हैं जो मौसम की भविष्यवाणी करने वालों की ही समझ में मुश्किल से आती है कि वे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं और यह न किसानों के ही काम आती है जिनके लिए यह की जाती है और इसके परिणामस्वरूप भारत में किसान सरकार की व्यवस्था और मौसम बताने वाले बुलेटिनों की तुलना में पंचांग के ऊपर अधिक निर्भर रहते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पंचांग से भविष्यवाणी करने का है, जो अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है?

डा० कर्ण सिंह : ऐसी बात है कि मेरा मन्त्रालय मौसम विज्ञान विभाग के काम देखने के अतिरिक्त राष्ट्रीय पंचांग को निकालना है। अतः माननीय सदस्य इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक प्रसारण का सम्बन्ध है, यह अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है और यह यथासम्भव सुबोध शैली में होता है ताकि किसान इसे समझ सकें।

श्री श्रीचन्द गोयल : ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री महोदय को इस विषय की जानकारी कम है और तभी वे पंचांग की बात कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथदास, जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल तथा उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने चण्डीगढ़ में विचारकों के फोरम में यह बात कही थी कि हमारे पूर्वजों ने इस विज्ञान का यहां तक विकास किया था कि हम मौसम का निर्धारण अगले 10 वर्षों तक के लिए कर सकते थे और फसल बोने का तरीका इस मौसम निर्धारण पर आधारित था; हम लोग जानते थे कि देश के विशेष भाग में कितनी वर्षा होगी और हम फसलों को 10 वर्ष तक के लिए की जाने वाली मौसम भविष्यवाणी के आधार पर बाते थे। अतःएव क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस लाभप्रद ज्ञान के कोई प्रयोग पर विचार कर रही है जिसको कि श्री विश्वनाथ दास द्वारा चलाई गई सस्था ने पहले ही लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया है।

डा० कर्ण सिंह : यदि विचारकों का फोरम, जिसके माननीय सदस्य विशिष्ट सदस्य हैं, इस सम्बन्ध में वे अपने विशेष ज्ञान से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह मालुम है कि गत वर्ष बाढ़ ने देश के विभिन्न भागों में भारी सर्वनाश किया था तथा उससे काफी हानि हुई थी ? यह सर्वनाश नर्मदा और ताप्ती नदियों ने किया था। गत वर्ष डा० के० एल० राव ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव यू० थांट से भारत में बाढ़ की स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए बातचीत कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अगणित जान और माल की हानि को देखते हुए, जो कि मौसम भविष्यवाणी की सुविधाओं के अभाव में तथा पुरानी सचार व्यवस्था के कारण हुई हैं, क्या सरकार ऋण देने तथा उन क्षेत्रों में, जहां बाढ़ के फलस्वरूप प्रति वर्ष हानि होती है, ऐसी सुविधाए देने के लिए समुचित कदम उठाने जा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा है कि यह सच है कि हमारे पास समुद्र तट रेखा पर तूफान की सूचना देने वाली समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे काफी हानि होती है जो कि सम्भवतः इस व्यवस्था को अपनाने से दूर की जा सकती है। अतःएव चतुर्थ योजना में, जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पास इन आठ मौसम निगरानी केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और एक बार उनके स्थापित हो जाने से, मुझे आशा है कि भविष्यवाणी में काफी सुधार आ जायेगा और प्रति वर्ष होने वाली जीवन तथा माल की भारी हानि को कम से कम किया जा सकता है।

श्री बि० अ० मण्डल : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि मौसम भविष्यवाणी इतनी दोषपूर्ण है कि जब वर्षा की भविष्यवाणी होती है तो उस समय तेज धूप निकली होती है और जब ठीक मौसम की भविष्यवाणी होती है तो वर्षा होती है ?

डा० कर्णसिंह : मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यापक वक्तव्य का कोई औचित्य है । यह सच है कि भविष्यवाणी कभी-कभी गलत हो जाती है । परन्तु भविष्यवाणी की परिभाषा यह है कि यह सुविचारित अनुमान होता है और अनुमान कभी-कभी गलत भी हो जाते हैं । विश्व के अधिकांश उन्नत देशों में इस तरह का कोई उपाय नहीं खोजा गया है जिससे मौसम की अचूक भविष्यवाणी की जा सके । हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत रूस में भी यह कार्य कठिन है, अतः एव जबकि मैं इस तथ्य से इन्कार नहीं कर रहा हूं और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम गलतियां नहीं करते हैं तो मेरे विचार में समूचे विभाग की निन्दा करना ठीक नहीं होगा ।

तीसरी योजना में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान

***423. श्री लोबो प्रभू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तीसरी योजना में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में जो 58 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, उनसे क्या-क्या आविष्कार हुए हैं ;

(ख) क्या उनमें से किसी आविष्कार का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और परिणामस्वरूप हुए उत्पादन का मूल्य कितना है ;

(ग) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा इसको किस प्रकार प्रयोग में लाने की योजना है और क्या व्यापारिक साधनों द्वारा इसका प्रयोग करने से इन्कार किये जाने पर निगम इसे अपने हाथ में लेगी ; और

(घ) क्या अन्य देशों में भी राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम जैसे संगठन है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) . वैज्ञानिक अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा किये गये योगदान का उल्लेख 'वै० औ० अनु० परि० के 25 वर्ष' नामक पुस्तिका में किया गया है, और अनुसंधान परिणामों के उपयोग की प्रगति वै० औ० अनु० परि० द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित प्रकाशनों मे दी गई है : —

(1) उद्योग के लिए अनुसंधान	1964
(2) अनुसंधान उपयोग सम्बंधी आंकड़े	1965
(3) अनुसंधान उपयोग सम्बधी आंकड़े	1966

उपर्युक्त प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

1967 वर्ष के अनुसंधान उपयोग संबंधी आंकड़े छप रहे हैं और उनकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को भेज दी जायेगी।

1966-67 तक 120 प्रक्रियाओं के उत्पादन में होने की रिपोर्ट मिली थी। 1966-67 के दौरान उत्पादों का मूल्य अनुमानतः 453 लाख रुपये था।

(ग) सामान्यतः, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रक्रियाओं को विज्ञापन अथवा बातचीत के जरिये वाणिज्यिक दोहन के लिए उद्योग को दिया जाता है। उन चुने हुए मामलों मे, जिन्हें वाणिज्यिक दोहन के लिए उद्योग द्वारा नहीं लिया जाता है, प्रयोगशालाओं के अनुसधान परिणामों के दोहन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम स्वयं प्रायोगिक संयत्र स्थापित करता है।

(घ) जी हां।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री जी ने मुझे विद्वतापूर्ण पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव दिया है, यह सभा और मैं उनसे इस अनुसधान से कम से कम एक आविष्कार के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका व्यापारिक दृष्टि से उपयोग किया गया है। यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आपने एक वर्ष में 53 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की तुलना में 450 लाख रुपये अर्पित किए हैं। यह तो निवेश का 10 प्रतिशत भी नहीं है, महत्व की बात तो यह है कि यह विदित हो जाना चाहिए कि गत बीस वर्षों में हमारा अनुसंधान इतना बढ़ गया है कि विदेशों से अनुसंधान को यहां लाना आवश्यक हो गया है। मैं, अतःएव मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पहला व्यापारिक उपयोग वाले कितने आविष्कार हुए हैं और दूसरा हमारा अनुसंधान कितना बढ़ गया है जिससे कि हमारा विदेशों से इतनी बड़ी संख्या में आयात करना अनावश्यक हो गया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे **रिसर्च फार इंडस्ट्री** नामक पुस्तक देखें, मैं कुछ वस्तुओं के नाम लूंगा जिसके लिए उद्योग को लाइसेंस दिया गया है। वे हैं-प्रोटीन आइसोलेट, इनफैंट फूड, मैं जानता हूं कि पाइन आयल और लाइटनिंग एररेस्टर्स के लिए कुछ किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को इसका भी विश्वास दिला सकता हूं कि विटामिन सी के बारे में बहुत कुछ किया गया है और इसका व्यापारिक तौर पर उत्पादन हो रहा है। यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा कि मैं विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनका विकास किया गया है, कि सूची गिनाऊं परन्तु माननीय सदस्य मेरे बनाए हुए पुस्तकों से इसके बारे में कुछ मालूम कर सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं दुग्ध क्षार, (लैक्टेट) या यह जो कुछ भी हो, से प्रभावित नहीं हूं जिसको कि मत्री मोहदय सही रीति से नहीं समझ सके। मैं कहना चाहूंगा कि लाइटनिंग कंडक्टर अथवा विटामिन सी का आविष्कार एक बहुत मामूली प्रगति है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसको समझेंगे।

अब मैं अपने प्रश्न के भाग (ख) और (ग) पर आता हूं। ऐसा क्यों है कि सरकार एक अलग राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना कर रही है ? मैं सरकार के

निगमों की स्थापना की अदूरदर्शिता को समझता हूं जबकि वे इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सके हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस निगम की आवश्यकता है? आपकी अनुसधान संगठन क्या कर रहे है जबकि वे स्वयं स्वतत्र परीक्षण नहीं कर सकते हैं? आप क्यों एक अन्य संगठन की स्थापना करना चाहते हैं जिससे कि करदाताओं को कुछ करोड़ रुपये देना पड़े?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो गई है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम स्वयं अनुसंधान कार्य नहीं करता, जब प्रयोगशालाएं अपनी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेती हैं तो उनका व्यापारिक रूप से उपयोग होता है। यह प्रयोगशालाओं के लिए संभव नहीं है कि वे उद्योग से सम्बन्ध स्थापित करें, उनसे बातचीत करें और उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं को करें जिसकी आवश्यकता प्रयोगशाला सम्बन्धी अनुसंधान को उद्योग सबंधी अनुसधान में बदलने की होती है। अत एव विश्व के प्रत्येक देश में जहां कि कई आयोजित वैज्ञानिक अनुसंधान होते है, वहां एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए जिसका एकमात्र कार्य यह देखना होगा कि अनुसंधान कार्य जो भी किया जायेगा उसे उद्योगों में उपलब्ध किया जायेगा। तदुपरान्त उद्योग जो भी कार्य चाहता है वह कार्य भी यह संगठन उद्योग के परामर्श तथा सहयोग से प्रक्रिया के पूर्ण होने तक करता है। मुझे लगता है कि इस तरह के एक संगठन के अभाव में, हमारे लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में लगाए गए निवेश से लाभांश प्राप्त करना, जिसको कि माननीय सदस्य चाहते हैं, कठिन हो जायेगा।

श्री रा० बरुआ : मेरे विचार में हमने इंगलैंड की अनुकृति पर यह निगम बनाया है, हमारे अनुसंधान का देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था से सीधा सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में हमारा अनुसंधान इसकी आधुनिक विचारधारा से बहुत पीछे है, और फलस्वरूप निवेश के अनुपात में लाभांश नहीं मिलता। लाभांश बहुत ही कम है। आधुनिक विश्व और अनुसंधान के वर्तमान विचार को देखते हुए क्या सरकार यह देखेगी कि अनुसंधान कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे अधिकतम लाभांश मिले और अपव्यय भी न होने पाये?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच समुचित सम्पर्क स्थापित नहीं होगा तब तक हम अपेक्षित लाभांश प्राप्त नहीं कर सकते। इस उद्देश्य के लिए हम कार्यकारिणी परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें उद्योगपति अथवा उद्योग के प्रतिनिधियों को, जिनका कार्य प्रयोगशाला में हुए कार्य से सम्बन्धित है, लिया जावे। हमारा यह भी प्रयत्न रहता है कि औद्योगिक फर्मों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक भी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक समिति में स्थान पा सकें। तीसरा, हमने तीसरी योजना में काफी सख्या में सहकारी अनुसधान संस्थान स्थापित किए हैं जहां कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् व्यय का 50 प्रतिशत वहन करेगी और 50 प्रतिशत उद्योग वहन करेगा, इसके अतिरिक्त उद्योग द्वारा आयोजित कई योजनाओं का अनुसंधान कार्य प्रयोगशालाएं अपने हाथ में लेती हैं। मैं यह भी कहूंगा कि मैं, जो कार्य हो रहा है, उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं, वास्तव में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं से निवेदन कर रहा हूं कि उद्योग के साथ निमर सम्बन्ध

बनाए रखें और मुझे आशा है कि हम कुछ समय में इस प्रक्रिया को कार्यक्षम बनाने में समर्थ हो सकेंगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : Right type of discoveries could not be made in scientific field even after spending 58 crores of rupees. The main reason for this was that the personnel emloyed in C. S. I. R. were not scientists. At the request of Lok Sabha and Rajya Sabha a committee was constituted to enquire into this matter. After one year when this committee completed its inquiry, the Ministry of Education carried out changes in terms of reference of the Enquiry Committee because certain high officers were involved. If it is so, how this inquiry committee would arrive at an impartial decision ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग को समझ नहीं सका । यदि मैं ठीक समझा हूं तो उन्होंने सरकारी समिति के कार्य का उल्लेख किया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूं कि सम्भवत: कुछ भ्रान्ति हो गई है । प्रश्न यह था कि क्या सरकारी समिति के विचारार्थ विषय में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं अथवा नहीं । इस समिति के विचारार्थ विषय में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का विचार नहीं है । यह समिति विशद रूप में दो प्रकार की समस्याओं पर विचार कर रही है, एक तो कार्मिक मामलों में शिकायतों, अनियमितताओं आदि की अनेक समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में लगभग 700 अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, दूसरे, देश के आर्थिक विकास के लिए, इसे अत्यधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से अनेक पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को पुनर्गठित करने का प्रश्न विचाराधीन है । जो कुछ भी मैंने कहा है कि दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है तथा प्रथम भाग कुछ अधिक समय लेगा और मुझे दूसरे भाग को पूर्ण करने की चिन्ता है, क्योंकि इस विषय में मेरे अपने विचार भिन्न हैं । मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों तथा उद्योग से सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से तथा आर्थिक आय की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का पुनर्गठन किया जाये । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि समिति के विचारार्थ विषय में परिवर्तन करने का मेरा कोई विचार नहीं है । मैं चाहता हूं कि समिति से मिलूं और अपने विचारों की चर्चा करूं कि इस संस्था को सुधारने के लिए क्या किया जाए जिससे उन्हें इस विषय पर मेरे विचारों की जानकारी हो सके और समिति के कार्य को सुधारने के सम्बन्ध में वे अपनी सिफारिशें दे सकें ।

श्री कार्तिक उराव : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागत संबंधी जागरूकता लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में उद्योग प्रधान योजना की गतिशील अवधि में पूंजीगत परिव्यय के अनुसार अनुसन्धान, अभिकल्प तथा विकास कार्य की गति में तेजी नहीं आई है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में अमरीका, इंग्लैण्ड तथा रूस जैसे सुविकसित देशों की तुलना में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की कितनी

प्रतिशतता अनुसन्धान, अभिकल्प तथा विकास कार्यों पर खर्च की गई तथा इस उद्देश्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कितनी प्रतिशतता की व्यवस्था की गई है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं अपेक्षित सामग्री एकत्र करके माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा ।

देशद्रोह विषयक विधि का अधिनियमन

+

*424. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशद्रोह विषयक कोई विधि भारत में अब तक नहीं बनाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ समय से देश के संवेदनशील भागों में देशद्रोह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देशद्रोह के विषय पर एक व्यापक विधि बनाने के लिए शीघ्र कोई कार्य करने का है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) तथा (ग). देश के कानून में "देशद्रोह" की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है । किन्तु राज्य के विरुद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय VI के अन्तर्गत दण्डनीय है और जासूसी कार्यवाहियों को राजकीय रहस्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निपटाया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान संसद राज्य की सुरक्षा की प्रतिकूल गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार को आवश्यक अधिकार देने वाला एक कानून बना सकती है । विधि आयोग भारतीय दण्ड संहिता की परीक्षा कर रहा है और, यदि आवश्यक हुआ, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रख कर संहिता में संशोधन किये जायेंगे ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

Shri Bal Raj Madhok : During the period of India's slavery, the British had made a provision of clause 124A in the Indian Penal Code, and any one who spoke against the Britishers was liable to punishment. Greatmen of the country like Shri Lok Manya Tilak were punished under the law of sedition contained in the penal code. Now the country is independent and the question of sedition now does not arise. The question of treason can arise now. The fact is that there are such parties and such elements in the country who indulge in such treasonable activities and for this Government enacts laws every now and then. When we say that our national flag has been insulted, and people have resorted to other nefarious activities, Government comes forward with a reply that there is no law with them to check such activities.

There is a comprehensive law of treason in all countries of the world under which treason has been defined and provisions have been made for punishment. We should add another clause in the Indian Penal Code instead of asking Law Commission to to examine the matter. Are you prepared for making an authoritative definition of of treason and provisions of some special sort of punishment should be made for treasonable activities ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसाकि मैंने कहा है कि विधि के उपबन्धों में देशद्रोह की संकल्पना का सामान्य रूप से स्पष्टीकरण किया जा सकता है। "देशद्रोह" का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके अतिरिक्त देशद्रोह की कोई अमूर्त परिभाषा नहीं की जा सकती।

जहां तक कुछ मानसिक रवैये अथवा कुछ कार्यवाहियों को सम्बन्ध है, देशद्रोह की उन गतिविधियों के विरुद्ध कानून में कई रूप से व्यवस्था की गई है। उदाहरणतया भारतीय दंड सहिता की धाराओं 121 तथा 122 में तथा अध्याय 6 में इसी जैसी धाराओं में इन बातों का उल्लेख है। देशद्रोह का दूसरा रूप जासूसी की गतिविधियां हैं तथा भारतीय रहस्य अधिनियम में जासूसी की इन गतिविधियों के विरुद्ध उपबन्ध किया गया है। देशद्रोह का एक अन्य रूप भी हो सकता है जो भारत से अलग होने से सम्बन्धित है और इसके लिए हमने कुछ समय पूर्व विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम पास किया है जिसमें हमने इस प्रकार के देशद्रोह के विरुद्ध उपबन्ध किया है। परन्तु एक ही प्रकार के उपबन्धों की पुनरावृत्ति करते हुए ऐसे समेकित अधिनियम को बनाना केवल वैधानिक अपव्यय होगा।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने "ट्रेजन" शब्द के शब्दकोष अर्थ का उल्लेख किया है। "ट्रेजन" शब्द का प्रयोग राजतन्त्र में होता था। यही कारण है कि मैंने 'देशद्रोह' शब्द का प्रयोग किया है। 'ट्रेजन' देशद्रोह का सही पर्यायवाची नहीं। हमारा देश स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र देश में जो भी व्यक्ति देश से पृथक होने की बात करता है, जो किसी को हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए सहायता करता है, जो संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, जो देश के झंडे का अपमान करता है—ये सब देशद्रोह के अन्तर्गत आते हैं। हो सकता है इसके लिए आपके पास कोई उपबन्ध हो। परन्तु गृहकार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री ने पिछले दिन कहा था कि हमरे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले व्यक्ति को दण्ड दिया जा सके। यही कारण है कि मैंने यह प्रस्ताव किया है। क्योंकि या तो आपके पास कोई कानून नहीं है अथवा आपके कानून अनेक अधिनियमों में विभक्त हैं, तो क्यों नहीं आप कोई ऐसी व्यापक विधि बनाते, जिसमें ये सब बातें एक साथ आ सकें ? सर्व प्रथम आप देशद्रोह' की परिभाषा क्यों नहीं करते कि देशद्रोह का अर्थ क्या है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं इसे सम्भव नहीं समझता। यह मेरा विचार है। माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The hon. Minister has stated that the provisions contained in sectoins 121, 122 etc. are sufficient to deal with such activities and as such such there was no necessity for enacting any new law. I want to

know the names of places whe reour national flag was shown disrespect to in our country ; the number of persons prosecuted and the number of persons punished ? Is it not a fact that not a single man was prosecuted and punished ? Whether Government do not feel any necessity for enacting a new law so that such activities could be suitably dealt with ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक राष्ट्रीय ध्वज का सम्बन्ध है तथा जैसा कि मैं बता चुका हूं वास्तव में एक विधि बनाई जा सकती है, तथा यह कार्य हो भी रहा है। केवल एक प्रश्न है जो श्री मधोकजी ने उठाया है कि क्या 'ट्रेजन' की कोई सामान्य परिभाषा हो सकती है तथा इसके लिए क्या एक विशेष विधि ही सकती है। इस पर मैंने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया है।

Shri Narayan Swaroop Sharma : You say that you have separate laws to check and to deal with the treason and anti national elements. But they are scattered. It is a known fact that at the time of Chinese and Pakistan's attacks some people had slipped into Pakistan via Kashmir and afterwards they returned, but no action could not be taken against them. Apart from that some evidences were noted in the Heavy Electricals Factory in Ranchi which showed that some foreign Embassies were involved in that incident. Despite all these clear evidences regarding such activities, no effective action could be taken and that is why treason has not been defined as treason and could not be defined as such. Sometimes these things are left by considering them of small importance. In view of all these things will you reconsider this matter ? Are you prepared to consolidate all your law viz. official secrets Act, various sections of Cr. P. C. and other laws ? What is your basic objection in defining the term treason de novo ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने वर्ष 1965 में घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। इस का निपटारा तो विशिष्ट कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है। मैं फिर समझता हूं कि व्यापक विधि की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ.....

श्री मनोहरलाल सोंधी : अति महान् व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार के सम्बन्ध में एक प्रश्न है.....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न के काल की समाप्ति आगामी विषय के बीच मैं किसी और बात की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदय : सोंधीजी, अब हमें यह कार्यवाही समाप्त कर लेने दीजिये। इस प्रस्ताव के समाप्त होने पर आपको समय मिलेगा संसदीय कार्य मन्त्री श्री रघुरामैया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Teaching of Law in Universities in Indian Languages

*425. **Shri Parkash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether any further progress has been made in respect of teaching law in universities through the media of Indian languages·

(b) the time by which this work is likely to be completed;

(c) whether any scheme has been drawn up to prepare text-books for this purpose; and

(d) if so, the time by which that scheme would be implemented ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). A statement listing the names of the universities which have an Indian language as medium of instruction for law courses is laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d). The Government of India have initiated a Centrally Sponsored Scheme from 1968-69 for production of literature in regional languages at the first degree level with a view to facilitating early adoption of regional languages as media of instruction in various subjects including law. Under this Scheme a sum of Re. 1 crore will be made available to the State Government (excluding Nagaland and Union Territories) who will under-take Production of University level Books in association with the Universities situated within their jurisdiction.

So far as writing of law books at first degree level in Hindi is concerned, the Ministry of law has taken up this responsibility.

Statement

(i) The following are the names of the Universities having one of the Indian languages as medium of instruction for Law courses (Position as on 1-1-1968) :

	Name of the University	Language *
1.	Agra	Hindi
2.	Gorakhpur	Hindi
3.	Gujarat	Gujarati, Hindi
4.	Indore	Hindi
5.	Jiwaji	Hindi
6.	Jodhpur	Hindi
7.	Kanpur	Hindi
8.	Lucknow	Hindi
9.	Meerut	Hindi
10.	Rajasthan	Hindi
11.	Ravi Shankar	Hindi

12.	Saurashtra	Gujarati, Hindi
13.	South Gujarat	Gujarati. Hindi
14.	Udaipur	Hindi
15.	Vikram	Hindi

( ) The medium of instruction mentioned above is in addition to English.

(ii) In the following Universities though the medium of instruction is English, students have the option to write the answers in Hindi:

Allahabad, Banaras, Jabalpur, Jodhpur, Meerut, Rajasthan and Saugar.

खान अब्दुल गफ्फार खां को नेहरू पुरस्कार

*426. श्री महेन्द्र दिग्विजय नाथ :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हेम बरुआ :
श्री समर गुह :
श्री ना० ग० देवघरे :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जूरी ने नेहरू पुरस्कार के लिये वर्ष 1967 के लिए खान अब्दुल गफ्फार खां को चुना है;

(ख) यदि हां, तो धन के रूप में इस पुरस्कार का मूल्य कितना है;

(ग) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके कब भारत में आने की आशा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) यह पुरस्कार नकद एक लाख रुपये की रकम का है, जिसे विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है ।

(ग) और (घ). भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली ने खान अब्दुल गफ्फार खां को एक औपचारिक निमंत्रण-पत्र भेजा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । उनके उत्तर को ध्यान में रखते हुए उनके दौरे का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ।

भारी वर्षा के कारण नेफा में सड़क संचार बन्द होना

*427. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफा में अनेक स्थानों में मई, 1969 में भारी वर्षा के कारण सड़क संचार बिल्कुल रुक गया था और बहुत से क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी;

(ख) उन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इससे सरकार को कितनी हानि हुई है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सीमा सड़क विकास बोर्ड और नेफा प्रशासन से प्राप्त समाचारों से संकेत मिलता है कि एक सड़क को छोड़कर नेफा के क्षेत्र में सड़क संचार में कोई खास टूट-फूट नहीं हुई है जिसका कारण मई, 1969 में हुई वर्षा को समझा जा सके। इस सड़क पर भी भू-स्खलन के कारण सड़क-संचार में जो बाधा पड़ी थी, उसे भी उसी दिन दोपहर को साफ कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त मई, 1969 में आई बाढ़ के कारण लोहित जिले में नमसाई के पास लेकोंग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था। भारी वर्षा के कारण भू-स्खलन की घटना, जिसके कारण कभी-कभी यातायात में भी बाधा पड़ जाती है, इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पहाड़ी सड़कों में होना स्वाभाविक है, विशेषकर हिमालय पर्वत की श्रृंखला और तराई वाले क्षेत्रों में जो भूतत्वीय दृष्टि से बहुत नये हैं। अतः आदमियों और मशीनों की सहायता से भू-स्खलनों को साफ करना, मोड़ों का निर्माण और जहां आवश्यक हो अस्थाई पुलों का निर्माण करना इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था कायम करने के लिये किये जाने वाले सामान्य उपाय हैं। मई, 1969 में वर्षा के परिणामस्वरूप सरकार को कोई विशेष हानि नहीं हुई है।

विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल

*428. **श्री अदिचन :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई महीने में विशाखापटनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारियों ने लम्बी हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं और उनकी हड़ताल समाप्त होने से पूर्व उन्हें क्या आश्वासन दिये गये थे और इन आश्वासनों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के लगभग 3,800 मजदूर और 970 कर्मचारी (3900 मजदूरों और 1200 कर्मचारियों में से) 1 मई, 1969 से 27 मई, 1969 तक हड़ताल पर थे।

(ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड श्रमिक संघ और कर्मचारी संस्था द्वारा 17 अप्रैल, 1969 को शिपयार्ड के प्रबन्धकों को दिया गया हड़ताल का नोटिस निम्न बातों के बारे में था :

1. यार्ड भत्ता।
2. नगदी सम्भालने का भत्ता।
3. इस्पात संयत्र में आन्दोलन के चार दिन की मजूरी का भुगतान।
4. शिशिक्षु / जौनीमैन के पदनाम वाले 79 कर्मचारों की बर्खास्तगी।

5. 3 पेंटरों की बर्खास्तगी और 2 पेंटरों की मुअत्तिली ।
6. 14 नैमित्तिक पेंटरों की बर्खास्तगी ।
7. 2 पेंटरों की बर्खास्तगी ।
8. कर्मचारियों की नियम विरुद्ध तरक्की ।
9. चेतावनियों के कारण पदोन्नति के मामले में श्रमिकों के साथ किया गया अन्याय ।
10. कारखाना अधिनियम का उल्लंघन ।
11. 2 घंटे के लिये काम छोड़कर बाहर जाने के लिये 6 दिन की मंजूरी का काटना ।
12. कर्मचारियों को बाहर की ड्यूटी का भत्ता ।
13. कर्मचारियों को तंग करना और उनका तबादला ।
14. श्रमिक संघ के सभापति को तंग करना ।
15. केवल सिविल असिटेंट सर्जन के चिकित्सा प्रमाण-पत्र मांगने का आग्रह ।
16. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबन्ध की तकनीकी और न्यायिक जांच ।
17. श्रमिक संघ के अवैतनिक सभापति और कर्मचारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी की मुअत्तिली ।

मैंने 26 मई, 1969 को शिपयार्ड के श्रमिक संघ / कर्मचारी संस्था से हड़ताल समाप्त करने के लिये अपील की थी ताकि शिपयार्ड के प्रबन्धक और निदेशक मंडल उनकी मांगों पर विचार कर सकें ।

श्रमिक संघ और कर्मचारी संस्था ने बिना शर्त के हडताल समाप्त कर दी तथा श्रमिक और कर्मचारी 28 मई, 1969 को ड्यूटी पर आ गये । बाद में श्रमिक संघ । कर्मचारी संस्था ने अनुशासन के मामलों के बारे में की गई मांगों पर पुनर्विचार के लिये अभ्यावेदन किया । इन मांगों पर शिपयार्ड के प्रबन्धक पुनर्विचार कर रहे हैं । भत्तों की अदायगी सम्बन्धी मांगों को एक सदस्यीय समिति को निर्देशन किया जायेगा जिसकी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में मजूरी ढ़ांचे के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्ति करने का विचार है । शिपयार्ड के प्रबन्धकों द्वारा कुछ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है ।

पंजाबी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार

*429. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा पटियाला स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार, जो 1883 से पंजाब विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता था, बढ़ा दिया है;

(ख) क्या हरियाणा सरकार का विचार भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सारे हरियाणा राज्य पर लागू करने का है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पंजाब सरकार ने, एक अधिसूचना के जरिए, पटियाला, संगरूर, भटिण्डा और रोपड़ जिलों में स्थित 19 कालेजों को, जो पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में थे, **पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया है।**

(ख) और (ग). कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र पूरे राज्य में लागू करने का हरियाणा सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*430. **श्री हेमराज :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह कार्य मंत्री 9 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1591 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी प्रबन्ध के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन सिफारिशों को कार्यान्विति के लिये स्वीकार किया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा एंग्लो-फ्रेंच सुपरसानिक एयरलाइनर कनकार्ड की खरीद

*431. **श्री सीताराम केसरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया 10 देशों की 16 एयर लाइन्स में एक है जिसने एंग्लो-फ्रेंच सुपरसानिक एयरलाइनर कनकार्ड खरीदने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने एंग्लो-फ्रेंच कनकोर्ड को दो वितरण-स्थितियों (डिलीवरी पोजिशन्स) का आरक्षण किया है। विमानों को खरीदने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है, और इस क्षेत्र में की जा रही प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के लिये राज्य का दर्जा

*432. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के विषय पर गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर चौथी लोक सभा के सातवें सत्र में चर्चा के दौरान गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किये गये आश्वासन के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश (संसद सदस्यों सहित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कोई संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और यदि हां, तो इस परामर्श का क्या परिणाम निकला, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक निर्णय कर लिये जाने की आशा है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है । अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय क्षमता के प्रश्न पर प्रथमतः हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने का विचार है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या हिमाचल प्रदेश वित्तीय रूप से सक्षम है अथवा नहीं ।

केरल में मुस्लिम-बहुल जिला

*433. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जयसिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मुस्लिम लीग के अनुरोध पर मुस्लिम-बहुल जिला मालापुरम बना दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयत्न के पीछे वे लोग हैं जो पहले पाकिस्तान समर्थक रहे हैं और जिन्होंने भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रचार किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कालीकट से 30 किलोमीटर दूरी पर कुनदोट्टी हवाई अड्डे के निर्माण के कारण पाकिस्तान दक्षिण में मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के साथ विमान और समुद्र के द्वारा आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकता है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के मुख्य मन्त्री का ध्यान इस प्रकार के खतरों तथा साम्प्रदायिक तनाव की ओर दिलाया है जिसके बढ़ने की संभावना है, विशेषकर जबकि यह बात राष्ट्रीय एकता परिषद के संकल्प के विरुद्ध है; और

(ङ) यदि हाँ, तो केरल के मुख्य मन्त्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में हुआ पत्र व्यवहार सभा पटल पर रखेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मालापुरम का जिला केवल प्रशासनिक आधार पर बनाया गया है ।

(ग) लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 44 दिनांक 19 फरवरी, 1969 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) जिलों को बनाने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं । मालापुरम जिला बनाये जाने के संबंध में राज्य के मुख्य मन्त्री को कोई पत्र नहीं भेजा गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Administration of Colleges in Delhi

*434. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi ;
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Chief Executive Councillor of Delhi that according to the opinion of legal experts the colleges of the Delhi Administration should be under the control of the Administration and the recent decision taken by Delhi University in this regard should be reconsidered; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The Chief Executive Councillor, Delhi has, **Inter-alia**, represented to the **resident**, who is the Visitor of Delhi University, against the amendments suggested by the University to Statute 30 relating to "Colleges and Institutions" and requested that the visitor should withhold his approval to the same.

(b) The matter is under consideration.

छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना मे सड़क परिवहन का विकास

*435. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोर उपेक्षा किये जाने के कारण छोटा नागपुर और संथाल परगना में सड़क परिवहन की स्थिति अत्यन्त खराब है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस अधिकतम पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में सड़क परिवहन का विकास करने के लिये अलग से कुछ धन राशि नियत करेगी ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) चूंकि सड़क परिवहन के संबंध में कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों का है प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विकास मुख्य रूप से बिहार सरकार से संबंध रखता है। अपेक्षित सूचना उनसे प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Anti-National Activities in Amdaman and other Islands

*436. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that anti-national elements in India have decided to make Laccadives, Andaman and Nicobar and other Islands as centres of their activities and they are going there in large numbers;

(b) if so, the steps taken by Governmens to make security arrangements in those Islands;

(c) the number of those Islands; and

(d) the number of Islands on which security posts have been set up ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government have no such information.

(b) However, Government have taken adequate steps for the security of the islands and review them from time to time.

(c) An authoritative survey of the islands is being carried out by the Naval Hydrographic Office. According to information available at present, the total number of islands referred to in part (a) of the question is 371, excluding coral reefs, sand banks etc.

(d) There are 9 police stations and 65 police posts at different places in the Andaman Nicobar islands. In the Laccadive, Minicoy, and Amindivi islands, there are police stations in 9 islands.

Sales Tax in Delhi

*437. **Shri Onkar Singh :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware of the fact that Delhi serves as a distribution centre for its adjoining States but the trade in the Delhi is suffering on account of heavy sales tax;

(b) the particulars of those parties from which Government have received representations for the withdrawal or reduction of Sales Tax and inter-State Sales Tax and the action taken by Government thereon; and

(c) whether Government propose to appoint a Committee for suggesting the names of those articles on which Sales Tax may be reduced with a view to promote trade and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (c) . Delhi does serve as a distributive centre to some extent for supply of goods to the adjoining States, but it is not correct to say that trade in Delhi has suffered on account of heavy incidence of sales tax. On the contrary, the rates of sales tax in Delhi are generally lower compared to the rates prevailing in the adjoining States and the trade in Delhi has been showing improvement year after year. The question of appointing any committee, therefore, does not arise.

(b) A statement is laid on the Table of the House giving the particulars as reported by the Delhi Administration. It was agreed in the Regional Council for the Northern Zone appointed under a Presidential Order dated the 1st February 1968, that no State/Union Territory should reduce sales tax on any items without placing the proposals before the Council. Action will be taken on these representations, after obtaining the advice of the Regional Council.

Statement

(b) The particulars of representations received from the trade associations for reduction of sales tax are given below:-

1. *From Indo-Afghan Chamber of Commerce and Chamber of Dry Fruits dealers in Delhi for the reduction in the rate of Central Sales Tax on the inter-State Sales of dry fruit in Delhi.

2. *From the Delhi Factory Owners Federation, New Delhi, United Chamber of trade Association, Delhi and M/s. Panna Lal Girdhari Lal, Delhi for the reduction in the rate of Central Sales Tax on the inter-State Sales of Zari goods in Delhi.

3, **From Kirana Committee, Khari Baoli, Delhi for the reduction in the rate of Central Sales Tax on Kirana goods on the inter-State sales.

4. *From the Delhi Bottles and Cork Merchants Association, Delhi and other trade interests for the reductions in the rate of sales tax on the sales of "Glassware".

5. *From the Central Photographic Association, Delhi for the reduction in the rate of sales tax on Photograph.

6. *From the General Machinery Merchants Association (Regd.) Delhi regarding exemption from sales tax on the sales of Pumping sets.

7. **From the Delhi Electric Traders Association, Delhi for the reduction in the increased rate of sales tax on electric goods.

8. **From M/s. Banwari Lal Dev Raj & Co. for the reduction in the rate of sales tax on the sales of Woollen Carpet Yarn.

9. **From the Delhi Feed Formulators Association, New Delhi for the exemption of Poultry Feed from the levy of sales tax.

10. **From the Ballimaran Leather Cloth Merchants Association, Delhi for the exemption from the levy of sales tax on the sales of rubberised cloth etc.

11. *From the Akhil Delhi Pan Sellers Association, Delhi for the exemption of prepared pan from the levy of sales tax.

12. **From the Bag Merchants and Whole Sales Dealers Association for exemption from sales tax on the sales of cloth bags.

**The Delhi Administration proposes to place these matters before the Regional Council for Sales Tax for the Northern Zone at its next meeting.

Complete Integration of Kashmir with Union of India

*438. **Shri Valmiki Choudhury :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3151 on the 14 March, 1969 and state :

(a) the further steps being taken or proposed to be taken under Article No. 370 of the Constitution for complete integration of Kashmir with the Union of India in deference to the consensus of opinion of the Lok Sabha as expressed during the discussions on the Constitution Amendment Bill introduced by Shri Prakash Vir Shastri; and

(b) the time by which this object is likely to be achieved and in what way ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) In the discussions on the Constitution Amendment Bill, reffered to, there was general agreement with the Government's stand that further Provisions of the Constitution should be gradually applied to that State.

Proposal for the application of certain further provisions of the Constitution are under consideration.

(b) The application of further provisions of the Constitution, under article 370 is a continuing process and it is not possible to say by what time all the provisions of the Constitution can be applied.

Correspondence in Hindi in Education Ministry

*439. **Shri J. Sunder Lal .**
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has started correspondence in Hindi with all its Attached and Subordinate Offices in the Hindi-speaking areas and at least one Hindi typist and one Hindi typewriter have been provided in each Section of his Ministry; and

(b) if not, the reasons therefor and whether it is attributable to the anti-Hindi attitude of his Ministry ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) . There is no anti-Hindi attitude in the Ministry of Education and Youth Services. However, it is a fact that with the exception of the Central Hindi Directorate, this Ministry has not been initiating correspondence in Hindi with its attached and subordinate offices situated in Hindi areas; nor are these subordinate attached offices initiating correspondence in Hindi on their own or are sending replies in Hindi, though they have been expressly permitted to do so under an Office Memorandum dated the 21st April, 1962 issued by the Ministry of Home Affairs. The Ministry proposes to issue instructions to the subordinate and attached offices to take action on the permission given to them in the Ministry of Home Affairs Memorandum referred to earlier and simultaneously the Ministry itself will start providing Hindi translations of English letters when these are sent to attached and subordinate offices in Hindi-speaking areas. This is subject to the provision of the needed number of additional translators and typists.

2. Forty-one Hindi typewriters have so far been supplied to the various sections of the Ministry and arrangements have also been made to provide the services of Hindi typists. The question of supply of further Hindi typewriters and typists is under examination. Meanwhile, the strength of Hindi translators has recently been increased.

Appointment of a Commission for Reorganisation of States

***440. Shri Ram Charan :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Mangalathumadam :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view the deteriorating condition of Telengana and a demand for a separate State, people in other States also have started making the same demand;

(b) if so, whether Government propose, to appoint a Commission for the reorganisation of States; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) . Such demands have been voiced from time to time in certain relatively economically backward areas on the ground that their backwardness will disappear, if these areas are carved into sepapate States. These demands cannot be linked to the situation in Telengana. Government are of the view that accelarated development and not the creation of separate States would meet the real needs of the people of the backward areas. The question of appointing a Commission for re-organisation of States, therefore, does not arise.

छोटा नागपुर में सी० आई० ए० की गति-विधियां

*441 श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि छोटा नागपुर के आदिम जातीय क्षेत्र, विशेषकर रांची में, सी० आई० ए० की गतिविधियां जोरों से चल रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके एजेंट बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वे अनेक मजदूर संघों और आदिवासी संगठनों में घुस गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे कुछ ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं की आड में काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) से (ग) . सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात राज्य में सड़क विकास कार्यक्रम

*442. **श्री द० रा० परमार :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क विकास कार्यक्रम में जहां तक नागपुर योजना का सम्बन्ध है गुजरात राज्य अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ गया है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सड़क विकास कार्यक्रम में गुजरात राज्य को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग) . भारत में उत्तर महायुद्ध सड़क विकास पर मुख्य इंजीनियरों की रिपोर्ट जिसे नागपुर योजना के नाम से पुकारा जाता है, 1943 में स्वतंत्रता से पूर्व बनायी गयी थी और उस समय के राज्यपाल सूबों की आवश्यकताओं का हवाला देती है। जहां तक महाराजाओं की रियासतों का सम्बन्ध है रिपोर्ट में केवल एक मुश्त राशि की व्यवस्था सुझायी है । गुजरात राज्य जैसा वह 1960 में गठित किया गया, में भूतपूर्व बम्बई राज्य और अनेक रजवाड़ों से मिलकर बना है और वर्तमान गुजरात राज्य में सड़क विकास में हुई प्रगति का इस राज्य के लिए 1943 की नागपुर योजना में जो सुझाया गया है उससे तुलना करना कठिन है ।

तथापि गुजरात में सड़क संचार के विकास की आवश्यकता के बारे सरकार पूरी तरह सचेत है । जैसे दूसरे राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में भी है और उपलब्ध साधनों के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सारे सम्भव उपाय कर रही है ।

वर्तमान गुजरात राज्य में 1960 से जब से इसका गठन किया गया था, 31-3-68 तक सड़क लम्बाई में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य की चौथी योजना में सड़क विकास के लिए 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो देश के अधिकांश राज्यों के लिए की गयी प्रस्तावित व्यवस्था की तुलना में अत्यधिक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत सरकार के सीधे दायित्व में है और उपलब्ध साधनों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किये जा रहे हैं और चौथी योजना में इस प्रकार विकसित किये जाऐंगे, के अलावा भारत सरकार गुजरात राज्य में अनेक विशिष्ट सड़कों के विकास पर रुपया लगाती रही है जिनपर गत 4 वर्षों में 19 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

Demands of Delhi teachers

*443. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Educatiou aud Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the assurance given to the teachers of Delhi for accepting their demands have not been fulfilled so far;

(b) whether it is also a fact that the discontented teachers are thinking of launching an agitation again at the time of commencement of the Session;

(c) whether it is also a fact that the work relating to the fixation of the pension of the retired teachers is also progressing very slowly and in a very faulty manner; and

(d) if so, the measures being contemplated by Government to settle all these disputes and the time by which they would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakat Darshan) : (a) No such blanket assurances were given.

(b) The Government is not aware of it.

(c) and (d). The Delhi Administration have intimated that the pension cases of Government school teachers have not been delayed. As regards teachers of aided schools, detailed rules relating to the Contributory Provident Fund-Cum-Insurance-Cum-Pension Scheme, applicable to teachers in all Union Territories, have been issued on 19th July, 1969, and it is expected that the pension cases of such teachers would now be processed by Union Territory Administrations and audit authorities expeditiously.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण मान्यता से वंचित किये गये कर्मचारी संघों को मान्यता देना

*444 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के संघों, संगठनों तथा महासंघों को अब पुनः मान्यता प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों के साथ समुचित विचार-विमर्श न होने के कारण कर्मचारियों की मांगे इकट्ठी होती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार तथा कर्मचारियों के मध्य बातचीत की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का वापस बुलाया जाना

#445 श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को वापस बुलाने की पश्चिमी बंगाल की प्रार्थना मान ली गई है; और

(ख) यदि नही, तो राज्य से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को वापस न बुलाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया था कि उस राज्य में स्थित केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की यूनिटें अब उनके लिए उपलब्ध न समझी जायं।

उत्तर प्रदेश में दंगे

#446. श्री एन० शिवप्पा :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्र० क० देव :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा अन्य स्थानों पर हाल में दंगे हुए थे;

(ख) क्या साम्प्रदायिक दंगों में अनेक लोग मारे गये थे;

(ग) क्या भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवत राव चव्हाण) : (क) से (घ) . राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1969 में आजमगढ़ जिले के मऊ नाथ भंजन में तथा लखनऊ में दंगे हुए थे । मऊ नाथ भंजन के दगे विभिन्न समुदायों के लड़कों के बीच एक छोटे से झगड़े से 29 मार्च, 1969 को आरम्भ हुए और अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक जारी रहे । इन दंगों में ग्यारह व्यक्ति मरे । इन घटनाओं के सम्बन्ध में 288 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । राजस्व मण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य श्री एम० लाल द्वारा एक जांच की गई है जिसका प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है । लखनऊ में उपद्रव 26 मई, 1969 को आरम्भ हुआ जिसमें पांच व्यक्ति मारे गये और लगभग 3 लाख रुपये की सम्पत्ति लूट ली गई अथवा नष्ट कर दी गई । उन घटनाओं के सम्बन्ध में 482 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

लद्दाख का विकास

*447. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख पर होने वाले कुल व्यय का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार वहन करती है;

(ख) क्या लद्दाख की तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान आवंटित धन राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस कारण कौन से विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) 1960—61 से 1968—69 तक की अवधि से लद्दाख में योजनागत परियोजनाओं के संबंध में आय का 90 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था । चौथी योजना की अवधि (1969—74) के दौरान सहायता के इस तरीके को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रशासनिक और योजनेतर परियोजनाओं की अवस्था में केन्द्रीय सहायता व्यय के 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दी जाती है । किन्तु मुख्य अधिकारियों के लिये, और उनके सहायक कर्मचारियों के लिये तथा उनके लिये अत्यावश्यक कार्यालय व रिहायशी स्थान के लिये केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है ।

(ख) और (ग). विकास के निम्नलिखित शीर्षों के अधीन परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यय में कुछ कमी थी—

(1) कृषि
(2) सामुदायिक विकास
(3) पशु पालन
(4) शिक्षा
(5) स्वास्थ्य
(6) कुटीर उद्योग
(7) वन

(8) सहकारिता

(9) प्रचार

(10) विद्युत-ग्रामीण

(11) मत्स्य पालन

(12) खनिज विकास

(13) इन्जीनियरी परियोजनाएं-सड़क तथा पुल, सिंचाई प्रायोजनाएं आदि ।

कमी का कारण मुख्य रूप से कुशल व अकुशल कर्मचारियों का अभाव और जिले में काम करने का बहुत थोड़ा समय का होना था ।

Construction of Bridge Over Ganga at Sabbalpur Near Patna

*448. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an American firm M/s. J. G. White Engineering Corporation, who were asked to submit a feasibility report regarding the construction of a bridge over Ganga near Patna, had made a selection of the said site for the purpose ;

(b) if so, whether the Central Government or the State Government is responsible for the delay in its execution ;

(c) whether it is also a fact that the Government of Bihar had written to Dr. V. K. R. V. Rao, the then Minister of Shipping and Transport in January 1969, stressing the importance of this bridge and also urging him to take expeditious steps in the matter ;

(d) if so, the amount of the Central assistance and the time by which, the same is likely to be given for the purpose ;

(e) if not, whether Central Government have any objection in regard to the construction of the bridge ; and

(f) if so, the nature theerof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes, Sir. Sabbalpur site has been given the first preference in the said report

(b) Being a State project, Government of Bihar are primarily responsible for the proposed bridge. It is learnt from them that although they had, earlier decided to locate the bridge near Sabbalpur, the matter is now being further examined by the State Government in the light of the recommendations of the Committee set up by the Legislative Council of Bihar favouring the location of the bridge near Gulzarbagh which was given second preference in the said report.

(c) Yes, Sir. but the reference related mainly to the provision of financial assistance while stressing the importance of this bridge.

(d) A non-plan loan subject to a maximum sum of Rs 4.5 crores, has been agreed to be given to meet 50% expenditure on the bridge in question during the Fourth Plan period, the remaining 50% being met by the State Government from within their overall State Fourth Plan expenditure ceiling.

(e) and (f) . Do not arise.

देशबन्धु कालेज, दिल्ली में अनियमितताएं

*449. श्री मधु लिमये : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशबन्धु कालेज, नई दिल्ली में शिक्षकों के चयन बैठकों का कार्यवाही सारांश लिखने आदि सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में एक संसत्सदस्य से उन्हें प्राप्त हुए ज्ञापन-पत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा मन्त्रालय के अवर सचिव को कालेज बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है हालाँकि अधिनियम/परम्परा के अनुसार सचिव को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये और दिल्ली विश्वविद्यालय, मन्त्रालय के किसी अधिकारी को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के विरुद्ध है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को सभी बात बताये बिना उनकी कार्यवाही के समर्थन में विधि मन्त्रालय की राय ले ली गई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) श्री मधु लिमये ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 1969 के पत्र के साथ उनको देशबन्धु कालेज के अध्यापकों से प्राप्त हुए बिना हस्ताक्षर वाले एक ज्ञापन की प्रति और एक अध्यापक द्वारा कालेज के प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष को भेजे गये पत्र की एक प्रति भी प्रेषित की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि सलैक्शन ग्रेड में कालेज के शिक्षकों को रखने के बारे में चयन स्थिति की सिफारिशों को प्रशासन बोर्ड ने बदल दिया था। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया था।

श्री मधु लिमये के बाद के पत्र में 11 फरवरी, 1969 को हुई बोर्ड की बैठक के कार्यवाही वृतांत के मसौदे में जो कालेज के प्रिंसिपल ने बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में तैयार किया था अध्यक्ष द्वारा किये गये कुछ परिवर्तनों की ओर मेरा ध्यान खींचा गया था।

(ख) वर्तमान अतिरिक्त सचिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था जब कि वह कुछ महीनों के लिये सचिव के पद पर काम कर रहा था और विधि मन्त्रालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों से विचार विमर्श करने के बाद अग्रिम आदेशों तक कालेज के प्रशासन की योजना के उपबन्धों के अनुसार उसे अध्यक्ष रहने दिया गया। उसकी अपनी प्रार्थना पर अतिरिक्त सचिव को इस पद से मुक्त कर दिया गया है और मन्त्रालय के सचिव को 10 जुलाई, 1969 से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि सचिव प्रशासन बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है अथवा नहीं। विश्वविद्यालय को मन्त्रालय के किसी अधिकारी के बोर्ड का अध्यक्ष होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष रखने का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा पांच 'पायलट' परियोजनाओं का शुरू किया जाना

*450. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने पांच 'पायलट' परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ; और

(ग) इन योजनाओं से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) : विवरण समापटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1608/69]

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों को परेशान किया जाना तथा उनका शोषण

2721. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में आने वाले विदेशी पर्यटक को जिस परेशानी तथा शोषण का सामना करना पड़ता है उस बारे में 14 जून, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी हां।

(ख) पर्यटन विभाग को उन तत्वों की जानकारी है जो पर्यटकों के लिये उद्वेगकारी होते हैं, तथा जब कभी और जहां तक सम्भव होता है वे उनके निराकरण के लिए उपचारी

उपाय करते रहते हैं। हवाई अड्डों पर सरलीकरण सुविधाओं (फेसिलिटेशन सर्विसेज) में सुधार करने के प्रयत्न जारी हैं। जब किसी दुकानदार के विरुद्ध शिकायत प्रामाणिक सिद्ध हो जाती है तो उस का नाम पर्यटकों के लिये अनुमोदित दुकानों की सूची में से निकाल दिया जाता है। जब कभी दंडनीय अपराध (क्रिमिनल आफेंस) के आरोप प्राप्त होते हैं तो पुलिस से तुरन्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है। लोगों को विदेशी पर्यटकों के प्रति भद्र एवं विनीत व्यवहार करने का परामर्श देने के लिये एक प्रचार अभियान का भी आयोजन किया गया है।

मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन

2722. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ग) उस आन्दोलन में सम्पत्ति की कितनी हानि हुई थी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : तमिल नाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र राज्य में हिन्दी विरोधी प्रदर्शन जनवरी, 1968 से भाग ले रहे थे। तमिल नाडु के स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की मृत्यु को ध्यान में रख कर फरवरी, 1969 में प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों की हिंसात्मक गतिविधियों के कारण 1968 में केन्द्रीय सम्पत्ति को 26,913 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया जाता है।

Common Script for National Integration

2723. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the steps being taken to evolve a language (script) on the basis of which national integration may be achieved and the whole country may be integrated into oneness and the time limit fixed for it ; and

(b) whether an All-India convention is being convened for achieving the said purpose and if so, the venue of such a conference and the date on which it is likely to be convened ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There is no proposal under Government's consideration to evolve a common script for the whole country.

(b) No, Sir.

गांधी तथा गालिब शताब्दी समारोह के लिए चन्दा

2724. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गालिब शताब्दी समारोह के लिये किन-किन फर्मों तथा उद्योग पतियों ने चन्दा दिया और प्रत्येक ने कितना-कितना दिया है ; और

(ख) गांधी शताब्दी समारोह के लिये किन-किन फर्मों तथा उद्योग पतियों ने चन्दा दिया है और प्रत्येक ने कितना-कितना दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अखिल भारतीय गालिब शताब्दी समिति को, जो कि गालिब शताब्दी समारोहों का संयोजन कर रही है, अब तक निम्नलिखित फर्मों तथा उद्योगपतियों से चन्दा प्राप्त हुआ है :–

	रु० पै०
मैसर्स इब्राहिम एण्ड कम्पनी, मद्रास ।	2,000 00
श्री जे० एच० वोरान, झरिया ।	1,501.00
श्री वी० हिम्मत सिंहका आफ इन्डियन कार्बन लिमिटेड, कलकत्ता ।	5,000.00
मैसर्स टाटा इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।	25,000.00
श्री भरत राम, देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स, देहली ।	15,000.00
सर्वश्रीमोहनलाल छगनलाल आफ स्टैण्डर्ड ड्रम्स एण्ड बरल्स, बम्बई ।	5,000.00
मैसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।	50,000.00
मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।	50,000.00
मैसर्स एशियन इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बम्बई ।	15,000.00
मैसर्स आयल इण्डिया लि०, नई दिल्ली ।	5,000.00
मैसर्स प्रीमेयर रबड़ केवल इन्डस्ट्रीज बम्बई ।	5,001.00
मैसर्स डनलप इण्डिया लि०, कलकत्ता ।	5,000.00
मैसर्स प्रीमेयर टायर्स ।	1,111.00
मैसर्स हर्षद रे (प्रा०) लिमिटेड ।	1,111.00
मैसर्स डोडसल (प्रा०) लिमिटेड ।	1,111.00
मैसर्स बेकनवोल्फ न्यू इण्डिया इंजीनियरिंग वर्क्स ।	15,000.00
मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स ।	1,000.00
मैसर्स आयल इण्डिया लि०	1,000.00
योग रुपये	2,03,835.00

(ख) गांधी शताब्दी समारोह का दायित्व एक राष्ट्रीय समिति पर है जो एक पंजीकृत संस्था है। राष्ट्रीय समिति, गांधी शताब्दी समारोह को मनाने के लिए जनता से धन एकत्रित नहीं कर रही है।

पुरातत्वीय वस्तुओं आदि की विदेशों को तस्करी

2725. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1965–68 के दौरान पुरातत्वीय वस्तुओं, मूर्तियों चित्रों, सिक्कों, आभूषणों, दुलर्भ पुस्तकों, देवी-देवताओं के आभूषणों, देवी देवताओं की मूर्तियों आदि जैसी कितनी वस्तुओं को चोरी छिपे विदेशों को ले जाया गया है ;

(ख) असुरक्षित मन्दिरों से दुर्लभ वास्तुकला के नमूनों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं की चोरी करने वाले गिरोहों के साथ मिल कर काम करने वाली बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास की फर्मों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनमें से अब तक कितने व्यक्ति पकड़े गये है और कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ;

(ग) भारत में और विदेशों में कला के कीमत नमूने कितनी-कितनी संख्या में बरामद किये गये हैं और उनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना है ;

(घ) किन राज्यों में आम तौर पर चोरियां होती हैं और उसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा कड़ी जांच न किये जाने की स्थिति में पुरातत्वीय वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण रोक लगाने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) पुरातत्वीय वस्तुओं की तस्करी के केवल दो मामले सरकार के नोटिस में आए हैं दुलादेव मन्दिर खजुराहों से एक ब्रैकेट चित्र तथा विजयावाड़ा के निकटस्थ स्तूप से एक मूर्ति।

(ख) ऐसी फर्मों अथवा व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत के सीमा शुल्क विभाग द्वारा 666 बहुमूल्य कला वस्तुएं बरामद की गयी हैं। उनकी कीमतों का निर्धारण करना कठिन है किन्तु 5 लाख रुपये से अधिक की हैं।

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में; मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में वहां अधिक चोरियां हुई है जहां विस्तृत क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्मारक फैले पड़े हैं और उनकी ठीक-ठीक निगरानी तथा पहरों की व्यवस्थाएं करना कठिन है।

(ङ) पुरावेशष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत वैध निर्यात लाइसेन्स के बिना पुरातत्व वस्तुओं के निर्यात को पहले ही रोक दिया है। पुरातत्व वस्तुओं के अवैध

निर्यात के विरुद्ध प्रभावशाली रोक के लिये कई दीर्घकालीन तथा न्यूनावधि-उपायों को अपनाने के लिये विचार किया जा रहा है ।

विदेशी पर्यटकों से धोखाधड़ी

2726. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नागरिकों द्वारा अनेक विदेशी पर्यटकों को ठगा गया है और उनको यात्री चैकों और पैसों आदि से वंचित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार कितने पर्यटकों को हानि उठानी पड़ी है ;

(ग) उनके नाम क्या हैं और उनको कितनी नकदी तथा अन्य वस्तुओं से हाथ धोना पड़ा है ; और

(घ) उक्त अवधि में यदि कोई अपराधी पकड़े गये हों, तथा उन्हें सजा दी गई हो तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) : हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैन्ड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना विवरण में दी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1590/69]

शेष राज्यों से सूचना एकत्रिक की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में पर्यटक

2727. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक विभाग द्वारा पर्यटक पुलिस दल बनाये जाने के प्रस्ताव को योजना आयोग ने क्यों अस्वीकार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को इस बात का पता नहीं है कि भारत में हथियार रखने के लिये लाइसेन्स लेना आवश्यक है ; और

(ग) भारत में विभिन्न प्रकार के शोषण से वास्तविक विदेशी पर्यटकों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) योजना आयोग का विचार है कि पुलिस सहायता प्रदान करना गृह मन्त्रालय का कार्य है, अतः 'पर्यटक पुलिस' की स्थापना के लिये की जाने वाली कोई भी वित्त व्यवस्था गृह मन्त्रालय के योजना परिव्यय में समाविष्ट होनी चाहिये ।

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना 'पर्यटक सूचना पुस्तिका में दी गई है, जिसका भारत और विदेशों में बड़े व्यापक रूप से वितरण किया गया है ।

(ग) वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत, पर्यटकों को शोषण के विरुद्ध सभी सम्भव संरक्षण दिये जाते हैं । इसमें होटलों, यात्रा अभिकर्त्ताओं, पर्यटक कार परिचालकों शिकार के साज-सामान आयोजकों, गाइडों, दुकानों के सम्बन्ध में विभाग के विनियामक कार्य शामिल हैं, ताकि पर्यटक केवल अनुमोदित अभिकरणों से ही व्यवहार करें । जब कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

भारत-हंगरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान

2728. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुदापेस्ट में हाल में भारत हंगरी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में दि वर्षीय करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा, विज्ञान तथा औद्योगिकी, कला और संस्कृति, फिल्म, प्रेस, रेडियों, तथा टेलीवीजन, खेलकूद के क्षेत्रों में, विशेषज्ञों, छात्रों, अनुसन्धान विद्यार्थियों, कलाकारों, प्रदर्शनियों, अभिनय दलों के दौरों तथा प्रकाशनों, रेडियो तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों, खेलकूद की टीमों, वैज्ञानिक प्रकाशनों, नमूनों आदि के विनिमय के माध्यम से पारस्परिक आदान प्रदान सहयोग कार्यक्रम शामिल हैं ।

जयपुर में वेनर फारेन्सिक अनुसन्धान संस्थान के निदेशक श्री रमेशचन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी

2729. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा प्रायोजित 'वेनर फोरेन्सिफ अनुसंधान संस्थान' के निदेशक डा० रमेशचन्द्र शर्मा को हाल में जयपुर में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गए हैं ;

(ग) क्या इस निदेशक की गिरफ्तारी के पश्चात इस संगठन की गतिविधियों की कोई जांच कराई गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन निष्कर्षों के आधार पर इस संगठन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Language Used in Princely States Before Independence

2730. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that before the Independence in former princely States namely Central Province, Gwalior, Jaipur and Indore etc. Hindi was used for all official purposes ;

(b) if so, whether it is also a fact that the medium of education on Osmania University was Urdu and the Court language was also Urdu in Hyderabad, a princely State prior to its accession to India ;

(c) if so, whether it is also a fact that Hindi and Urdu were replaced by English after the Independence ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Statement indicating the position is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 1591/69]**

(b) Yes, Sir.

(c) A Statement indicating the position is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 1591/69]**

(d) The question of adopting the use of any language for Offical purposes of a State is to be decided by the State Legislature under Articles 345 of the Constitution.

चण्डीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं की कमी

2731. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के गांवों को चण्डीगढ़ के शहरी क्षेत्र की भांति मिट्टी के तेल, चीनी, चावल तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . चण्डीगढ़ के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कोई विभिन्नता नही है । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 900 ग्राम तथा 450 ग्राम चीनी प्रति यूनिट दी जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चीनी का कोटा कम दिया जाता है क्योंकि वे स्थानीय रूप से उत्पादित देसी चीनी और गुड़ भी प्रयोग में लाते हैं ।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर का अवकाश बढ़ाया जाना

2732 श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर का अवकाश दो महीने के लिए और बढ़ा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यपाल ने अवकाश बढ़ाये जाने के लिए आवेदन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो अपने आवेदन में अवकाश बढ़ाये जाने के लिए उन्होंने क्या कारण दिये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). श्री धर्मवीर ने आरम्भ में 1 अप्रैल 1969 के विश्राम और स्वास्थ्य लाभ के लिये 2 महीने की छुट्टी मांगी थी और बाद में छुट्टी दो महीने के लिए बढ़ाने के लिए निवेदन किया था। छुट्टी और छुट्टी बढ़ाने के लिये मंजूरी दे दी गई थी।

Number of Women Judges

2733. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri J. Sundar Lal :
Shri S. M. Krishna :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state

(a) the total number of women judges in the High Courts and Supreme Court of India, separately ;

(b) whether it is a fact that the number of women judges is negligible in these courts in comparison to men ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) None.

(b) and (c) . Do not arise.

दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

2734. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों में 2000 से अधिक मामले अनिर्णीत पड़े हैं और इनमे से कुछ मामले छः वर्षों से भी अधिक पुराने हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले पांच वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं जिसमें अपराधी एक बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है ;

(ग) छः वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या सामान्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि बड़ी संख्या में पड़े अनिर्णीत मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके और कि भविष्य में उनकी संख्या न बढ़े ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) एक ।

(ग) दिल्ली में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों तथा सिविल और जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायालयों में छः वर्षों से अधिक अवधि से अनिर्णीत मामलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है-

मजिस्ट्रेटों के न्यायालय : मामलों की संख्या 13 है ।

बिलम्ब के कारण ये हैं :—

(1)	उच्च न्यायालय । उच्चतम न्यायालय द्वारा पास किये गये स्थगन आदेशों के कारण	6
(2)	अन्वेषण अधिकारी को विदेश से बुलाना पड़ा	2
(3)	अपराधी की बार बार अनुपस्थिति	1
(4)	अपराधी की तंत्रिका भंग हो गई थी और मानसिक रूप से विकृत बताया जाता है	4 (सब मामले सबंधित है

सिविल जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय

मामलों की संख्या 450 है । उनके अलग अलग आंकड़े नीचे दिये गये हैं —

(1)	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 30 के अधीन सत्र मामले	2
(2)	भ्रष्टाचार के मामले	3
(3)	फौजदारी पुनरीक्षण	12
(4)	सिवील अपील	16
(5)	नियमित मुकदमें	275
(6)	डी० पी० एक्ट के मामले	23
(7)	परिसमापन अधिनियम के मामले	3
(8)	समवाय अधिनियम के मामले	4

(9)	भूमि अर्जन के मामले	56
(10)	नियमित निष्पादन	9
(11)	लघुवादों के मुकदमें	1
(12)	दिवाला अधिनियम	2
(13)	अभिभावकता अधिनियम के मामले	14
(14)	बेदखली तथा मानक किराये के मामले	30

अन्य बातों के साथ साथ इस सम्बन्ध में बिलम्ब का एक मुख्य कारण प्रधान अधिष्ठाताओं के पास अत्यधिक कार्य का होना है ।

(घ) अनिर्णीत मामलों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित बैठकों की जाती हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामलों के, विशेषतया पुराने मामलों के, शीघ्र निपटाने के लिए हिदायतों का पालन किया जाता है, न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ।

दिल्ली के क्रान्तिकारियों के लिए स्मारक

2735. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के क्रान्तिकारी मास्टर अमीर चन्द, भाई बाल मुकुन्द तथा मास्टर अवध बिहारी को हार्डिग बम्ब काण्ड के सम्बन्ध में 8 मई, 1915 को दिल्ली में फांसी दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति को कई वर्ष हो जाने पर भी उनकी स्मृति में कोई स्मारक नहीं बनाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में एक उपर्युक्त स्मारक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) यह सच है कि मास्टर अमीर चन्द, भाई बालमुकुन्द तथा मास्टर अवध बिहारी उस मामले में अन्तर्ग्रस्त थे जिसमें 23 दिसम्बर, 1912 को दिल्ली में राजसी प्रवेश करते समय वायसराय पर एक बम फैंका गया था । मास्टर अमीरचन्द को 8 मई, 1915 को दिल्ली में तथा भाई बालमुकुन्द और मास्टर अवध विहारी को 11 मई, 1915 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई ।

मास्टर अमीर चन्द दिल्ली में तथा मास्टर अवध बिहारी और भाई बालमुकुन्द पंजाब में क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे ।

(ख) 1857 से 1947 तक स्वतन्त्रता संग्राम में मारे गये सभी सेनानियों का एक स्मारक लाल किले के सामने बनाये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान अनुमान है कि उक्त स्मारक अप्रैल, 1972 तक तैयार हो जायगा।

(ग) से (ङ) : दिल्ली महा नगर परिषद ने अपने सकल्प दिनांक 1-6-1967 में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि दिल्ली बम काण्ड के शहीदों के सम्मान में 50,000 रु० की लागत का एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाय। तदनुसार दिल्ली प्रशासन ने 1967-68 के बजट में आवश्यक प्रावधान करने के लिए इस मन्त्रालय को लिखा था। किन्तु, बाद में मुख्य कार्यकारी परिषद द्वारा पुनर्विचार किये जाने पर इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया।

संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार अयोग की रिपोर्ट

2736. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री 28 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों सम्मन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के बारे में जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यरूप देने के लिए किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) सरकार अभी सिफारिशों की जांच कर रही है और इसलिये इस स्थित में उन्हें क्रियान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में जनगणना अधीक्षकों का सम्मेलन

2737. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1969 में, नई दिल्ली में जनगणना-अधीक्षकों का एक पांच दिन का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या निर्णय लिये गये थे ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) और (ग). सम्मेलन में आगामी जन-गणना की कार्यवाही के अनेक तकनीकी तथा प्रशासनिक पहलुओं के ब्यौरों के बारे में चर्चा की गई। लिये गये मुख्य निर्णयों का सम्बन्ध निम्न विषयों से था :-

(1) जनगणना के क्षेत्र से परिवार नियोजन संबंधी प्रश्नों का विलोपन, क्योंकि पूर्व-परीक्षण अनुभव से मालूम हुआ कि जनगणना में उनको जांचना कठिन है और उत्तर विश्वसनीय नहीं हैं।

( ) विभिन्न धारणाओं और परिभाषाओं जैसे ग्रामीण/शहरी प्रव्रजन, व्यवसाय तथा उद्योग इत्यादि को अन्तिम रूप दिया जाना।

(3) 1970 में मकान-सूची और पहली मार्च, 1971 को संदर्भ तारीख मानकर फरवरी-मार्च, 1971 में मुख्य जनसंख्या परिगणना अनुसूची को परखना।

(4) जन प्रशासनिक क्षेत्रों को, जिनके लिए जनसंख्या के आंकड़ों की व्यवस्था करनी है तथा स्थाननिर्धारण संहिता की प्रणाली इत्यादि को अन्तिम रूप देना।

(5) परिगणना अभिकरण, भर्ती तथा प्रशिक्षण प्रक्रियाए

उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के मन्दिर की खुदाई

2738. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 मई, 1969 के टाइम्स आफ इण्डिया में छपे इस आशय के समाचारों को देखा है जिस में यह बताया गया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में भिटारी के प्राचीन स्थान पर गुप्त काल के धार्मिक (मन्दिर) की खुदाई की गई; और

(ख) यदि हां, तो इस मन्दिर तथा वहां पर खुदाई से प्राप्त अन्य वस्तुओं का का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह)। (क) जी हां।

(ख) एक ईटों से बने और बलुआ-पत्थर के खम्बों वाले एक धार्मिक स्थान, जिसका माप 2.40 वर्ग मीटर है, पता लगा है। यद्यपि उक्त धार्मिक स्थान का ऊपरी ढांचा उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके जमीन के खाके से पता चलता है कि वह गुप्त-काल के ईटों से बने अन्य मन्दिरों के समान है। उक्त धार्मिक स्थानों की एक और विशेषता है, अर्थात प्रवेश-द्वार पर एक खम्बों बाला मण्डप। गुप्त-कालीन खड़े हुए स्तम्ब के पास खुदाई करने से पत्थर-जड़े हुए फर्श के वृहत्त ढांचे के अवशेष मिले। ढांचे के पूरे ब्यौरों का पता लगाना बाकी है। जो कुछ सामग्री मिली है उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं (1) पत्थर के खुदे हुए पैनल जिसमें कृष्ण उपाख्यान से एक दृश्य दर्शाया गया है; और (2) श्री कुमार गुप्त उपाख्यान के खुदे हुए ईटों के कुछ टुकड़े।

Amount Sanctioned For Tourism During Fourth Plan

2739. **Shri Prem Chand Varma** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the amount asked for by his Ministry from Planning Commission for tourism during the Fourth Five Year plan and the amount sanctioned;

(b) the amount proposed to be spent in different States in India;

(c) the important places in India which will be developed as Tourist Centres during the plan period; and

(d) the details of the programmes and the amount to be spent on them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Originally, an allocatian of Rs. 84.76 crores for Tourism was asked for. This included Rs. 9.50 crores for State Schemes. Final allocation is Rs. 25 crores for the Centre and Rs. 9.15 crores for the States.

(b) to (d) : Tourism schemes are not taken up State-wise but on the intrinsic actual or potential value as a tourist centre of each area. A statement showing the broad break-up of expenditure on Tourism schemes during the Fourth Plan period is attached.

Schemes Under The Fourth Five Year Plan

		Total Plan (Rs. in lakhs)	
(a) Department of Tourism :			
I.	(a) Integrated Development Schemes.	172.00	
	(b) Spillover Schemes	127.19	
	(c) Tourist Reception Centres.	50.00	
II.	**Provision and Improvement of Facilities at :**		
	(a) Important Tourist Centres	164.00	
	(b) Selected places of cultural tourism	40.00	
	(c) Game Sanctuaries	50.00	
	(d) Buddhist Centres	20.00	
III.	**Son-et-lumiere**	40.00	
IV.	Youth Hostels	25.00	
V.	Development of important road routes and grants-in-aid to Automobile Associations.	20.00	
VI.	(a) Organisation	50.00	
	(b) Training	10.00	
VII.	(a) Statisical Surveys	15.00	
	(b) Films for television	10.00	
VIII.	(a) Grants-in-aid to Sports Clubs.	15.00	
	(b) Subvention-to I. T. D. C.	15.00	
IX.	(a) Hotel Loans	500.00	
	(b) Transport Loans	100.00	1423.19
(b) India Tourism Development Corporation			
I.	(a) Continuing Schemes for Construction of Hotels	100.00	
	(b) New Schemes for the Construction of Hotels	525.00	
	(c) Construction of Motels	150.00	

II.	Renovation and Expansion of Tourist Bungalows/ Restaurants.	100.00	
III.	Setting up of Tranport Units	150.00	
IV.	Construction of Tourist Cottages	50.00	
V.	Construction and improvement of Duty Free shops.	2.00	1077.00
	GRAND TOTAL.....		2510.19

पर्यटन विभाग के प्रबन्धाधीन होटल

2740. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग के अधीन इस समय कौन-कौन से होटल हैं और उनमें से प्रत्येक में सरकार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है,

(ख) 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रत्येक होटल के कार्य संचालन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन होटलों के कार्य सचालन में सुधार करने तथा इनका स्तर ऊंचा उठाये रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) : पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के अधीन होटलों के नाम, सरकार द्वारा उनमें लगायी गयी पूंजी और 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में उनके अन्तिम कार्य-संचालन परिणामों का विवरण निम्न प्रकार है :–

होटल का नाम	लाभ(+) अथवा हानि(–)	31-3-1969 को सरकार द्वारा लगायी गयी निधियों की स्थिति	
		इक्विटी पूंजी रु०	सरकार द्वारा किये गये ऋण रु०
अशोका	(+) 11,62,000	2,34,14,900	1,35,00,000
जनपथ	(+) 3,10,000		
रणजीत	(—) 7,53,000	23,94,000	30,87,500
लोधी	(—) 4,17,000		

(ग) होटलों के प्रबंन्ध और सेवा से स्तर को सुधारने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । खान-पान प्रबन्ध और भोजन (डायनिंग) की सुविधाओं की वृद्धि एवं बिल बनाने तथा खाद्य और पेय पदार्थों पर नियंत्रण की नई प्रणालियों और क्रिया विधायों का प्रचालन तथा होटलों में कई बड़े पैमाने पर नवीकरण कार्य भी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का रिवाल्विंग टावर

2741. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोका होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के रिवाल्विंग टावर का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : रिवाल्विंग टावर के निर्माण का काम, जिसकी ऊंचाई प्रारम्भ में 150 फीट की रखने की योजना थी, मार्च, 1968 में अंकटाड सम्मेलन के अवसर पर चौथी मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचने पर इस आधार पर स्थगित कर दिया गया कि टावर की ऊंचाई का पुनरालोकन करने के बाद निर्माण कार्य पुनरारम्भ किया जायेगा । इस प्रकार के पुनरालोकन से यह निष्कर्ष निकला कि इसमें बैठे दर्शक नगर का निर्बाध दृश्य तभी देख सकेंगे जबकि टावर की न्यूनतम ऊंचाई 227 फीट होगी । अशोक होटल्स के बोर्ड ने सारे मामले पर पुनर्विचार के बाद यह महसूस किया कि टावर को पूरा करने के लिये 33.58 लाख रुपये की अनुमानित अतिरिक्त पूंजी लगाने के बाद यह प्रायोजना लाभकारी सिद्ध नहीं होगी । इसके अलावा, प्रबन्धक-वर्ग ने एक बड़े पैमाने पर होटल के नवीकरण की योजना प्रारम्भ की है जिसमें बहुत बड़ा व्यय सम्मिलित है । इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए बोर्ड ने 'रिवाल्विंग टावर' के निर्माण कार्य को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय किया है । अभी तक इस पर 14.13 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है जिसमें पहले से आयातित 'रिवाल्विंग मकैनिज्म' पर खर्च हुए 4.88 लाख रुपये और पहले से आर्डर दिए गए स्वदेशी लिफ्टों तथा वातानुकूलन-उपकरणों पर खर्च हुए 2.62 लाख भी शामिल है। अब तक निर्मित टावर की तीसरी मंजिल के लेवल तक के स्थान अंशतः स्टोर और अंशतः कार्यालय के रूप में प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है । जिन उपकरणों के पहले से आर्डर दिए जा चुके हैं, उनके ऐसे वैकल्पिक उपयोग की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है जिससे अधिकाधिक वाणिज्यिक लाभ हो सके ।

मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार के नियम दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू होना

2742. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री 16 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन के साथ मंहगाई भत्ता मिलाने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के नियमों को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर लागू करने के प्रश्न को स्वीकार लिया है;

(ख) क्या कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है और उनके वेतन निर्धारित कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उन नियमों को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) . महगाई भत्ते के एक भाग को वेतन के रूप में समझने का लाभ अब दिल्ली प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के दरों पर महगाई भत्ता ले रहे हैं ।

23 जून, 1969 को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये थे। इसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण सम्मिलित नहीं है । किन्तु कुछ कर्मचारी नगर भत्ते और मकान किराये भत्ते आदि की अधिक राशि प्राप्त करेंगे और उन्हें बकाया अदा किया जायगा । दिल्ली प्रशासन ने बकाया के भुगतान के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं ।

फरीदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन पर किया गया सरकारी व्यय

2743. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष फरीदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के सम्बन्ध में कांग्रेसी नेताओं के लिये प्रबन्ध करने पर सरकारी विभागों द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) कांग्रेस प्रदर्शनी में स्टाल लगाने पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ग) कितने तथा किन-किन विभाग ने वहां पर स्टाल लगाये थे और उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और उनको कितना यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया गया; और

(घ) ऐसे ही अवसरों पर पिछले तीन वर्षों में किये गये व्यय की तुलना में यह व्यय कितना कम अथवा अधिक था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) . राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Report of Randhawa Committee on National Museum

2744. Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale ;
Shri Ranjeet Singh :
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state -

(a) whether the report of the Randhawa Committee on National Museum and Archaeological Remains has since been received; and

(b) if so, the main recommendations thereof and the reaction of Government thereto ?

Minister of Eduction and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir, the report of the Central Museums Review Committee has been received.

(b) Does not arise.

सड़क परिवहन का विकास

2745. **श्री कार्तिक उरांव** . क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में परिवहन के विकास में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि किसी क्षेत्र के विकास की मूलभूत आवश्यकता उस क्षेत्र में सड़क परिवहन के विकास पर निर्भर करती है; और

(ग) यदि हां, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़क परिवहन का बहुत कम विकास होने के क्या कारण हैं, जबकि क्षेत्र अब उद्योगों का केन्द्र है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ग) : सड़क परिवहन के सम्बन्ध में कार्यकारी प्राधिकार राज्य सरकारों पर है । विस्तृत जांच के बारे में सूचना जो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अनुकरण करती है एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उस क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विकास से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है ।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में पर्यटन का विकास

2746. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के पिछड़े आदिमजातीय क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग). जी, नहीं । बिहार में अन्य स्थानों की अपेक्षा छोटा नागपुर और संथाल परगना में पर्यटक यातायात

विषयक सम्भावनाओं के कम होने से, तथा साधनों के भी परिसीमित होने के कारण भारत सरकार के लिये इस क्षेत्र का चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की गतिविधियां

2747. श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य की समिति ने राज्य में नक्सलवादियों की गतिविधियों के बारे में जांच की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री बी० सत्यनारायण ने 600 आदिमजातीय व्यक्तियों की एक सेना बना ली है और उनको पश्चिम बंगाल से सहायता मिल रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने भी मामले की जांच की है; और

(घ) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या मूल्यांकन है तथा उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये तथा कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्री मान् ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के पास श्री बी० सत्यनारायण के अनुयायियों की वास्तविक संख्या और पश्चिम बंगाल के उग्रवादियों से प्राप्त सहायक सामग्री के बारे कोई सूचना नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार को भी पश्चिम बंगाल से भेजी गई किसी सहायता के बारे कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जबकि केन्द्रीय सरकार ने कोई औपचारिक जांच नहीं की है, हम आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति से निरन्तर सम्पर्क में रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री काकुलम, खम्मम, करीम नगर वारन्गल जिलों में उग्रवादी सक्रिय रहे हैं जबकि गुन्तुर, नलगोंडा तथा विशाखापटनम जिलों में भी कुछ छुट-पुट घटनाएं ध्यान में आई हैं। श्री काकुलम जिले में पार्वती पुरम, पालकोंडा तथा पाथेपटनम तालुकों के एजेन्सी क्षेत्रों को आन्ध्र प्रदेश उपद्रव दमन अधिनियम, 1848 के अन्तर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने के लिये आन्ध्र प्रदेश विशेष पुलिस और केन्द्रीय रक्षित पुलिस की प्रबल टुकड़िया इन क्षेत्रों में नियुक्त की गई हैं । राज्य सरकार भी पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वित कार्यवाही के लिये आवश्यक कदम उठा रही है ।

Misuse of Articles Meant for Free Distribution for Proselytisation by Christian Missionaries.

2748. **Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sunder Lal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports to the effect that foreign Christian Missionaries in India misuse for proselytisation the articles received from America and other countries for free distribution as a relief measure;

(b) if so, whether Government propose to have the distribution of such articles in future through its own machinery or through indigenous special institutions; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): **(a)** Reports to some such effect have been received in respect of a few foreign Christian missionaries.

(b) and (c) : It is difficult to take over the distribution of gift articles received by the foreign christian missionaries under arrangements made by them privately with organisation/individuals abroad. As regards gift articles received under agreements with the foreign governments, the situation is being watched and Government will take appropriate action when considered necessary.

Selection of 'Miss India'

2749. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sundar Lal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government consider that the selection of Miss India, in which marks are allotted for each part of a woman's body, as is done in beauty contests held in the hedonic Western countries, is in consonance with the Indian culture and traditions;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) if not, whether Government propose to impose restrictions on Beauty contests in India; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): **(a)** and (b) : The Government have no information as to how such marks are awarded.

(c) and (d) : It is expected that organisers of such contests would take into account the prevailing sentiments and standards in such matters. Where such contests involve infringement of provisions of any existing law, State Governments would take suitable notice.

Foreign Tourists Visiting India

2750. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri J. Sundar Lal :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the proportion or the percentage of foreign tourists visiting India in relation to the total number of tourists all over the world during the year 1967-68;

(b) the total number and the percentage of foreign tourists that visited other countries during the said period; and

(c) the steps being taken by Government to attract larger number of foreign tourists to India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b)

		1967	1968
(i)	Total number of tourists in the world.	137 millions	141 millions
(ii)	Those who visited India	179,565	188,820
(iii)	(ii) as percentage of (i)	0.13%	0.13%
(iv)	Those who visited other countries.	136,820,435	140,811,180
(v)	(iv) as percentage of (i)	99.87%	99.87%

(c) Government have drawn up a comprehensive programme for the development of the tourist plant and infra-structure. This includes improvement of existing facilities, creating more facilities in accommodation and transport, setting up holiday resorts, liberalisation of charter and visa regulations, and improved and more comprehensive publicity abroad.

Spirtual Hunger of Young Men in India

2751. Shri P. M Sayeed :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri J. Sunder Lal :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Educatiou and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether while inagurating the National Youth Service Camp on the 18th May 1969 at Rajghat in New Delhi, he stated that the young men in India were spiritually hungry;

(b) whether Government have drawn any nation-wide scheme for satisfying this hunger;

(c) whether Government also propose to make any change in the system of education in this regard; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reason therefor ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. Rao) : (a) to (d) . While addressing a National Service Camp on 17-5-69 at Rajghat, the Education Minister, inter alia. mentioned that "there is hunger, there is a want, they are not getting out of life anything like fulfilling excitement; anything like if I may use perhaps what may be considered to be balanced phrase they are not getting what may be called spiritual excitement; they are not getting what I will say a collective and integrated emotional excitement."

2. This reference was made in the context that dnring the freedom struggle the student community felt proud that they were also participating to the great national movement for the liberation of the country along with others That phase having been over, it has become of paramount importance to involve the student community with various tasks for national development in such a way that they should have a sense of participation and achievement. One ot the aims of the national service of which the camp was a part was to bring the academic community through a common programme to involve themselves in national development efforts.

3. The scheme is under preparation and will be finalised shortly.

मृत्यु दण्ड समाप्त करना

2752. **श्री प० मु० सईद**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री का० सुन्दर लाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने मांग की है कि मृत्यु दण्ड को समाप्त किया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई देशों में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उन देशों में हत्या के मामलों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जी हां, श्रीमान्

(ख) और (ग) : भारत सरकार की जानकारी के अनुसार बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, हालैंड, आइस लैंड, इटली, लक्जूमबर्ग, नार्वे, पुर्तगाल, रूमानिया, स्वीडन, स्वीटजरलैंड तथा पश्चिम जर्मनी में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है। यू० के० में 1965 में मृत्यु दण्ड को पांच वर्षों के लिए स्थगित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के छः राज्यों में कोई मृत्यु दण्ड नहीं हैं। इन देशों में इस व्यवस्था से हत्या की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित सूचना उपलब्ध नही है।

(घ) और (ङ) . विधि आयोग ने मृत्यु दण्ड को समाप्त करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है तथा अपने 25 वें प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। प्रतिवेदन

अभी छप रहा है । कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, मृत्यु दण्ड को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रश्न के बारे में विधि अयोग की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जायेगी ।

Arrest of Pro-Chinese Elements in Nefa

2753. Shri J. Sunderlal :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 4554 on the 28th March, 1969 and state :

(a) whether the investigation has since been completed into the arrests of pro-Chinese persons in Nefa;

(b(if so, the findings of the investigation;

(c) if not, the time by which the investigation is likly to be completed; and

(d) the reason for so much delay in the completions of the investigation ?

Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : According to information furnished by the N. E. F. A. Administration three persons were found to be Chinese spies. Thep have been served whith detention orders. Three other persons are being kept under strict surveillance.

Time-Limit For Continuance Of English

2754. Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to fix a time-limit in consultation with the non-Hindi speaking States in respect of the provision contained in the official languages Act for continuance of English alongwith Hindi as the offical language, so that the use of English could be stopped completly after that date and official work could be done in Indian languages; and

(b) if so, the details therefor and the steps being taken in that direction ?

Minister of State in the Minintry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Implementation of National Policy on Education in Public Schools

2755. Shri J. Sunder Lal
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 6641 on the 30th August, 1968 and state ;

(a) whether it is a fact that the purpose behind the delay in replying to Question in Parliament regarding Public Schools by the Ministry of Education is to allow these schools to continue;

(b) whether it is proposed to bring the Public Schools within the purview of the concerned State Governments in view of the fact that State Governments are responsible for implementing the national policy on education in their respective areas through public Schools; and

(c) if not, the way in which State Governments can get the national educational pattern adopted by these schools ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) Questions on Public Schools are replied to as soon as the requisite information is available; and no reply is delayed deliberately.

(b) Government has no such proposal under consideration at present.

(c) Persuation, pressure of public opinion, and the authority of withdrawal of recognition are possible within which State Governments can get the national educational pattern adopted by these schools. Any legislation for the purpose has to be consistent with the provisions of the constitution with regard to protections of rights of minorities.

Agreements concluded in Hindi

2756. Shri J. Sunder Lal :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swrup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of countries with whom agreements etc. were concluded in Hindi (during 1968-69);

(b) whether all the sections in which more than 80 percent employees are Hindi-knowing have switched over to the use of Hindi for the disposal of their entire office work;

(c) whether Government have started imparting training in Hindi Shorthand and Hindi Typewriting to 50 percent of those English Stenographer and English typists who have working knowledge of Hindi and to 20 per cent of those employees of all categories who do not have working knowledge of Hinei; and

(d) the number of foreign scholarships for the year 1969-70 advertised so far as also the number out of them of those whose rules and regulations were sent to the students in Hindi after having been translated in his ministry ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) two

(b) No, Sir.

(c) The instructions are that 50 per cent of the English Stenographers/Stenotypists and typists and 20 per cent of employees of all categories excluding Class IV employees who do not have a working knowledge of Hindi, should be deputed respectively for Hindi Stenography and Hindi typewriting and Hindi classes under the Hindi Teaching

Scheme. The nominations are being made in accordance with the existing instructions.

(d) 290 foreign scholarships were advertised during 1969-70. Regulations giving the broad conditions of eligibility for these scholarships were advertised both in Hindi and English. General instructions for the candidates were sent both in English and Hindi.

Orders regarding use of Hindi in Education Ministry

2757. Shri J. Sunder Lal :
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the details of the orders issued regarding the use of Hindi which were issued during the tenure of his predecessor and which have now been cancelled ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : A statement is attached.

Statement

In February, 1969, certain orders were issued by this Ministry on use of Hindi for official pruposes, based on the misunderstanding that the details mentioned in the orders were put up by the Ministry of Education before the Central Hindi Committee and that Committee approved the same. On an enquiry from the Ministry of Home Affairs, which services the Central Hindi Committee, it was found that such details, were neither put up nor approved by the Central Hindi Committee. Consequently, the orders issued were cancelled.

2. Ministry of Home Affairs is responsible for the subject relating to the progressive use of Hindi for official purposes. The details contained in the cancelled orders, as listed below excepting Item No. 12, are all covered by appropriate orders issued by the Ministry of Home Affairs, from time to time which have all been circulated to all Section of the Ministry of Education and Youth Services and to its attached and subordinate offices and they are being complied with. No amended orders on Item 12 were issued, because what was stated in Item 12 in the cancelled orders was contrary to the provisions of the Offical Languages Act 1967. Section 3 of the Offical Languages Act lays down that notwithstanding the expiration of the period of 15 years from the commencement of the Constitution, the English language as from the appointed date continue to be used in addition to Hindi. No time limit was prescribed. It was, therefore, incorrect to specify that after five years, all correspondence and forms relating to national scholarships and external scholarships should be in diglot form for a period of five years and thereafter the forms etc. for national scholarships be done in Hindi alone.

The details of the cancelled orders are as follows :

Programme Relating to use of Hindi for Offical Furposes in the Ministry of Education and Youth Survices,

1968-69

1. Work relating to all meetings like the meetings of the Hindi Shiksha Samiti and other similar bodies.
2. All work in those Sections, where more than 80% staff have the working knowledge of Hindi. (If need be, the remaining staff having no knowledge of

Hindi be changed by Hindi knowing staff. A list of such Sections has been prepared).

3. The existing Hindi typewriters/Hindi typists be so distributed that they serve the needs of the maximum number of Sections as far as possible.

4. 50% of the English Stenographers/English typists who have the working knowledge of Hindi be deputed for training in Hindi Stenography/Hindi typing.

5. 20% of the employees of all the categories who do not have working knowledge of Hindi be sent for training under the Hindi Teaching Scheme.

6. Correspondence with all the Ministries be done in Hindi except in cases involving important legal aspect being referred to the Ministry of law.

7. Correspondence with all the attached and subordinate offices of the Ministery in Hindi-speaking-areas be done in Hindi.

8. Help literature in Hindi be made available to all the members of the staff who are required to do nothing and drafting of files.

1969-70

9. At least one Hindi typist and one Hindi typewriter be provided in each Section.

10. Ordinary contracts and agreement be prepared in Hindi also for a period of 5 years when the position may be reviwed and suitable decision taken for future.

11. Agreements etc. with foreign. Govts who may express their willingness, be entered into Hindi only and with others both in Hindi and English for a period of 5 years when the position be reviwed and suitable decisions taken.

12. All correspondence and forms regarding National Scholarships and External Scholarships should be in diglot form for a period of 5 years ; thereafter forms etc. for National Scholarships be done in Hindi alone.

others

13. The successful trainees (in courses) be so posted that their knowledge of Hindi/Hindi typewriting/Hindi Stenography is untilised.

14. Correspondence in Hindi with other Attached/Subordinate offices.

15. Correspondence with the Ministry of Law in Hindi in cases involving important legal aspects.

16. All publications brought out by the Ministry and its Divisions should also be published in Hindi.

Raising of Ragistration Fee Under Copyright Act

2758. Shri Ram Charan : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the registration fee is fixed at Rs. 2 under the Copyright Act whereas the expenditure on the registration of each copy comes to more then two rupees; and

(b) if so, whether Government propose to raise the registration fee from Rs 2 to Rs. 50/--?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir, excluding Films and Records for which fee is Rs. 10 and Rs. 4 respectively. Expenditure in all cases comes to more than Rs. 2.

(b) No such proposal at present is under consideration.

केन्द्रीय सचिवालय का विकेन्द्रीकरण

2759. **श्री राम चरण** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा विकेन्द्रीकरण से सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य करने वाले बहुत से लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय निर्माण तथा आवास विभाग के साथ मिला दिया गया है परन्तु उनका संवर्ग अलग रखा गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के बहुत से स्थायी सहायक, जो निर्माण तथा आवास विभाग में कार्य करने वाले सहायकों से जूनियर हैं, अस्थायी रूप से अनुभाग अधिकारियों के रूप में कार्य-कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या इस असंगति को दूर करने के लिये कोई निर्णय करने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या पूर्ति विभाग का संवर्ग अभी तक निर्माण तथा आवास विभाग के साथ है जबकि वह एक अलग मंत्रालय है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मंत्रालय विभागों के हाल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप संवर्गों को फिर से बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । विकेन्द्रित व्यवस्था में पदोन्नतियों में असमानता आवश्यभावी है । वर्तमान विकेन्द्रित व्यवस्था में कुछ रूप-भेद करने की सम्भावना परीक्षाधीन है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । पहले सम्भरण विभाग निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग का भाग था और मंत्रालयों, विभागों के हाल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप संवर्गों को फिर से बनाने के प्रश्न को अन्तिम रूप दिये जाने तक उसका ही भाग बना रहेगा ।

Foreign Missionaries in India

2760. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Sraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names and addresses of foreign missionaries against whom complaints were received or whose activities were not found above board during the last three years;

(b) the nature of complaints received against them and the action taken by Government thereon;

(c) whether Government are aware that Father Ferrer collected lakhs of rupees for carrying on this activities in India and aborad;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the number of new missionaries who were permitted to come to India and the number of those who were permitted to stay even after the expiry of their period during the last 3 years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) . Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) . The Catholic Mission at Manmad of which Fr. Ferrer was in-charge during his previous stay in India, was reported to have received financial assistance of about Rs. 76 lakhs.

Some reports have been received that Fr. Ferrer intended to create a Trust of Rs. 1.20 crores for various projects for the uplift of the poor sections in Andhra Pradesh by collecting donations of Rs. 120/-per person. No information is, however, available of his having actually collected donations.

(e) The number of new foreign missionaries for whom the grant of Visas/Special endorsoments was authorised during the last three years was 826. Foreign missionaries are. like other foreigners who come on long term visas, allowed extension of stay in India on a year to year basis for sufficieut reasons and provided they are otherwise eligible.

Action on Letters Addressed to LT. Governor, Delhi

2761. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) the total number of letters received by the Lt. Governor of Delhi from the Members of Parliament, Metropolitan Councillors and the Members of Municipal Corporation during the last one year, the number of letters out of them which were acknowledged and of those which were replied to after taking necessary action thereon.

(b) whether it is a fact that Members are not informed of the action taken on many of their letters; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The position is reported to be as follows:

	M.Ps	M. M. Cs	M. M. C. D
Received	146	105	111
Acknowledged	132	89	102
Replied or explained personally	134	91	101

(b) Replies are reported to have been invariably sent or Members apprised of the result of investigation.

(c) Does not arise.

Introduction of Bills in Hindi

2762. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the progress made in respect of introducing original text of Bills and Acts in Hindi in Parliament;

(b) the time by which this practice would be adopted; and

(c) the main hurdles in taking the said decision ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) . Steps have been taken to provide adequate administrative arrangements to facilitate the enforcement of Section 5 (2) of the Official Languages Act soon. The question of making provision for introduction of original text of Bills in Hindi also will be considered after experience has been gained of the working of the aforesaid Section of the Act. At this stage it is not possible to indicate as to by when Government would be in a position to do so.

(c) A Statement listing out the difficulties is attached.

Statement

1. Paucity of requisite technical personnel in Hindi drafting of Bills.
2. Adequate Hindi printing capacity is not available presently. Steps are being taken to augment it.
3. Hindi translation of all Central Acts and Rules is not available. A bulk of these publications is still to be rendered into Hindi and given authoritative character. This work is also in progress. It would be anomalous if the amending Bill is introduced in Hindi of a Bill of which no authorised translation in Hindi has been published.
4. Adequate stock of legal expressions in Hindi to convey complex ideas in the form of Bills is not available. Necessary work in this regard is in progress.
5. As Hindi drafting is not yet in vogue, in spite of the care of the Draftsmen in preparing the Hindi version of any Bill, the meaning that may be assigned by the Court in interpreting a particular provision in the Bill may be different from the one assigned by the Court to the corresponding provision in the English version. In such a situatian it may well nigh be impossible to resolve the conflict, unless it is provided by law that the text in a particular language will be the authoritative version; for obvious reasons it might be difficult to do so.

Foreign Money used in General Election

2763. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Avtar Sharama :
Dr. Sushila Nayar :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri S. S. Kothari :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Yashwant Singh Kusawah :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Onkar Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Sharda Nand :
Shri N. K. P. Salve :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those policical parties which obtained financial assistance referred to in the statement made by him in Parliament last time regarding the financial assistance received by certain policical parties from foreign countries during the General Eclections in the country;

(b) the approximate amount of financial assistance received from foreign countries as per official information; and

(c) the measures being taken by Government to curb this practice in future ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) . I will invite reference to the statement made in the House by the Home Minister on May 14, 1969 in regard to the report of the Intelligence Bureau on the use of foreign money in the last General Eelection and for other purposes.

Differences Between Union Government and Punjab Government Regarding Punjab University

2764. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state .

(a) whether it is a fact that differences have arisen between the Union Government and the State Government on the question of Punjab University situated in Chandigarh;

(b) if so, the main reason therefor; and

(c) the difficulties being encountered by Government in declaring the Punjab University situated in Chandigarh, a Union Territory, a Central University ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) . There has been a difference of opinion about the legality of the Notification issued by the Punjab Government transferring 19 colleges situated in the districts of Patiala. Sangrur, Bhatinda and Rupar from the Punjab University, Chandigarh to the Punjabi University, Patiala with effect from June 30, 1969.

(c) There is no such proposal under the consideration of the Government at present.

Christian Missionaries

2765. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention his been drawn to the news published in newspapers dated the 28th May, 1969 in which it has been reported that in Jaipur the Archbishop, Dr. J. S. Williams, has charged Government for giving recognition to the Indian Church Act, 1927 and thereby maintaining the loyalty of the Christians in India to Britain;

(b) whether it is a fact that Dr. Williams has also stated that there is some political conspiracy behind the activities of religious conversions by the Christian Missionaries; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen the news-item. It may, however, be stated that the Indian Church Act, 1927 was repealed by the British Statutes (Application to India) Repeal Act, 1960. Therefore, the question of its influencing the loyalty of the Christians in India does not arise.

(b) Yes, Sir, according to the news-item referred to above.

(c) No information is available to show that the statement is based on facts.

गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथ की सम्पर्क लाइनें

2766. श्री द० र० परमार : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात राज्य में तटवर्ती राजपथ सम्पर्क लाइनों की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी अनुमानतः कितनी लागत होगी और इन कार्यों को आरम्भ तथा पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा।

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री) इकबाल सिंह: (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को दिये गये धन के नियन्त्रण में से वित्तपोषित किये जाने के लिये मई, 1968 में भारत सरकार ने निम्न दो निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी थी;

कार्यों का नाम	अनुमानित लागत रूपये
1. राजकीय राजपथ के पादरा-जम्बूसर भड़ौच रोड सेक्शन को जोड़ने के लिये दाहेडा-गधार आमोद सड़क का निर्माण	40,00 000

2. भावनगर जिले में भावनगर अहमदाबाद सड़क (राजकीय राजपथ) के लघु मार्ग का निर्माण 47,22,800

इन कार्यों के प्रारम्भ करने और पूरा करने के बारे में वर्तमान स्थिति, जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है, इस प्रकार है :

मद (1) उपरोक्त : सड़क का मार्ग अनुमोदित कर दिया गया है। नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, कार्य 3 वर्ष के अन्दर (लगभग 1971-72 तक) पूरा हो जायेगा।

मद (2) उपरोक्त। इस कार्य के लिये टेंडर मांगे गये हैं। कार्य लगभग 1971-72 तक पूरा हो जायेगा।

चौथी योजना में समाज सेवा तथा खेलों की व्यवस्था

2767 श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैडिट कोर को वैकल्पिक कर दिये जाने के बाद चौथी योजना में में वैकल्पिक समाज सेवा तथा खेलों के लिये कोई व्यवस्था न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) यदि समाज सेवा के सम्बन्ध में, वित्तीय कठिनाई है तो क्या सरकार का विचार निर्धारित पेटर्न के अनुसार अवकाश अवधि में देहाती क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से किये गये कार्य का मूल्यांकन करने और रिकार्ड रखने का है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) खेलों के सम्बंध में क्या सरकार का विचार खेल फीस एकत्र करके अथवा उसे बढ़ा कर आंशिक रूप से वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अध्यापक वर्ग को प्रोत्साहित करने का है कि वे वयस्क शिक्षा और गैर-स्कूली युवकों के खेलों में भाग लें और अध्यापकों के सिलेक्शन ग्रेड के लिये इसकी अर्हता बनाने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) (क) से (घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा कोर और राष्ट्रीय खेलकूद संगठन कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था की गई है और इसके लिये 6.50 करोड़ रुपये का नियमन किया गया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है जिसको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। इसकी सम्भावना है कि विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, छुट्टियों में गावों में किये गये व्यक्तिगत कार्य का मूल्यांकन करे और उसका लेखा जोखा रखे।

सामान्यतया, कालेजों के पास क्रीड़ा विधि होती है और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल कूद संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनात्मक आधार पर दिये गये अनुदानों से अन्ततोगत्वा क्रीड़ा निधि में वृद्धि होगी। प्रौढ़ शिक्षा और शैक्षिक समुदाय द्वारा गैर-शैक्षिक समुदाय की सहायता, जिसमें गैर-विद्यार्थी युवकों के लिये खेलकूद की व्यवस्था है, राष्ट्रीय सेवा योजना में

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। इस समय इस बात पर विचार करना आवश्यक प्रतीत नही होता कि शिक्षकों के इस कार्य को अच्छे वेतन मान देने के मामल में एक अर्हत्य समझा जायेगा।

बाल पुस्तक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों का चयन

2768 **श्री लोबो प्रभु**: क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष बाल पुस्कक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई 100 पुस्तकों का चयन किस आधार पर किया गया था;

(ख) क्या उनकी बिक्री की जांच की गई थी, यदि हां, तो पाठ्य पुस्तकों की 1,000 से अधिक बिक्री हुई;

(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय के लिये पुस्तकों के चयन के लिये क्या बिक्री के आंकड़ों का एक माप दण्ड माना जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वर्ष पुस्तकों के प्रकाशन पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और कितने प्रतिशत पुस्तकें अनबिकी पड़ी रहीं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट ने विभिन्न पुस्तक मालाओं के लिये प्रमुख साहित्यकारी, सम्पादकीय पेनल के सदस्यों को मिला कर सामान्य सलाहकार समिति का गठन किया है। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गयी 100 पुस्तकें, विशेषज्ञों के सम्बंधित पेनल द्वारा सुझायी गयी थीं तथा सामान्य सलाहकार समिति ने उन्हें स्वीकृत किया था।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट पाठ्य पुस्तक प्रकाशित नहीं करती है। इन पुस्तकों में से अभी तक पुस्तक माला की एक एक हजार से अधिक प्रतियां बिक चुकी है।

(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय एक विशेष परियोजना है जिसका ध्येय बच्चों के लिये उपयुक्त अनुपूरक पठन सामग्री के प्रकाशन द्वारा एकत्व और राष्ट्रीय एकता को बढावा देना है। एक पुस्तक की बिक्री के आकड़े इसकी पुस्तक व चयन का आधार नहीं बनाये जा सकते क्योंकि ये मौलिक कार्य होंगे, पुस्तकों का अनुवाद नही जिनके बिक्री के आंकड़े प्राप्त किये जा सकें। इस मामले में बिक्री के आंकड़े पुस्तक के पुनर्मुद्रण अथवा संशोधित संस्करण का आधार बनेंगे।

(घ) सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यय नहीं किया है परन्तु राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है, पुस्तकों के प्रकाशन पर 1968-69 में 6,49, 904. 96 रुपये खर्च किये। गत वर्ष प्रकाशित की गई 100 पुस्तकों में से 51 पुस्तकों का जनवरी-मार्च, 1969 की तिमाही में विमोचन किया गया था। बिक्री से अब तक 1,00, 357.31 रुपये की आय हुई है और बिन्य बिकी पुस्तकों की प्रतिशतता इस समय 92.5 प्रतिशत है। सामान्यतया पुस्तक विमोचन के बाद ठीक प्रकार से काफी महीनों के बाद बिकनी शुरु होती हैं जब उसकी समाचार पत्रों में समीक्षा हो जाती है और इसका काफी प्रचार हो जाता है।

पढ़े लिखे लोगों के लिये रोजगार के अवसर

2769 **श्री लोवो प्रभू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप सम्भावित रोजगार के अवसरों के बारे में क्या अनुमान लगाया है;

(ख) यदि सभी शिक्षित श्रेणियों के लिये जन शक्ति की योजना नहीं बनाई जा सकती तो रोजगार दिलाऊ दफतरों में बेरोजगार व्यक्तियों के वर्तमान आंकड़ों से तैयार की गई योजना को शिक्षा के विस्तार की व्यवस्था निर्धारित करने में क्यों प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) जन शक्ति सम्बन्धी अध्ययन प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ताकि सम्बंधित व्यक्ति अपनी शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी से निर्णय कर सकें, और

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षित व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये रोजगार के अवसरों के सम्बंध में यदि कोई अनुसंधान दिया है तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (वी० के० आर० वी० राव) (क) आयोजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप सम्भावित रोजगार के अवसरों के बारे में कोई तखमीना नहीं बनाया है। वास्तव में रोजगार सुविधाओं पर शिक्षा के विस्तार के प्रभाव को मापना सम्भव नहीं है। शायद अध्यापक ही एक ऐसा वर्ग है, जिस पर शिक्षा के विस्तार से शैक्षिक सुविधाओं में सीधा प्रभाव पड़ा है। इस सम्बध में, यह कहना उचित होगा कि रोजगार तथा प्रशिक्षण के आयोजना समूह के जनशक्ति उप-समूह ने अनुमान लगाया है कि चौथी आयोजना के दौरान 8 लाख अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिनमें से 5 84 मैट्रिक, 1.98 स्नातक और उत्तर स्नातक तथा 15,000 शारीरिक प्रशिक्षण अध्यापक होगे। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप निर्माण तथा उपस्करों की खरीद के कारण रोजगार सुविधाओं में भी कुछ वृद्धि होगी।

(ख) रोजगार विनिमय आंकड़ों के आधार पर जनशक्ति से सम्बंधित परियोजनाएं बनाना कठिन होगा। आर्थिक उत्थान, निवेश, आयात तथा निर्यात जनसंख्या, टेकनोलोजी में लागत की योजनागत दरें, जैसी अनेक विभिन्नताओं का प्रयोग रोजगार परियोजनाओं में निहित है। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों से बेरोजगारी का केवल मोटे तौर वर्तमान स्तर मालूम हो सकता है।

(ग) व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान सयय समय पर, इस विषय पर अपने अध्ययन प्रकाशित करता है।

(घ) क्योंकि, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में कोई आर्थिक प्रभाग नहीं है, इसलिये इसके द्वारा शिक्षित व्यक्यिों के लिये रोजगार सुविधाओं पर अनुसंधान नहीं किया गया है।

वेतन के दिन हिन्दुस्तान शिप यार्ड के 1500 कर्मचारियों को उनका ऋण काटने के बाद वेतन न दिया जाना

2770. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के 1500 कर्मचारियों को उनके ऋण की राशि काट लेने के पश्चात् वेतन के दिन एक पैसा नहीं मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों की (4200 कर्मचारी तथा 1237 अन्य कर्मचारी) उपलब्धियां मजगांव गोदी अथवा गार्डन रीच वोट बिल्डिन सैण्टर के कर्मचारियों की उपलब्धियों से आधे से कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही की है ।

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विशाखपटनम बन्दरगाह का विस्तार करने का प्रस्ताव

2771. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपटनम बन्दरगाह का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है;

(ग) बन्दरगाह की इस समय जहाज ठहराने की कितनी क्षमता है;

(घ) विस्तार के बाद उसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी; और

(ङ) विस्तार के बाद इस बन्दरगाह की विश्व में क्या स्थिति होगी ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख) जी हां । विशाखपटनम में एक बाह्य पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसमें इतनी सुविधाएं होंगी कि आरम्भ में 100,000 डी० डब्लू० टी० और अन्त में 150,000 डी० डब्लू० टी० माल ढोया जा सके और इसमें अयस्क लदान के बर्थ और मशीनों से माल ढोने की व्यवस्था होगी । परियोजना का सिद्धान्ततः अनुमोदन कर लिया गया है । विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करने के लिये सलाहकार इंजीनियरों द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है । उस प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना पर अनुमानतः 34.39 करोड़ रू० लागत आयेगी ।

(ग) विशाखपटनम पत्तन की वर्तमान क्षमता लगभग 1 करोड़ टन प्रति वर्ष है।

(घ) बाह्य पत्तन के निर्माण और वर्तमान आन्तरिक पत्तन में अन्य प्रस्तावित सुधार होने से आशा है कि पत्तन की माल लादने और उतारने की क्षमता बढ़ कर लगभग 2.1 करोड़ टन प्रति वर्ष हो जायेगी।

(ङ) बाह्य पत्तन के निर्माण के बाद विशाखापटनम संसार के आधुनिकतम और गहरे पत्तनों में से एक होगा।

Indiscipline Amongst Youth

2772. **Shri K. M. Madhukar** ; Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a twelve-point programme was chalked out for the purpose of checking the widespread indiscipline and sense of aimlessness amount the Youth of the country at a youth conference held in Delhi in April, 1969;

(b) if so, whether Government do not think it proper that such a programme should be based on some ideological principles;

(c) whether this programme is based on the principles of socialism or capitalism;

(d) if the programme is based on socialism, whether it fulfils all its requirements fully; and

(e) if not, whether Government propose to review this programme with a view to make it more practicable and effective and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e) : A conference of representatives of youth organisations, youth service agencies and youth leaders held from April 30 to May 2, 1968 recommended an illustrative list of 12-point programme relating to the following fields :

(a) Programmes concerning welfare of non-student youth.

(b) Programmes and activities of non-students directly beneficial to the community: and

(c) Programmes and training of youth leaders and personnel for youth services.

2. All these programmes are designed to help non-student youth in the preparation and training for work and family life, giving them opportunities for self-expression, self-development aud cultural attainment.

3, The ideology behind the programme is that this must lead to the promotion of secularism, social cohesion, non-discrimination hetween man and man and be in relation to the implementation of the Directive Principles of the State policy embodied in the Constitution which aim at securing social and economic justice.

पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

2773. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु द्वारा (नक्सलबाड़ी क्षेत्र में फूलबाड़ी में एक सभा में अपने भाषण में) लोगों से की गई इस अपील की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र के अनिच्छुक हाथों से और अधिक अधिकार और धन लेने के लिए नगरों और गांवों में एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ करें तथा एक बड़ा संघर्ष होने वाला है और इस संघर्ष के लिए जनता को प्रेरित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शक्ल) : (क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री द्वारा फूलवाड़ी में दिये गये भाषण के बारे में समाचार देखे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार अखबार में उक्त भाषण प्रायः सही रूप में छपा है।

(ख) स्वयं संविधान में उस प्रक्रिया की व्यवस्था है जिसके द्वारा उसमें शान्तिपूर्ण तथा सुव्यस्थित रूप से परिवर्तन लाये जा सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानि

2774. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अदिचन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन को काफी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस उपक्रम को वास्तव में कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या धन की कमी के कारण यह उपक्रम नई बसें खरीदने में असमर्थ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि दिल्ली परिवहन उपक्रम नई बसें खरीद सके और अपनी सेवायें कुशलतापूर्वक तथा लाभप्रद तरीके से चला सके ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ग) विशाखपटनम पत्तन की वर्तमान क्षमता लगभग 1 करोड़ टन प्रति वर्ष है ।

(घ) बाह्य पत्तन के निर्माण और वर्तमान आन्तरिक पत्तन में अन्य प्रस्तावित सुधार होने से आशा है कि पत्तन की माल लादने और उतारने की क्षमता बढ़ कर लगभग 2.1 करोड़ टन प्रति वर्ष हो जायेगी ।

(ङ) बाह्य पत्तन के निर्माण के बाद विशाखापटनम संसार के आधुनिकतम और गहरे पत्तनों में से एक होगा ।

Indiscipline Amongst Youth

2772. **Shri K. M. Madhukar** ; Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a twelve-point programme was chalked out for the purpose of checking the widespread indiscipline and sense of aimlessness amount the Youth of the country at a youth conference held in Delhi in April, 1969;

(b) if so, whether Government do not think it proper that such a programme should be based on some ideological principles;

(c) whether this programme is based on the principles of socialism or capitalism;

(d) if the programme is based on socialism, whether it fulfils all its requirements fully; and

(e) if not, whether Government propose to review this programme with a view to make it more practicable and effective and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (e) : A conference of representatives of youth organisations, youth service agencies and youth leaders held from April 30 to May 2, 1968 recommended an illustrative list of 12-point programme relating to the following fields :

(a) Programmes concerning welfare of non-student youth.

(b) Programmes and activities of non-students directly beneficial to the community: and

(c) Programmes and training of youth leaders and personnel for youth services.

2. All these programmes are designed to help non-student youth in the preparation and training for work and family life, giving them opportunities for self-expression, self-development aud cultural attainment.

3, The ideology behind the programme is that this must lead to the promotion of secularism, social cohesion, non-discrimination hetween man and man and be in relation to the implementation of the Directive Principles of the State policy embodied in the Constitution which aim at securing social and economic justice.

पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

2773. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु द्वारा (नक्सलबाड़ी क्षेत्र में फूलबाड़ी में एक सभा में अपने भाषण में) लोगों से की गई इस अपील की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र के अनिच्छुक हाथों से और अधिक अधिकार और धन लेने के लिए नगरों और गांवों में एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ करें तथा एक बड़ा संघर्ष होने वाला है और इस संघर्ष के लिए जनता को प्रेरित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शक्ल) : (क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री द्वारा फूलवाड़ी में दिये गये भाषण के बारे में समाचार देखे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार अखबार में उक्त भाषण प्रायः सही रूप में छपा है।

(ख) स्वयं संविधान में उस प्रक्रिया की व्यवस्था है जिसके द्वारा उसमें शान्तिपूर्ण तथा सुव्यस्थित रूप से परिवर्तन लाये जा सकते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को हुई हानि

2774. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अदिचन :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन को काफी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस उपक्रम को वास्तव में कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या धन की कमी के कारण यह उपक्रम नई बसें खरीदने में असमर्थ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि दिल्ली परिवहन उपक्रम नई बसें खरीद सके और अपनी सेवायें कुशलतापूर्वक तथा लाभप्रद तरीके से चला सके ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हानि मुख्यत: तेलों, स्नेहकों, पुर्जों के लागत में तेजी और स्थापना लागत में वृद्धि के कारण है ।

(ग) गत तीन वर्षों में उपक्रम को हानि हुई वह निम्न प्रकार है :–

1965-67	100.23 लाख रुपये
1667-58	147.41 लाख रुपये
1968-69	181.25 लाख रुपये (अंतरिम)

(घ) जी हां ।

(ङ) दिल्ली परिवहन उपक्रम को नई बसों को खरीदने के लिए चालू वर्ष में उपक्रम को और ऋण देने का प्रश्न विचाराधीन है । दिल्ली परिवहन उपक्रम अपनी सेवाओं को सुधारने के लिए और उसको मितव्ययता से चलाने के उपायों पर विचार कर रहा है ।

Lectures by Chirauly Sant in U. P.

2775. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3057 on the 14th March, 1969 and state the subjects on which lectures were delivered by Sant Tulsidasji elias Jai Gurudeo elias Chirauliwala Baba, resident of Chirauli Sant Ashram, District Mathura in Gorakhpur and other districts of Uttar Pradesh and the names of political parties which according to him adhere to the path of truth ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) According to information received from the State government Sant Tulsi Dassji alias Jai Gurudeo elias Chirauli Wale Baba had delivered lectures on "Surat Shabd Yog" at Lucknow from November 4 to 7, at Deoria on November 21 and at Mathura on November 28 and 29, 1968. He delivered lectures on "opening of third eye" by the practice of Yoga at Gorakhpur, Deoria and Lucknow and on "attainment of God" at Gorakhpur. He is not reported to have named any political party, which, according to him, adhere to the path of truth. He is reported to have advised the audience to understand the value of their votes and not to cast their votes in favour. of any political party unless it adhered to the path of truth.

Teaching of Lessons from Religous Books

2776. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements are made by Government to teach various subjects in different types of schools;

(b) whether it is also a fact that some lessons tn the text-books are selected from religious books;

(c) the nature of feelings promoted among the students through such lessons selected from the various religious books; and

(d) Government reaction to the view that the lessons selected from the religious books develop historical interest among the students ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) School text-books are prescribed by State Governments or authorities nominated by them.

(b) Yes,

(c) No assessment has been made of the nature of the feelings promoted.

(d) Apart from rousing historical interest, a feeling of understanding and appreciation of different religions and a spirit of national integration can be promoted depending upon the nature of the selectoins from religious books.

Report of Committee of National Integration Council

2777. **Shri Ranjeet Singh**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state whether a copy of the report of the Committee of the National Integration Council on Communalism will be laid on Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) It is not clear from the question whether it refers to the Committee on Communal Aspects set up by the reconstituted National Integration Council at its first meeting held at Srinagar on June 20-22, 1968, or to the sub-Committee on Communalism set up pursuant to one of the recommendations of the former Committee. The recommendations af the Committee on Communal Aspects have already been laid on the table of the House on 26 July, 1968, in answer to Starred Question No. 131. The Sub-Committee on Communalism has held two meetings so far under the Chairmanship of the Prime Minister and has discussed several aspects of the problem. The main decisions of the first meeting held on March 21, 1969 were :

(1) While the scope of the Sub-Committee's work would be inclusive of all the different aspects and manifestation of communalism, and casteism, it would embark on the examination of the problem step-by-step, devoting attention to one aspect at a time. For a beginning, it would concentrate on inter-religious tension.

(2) At its future meetings, it would take up :

(a) A careful examination of the genuine, legitimate and deep-seated grievances of minorities, especially in respect of discrimination in employment etc.

(b) The desirability and feasibility of having a Commissioner for Minorities with functions analogous to that of an Ombudsman, or of having any suitable machinery, to look into the grievances of the Minorities and to suggest measures for redressing them,

(c) In pockets were communal riots, looting and arson were found to be chronic on an analysis of the past trends and figures, the desirability of constituting Standing Committees with proper guidelines to deal with group tensions, to prevent occurance of incidents and to ensure commnnal harmony.

The main decisions taken at the second meeting have been stated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 1821 on 1st August, 1969.

Apart from this, there has been nothing of the nature of a report submitted by the Sub-Committee on commnualism.

दिल्ली में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन

2778. **श्री जार्ज फरनन्डीज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के मध्य में उनके और विश्व विद्यालय के विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में जिन बातों के बारे में बातचीत की गई थी उनको कार्य रूप देने के लिए कोई कानून बनाने का उनका विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस बैठक में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों ने जो मांगें रखी थी उनको पूरा करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : विद्यार्थी प्रतिनिधि सम्मेलन की कार्यवाहियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकारों को सम्मेलन की सिफारिशों पर उनके विचार जानने के लिए परिचालित की जा चुकी हैं । उनके उत्तर प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय किया जायेगा ।

छपरा से बुयार और बुयार से राजमौल के लिये गंगा नदी में स्टीमर सेवा

2779. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने छपरा से बुयार और बुयार से राजमौल के लिए गंगा नदी में स्टीमर सेवा आरम्भ करने की एक योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं :

(ग) इस योजना पर अनुमानित व्यय कितना है ; और

(घ) क्या केन्द्र ने इस योजना को मन्जूर कर लिया है और यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार को क्या सहायता दिये जाने की आशा है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : सम्भवत: माननीय सदस्य गंगा नदी में पटना और बक्सर और भागलपुर और कारागोला के बीच नदी सेवायें आरम्भ करने की बिहार सरकार की योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं ।

भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने अपनी हाल ही के बिहार दौरे के दौरान इन योजनाओं के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात इन योजनाओं पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

आसाम पुनर्गठन विधेयक

2780. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि आसाम पुनर्गठन विधेयक उनको भेजा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विधेयक का प्राथमिक प्रारूप राज्य सरकार को भेज दिया गया है। प्रारूप पर उनकी टिप्पणी और विधेयक में शामिल किये जाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपबन्धों के सम्बन्ध में उनके सुझाव प्रतीक्षित है।

पालम हवाई अड्डे के लिए एक नया धावन पथ बनाने का सुझाव

2781. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में बनाई गई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति ने पालम हवाई अड्डे के लिए एक नया धावन पथ बनाने और एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या एयर टर्मिनल बनाते समय परिवालन कुशलता को ध्यान में रखते हुए स्थापत्य कला की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा ; और

(घ) एयर टर्मिनल बनाने का कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए कितने परिव्यय की आवश्यकता होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एक दूसरे समानान्तर धावन पथ के निर्माण की, जिसे पांचवीं योजना की अवधि में पूरा किया जायेगा, तथा एक नये टर्मिनल काम्पलेक्स (अन्तर्राष्ट्रीय

और देशी दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए) के निर्माण की जिसे दो सोपानों (स्टेजों) में पूरा किया जायेगा, सिफारिश की है ।

(ख) और (घ) . समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है । दिल्ली. बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए चौथी योजना में 50.45 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी, हां । आधुनिक परिचालन कुशलता को ध्यान में रखते हुए विमान क्षेत्र यथा सम्भव भारतीय संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने का प्रयास करेगा ।

विज्ञान और टेक्नोलोजी सम्बन्धी कर्मचारियों और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए रूस के साथ करार

2782. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री प० मु० सईद :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री पन्नालाल बारूपाल :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की विज्ञान तथा टेक्नोलोजी समिति तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच कर्मचारियों और विचारों के आदान प्रदान के लिए रूस सरकार के साथ कोई करार किया गया है ;

(क) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत और रूस के बीच किये गये पहले करार और वर्तमान करार में क्या अन्तर है ?

शिक्षा और युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने रूस की विज्ञान तथा टेक्नोलोजी की मंत्री-परिषद समिति के प्रतिनिधियों से, जिन्होंने 28 मई, 1969 से 16 जून 1969 तक भारत का दौरा किया । परामर्श करके विज्ञान तथा तकनीकी सहयोग के करार का मसौदा तैयार किया । मसौदा विचाराधीन है ।

(ग) वर्तमान करार सांस्कृतिक करार है, जिसमें वैज्ञानिकों का विनिमय भी सम्मिलित है । प्रस्तावित करार का सम्बन्ध, व्यवहारिक विज्ञान तथा सम्पूर्ण टेक्नोलोजी से है । जिसमें सहयोग परियोजनायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

Scholarships to Students to Pant Polytechnic

2783. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that 3rd year students of the Pant Polytechnic run by the Delhi Administration, who had hitherto been getting merit-cum-means scholarships, have not been paid the scholarship amount for the entire session ending in June during the 1969-70 academic year.

(b) if so, whether Government propose to make arrangement for the payment of scholarship amount for all the months of the aforesaid session; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) ; Merit-cum-means scholarships for the third-year students of G. B. Pant Polytechnic in the 1968-69 session were, according to the rules, payable only upto the end of the session i, e, 30th April, 1969. The scholarships have been disbursed to all students except to eight students, who have not collected the amount for the period 21-30th April, 1969,

(c) Does not arise.

अयोध्या में पुरातन समाधियों का संरक्षण

2784. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजाबाद जिले में अयोध्या के निकट राजा दशरथ, श्रवण कुमार और शृंग ऋषि की समाधियां अत्यन्त उपेक्षित तथा जीर्ण अवस्था में हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन समाधियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में अपने अधिकार में लेगी तथा इनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इनका विकास करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हां । समाधियां रख-रखाव की अच्छी स्थिति में नहीं है ।

(ख) इन समाधियों को राष्ट्रीय महत्व की समाधि नहीं समझा गया है क्योंकि उनकी कोई पुरातत्वीय अथवा वास्तुकला की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है । न ही उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई पुरातत्वीय सबूत विद्यमान है । इसलिए उन्हें अपने हाथ में लेने और विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Report of Sub-Committee of New Shipping Routes

2785. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state the recommendations made in the report of the Sub-Committee on new shipping routes constituted by the National Shipping Board and the recommendations which have been accepted by Government ?

The Minister of Parliament Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : The report of the Sub-Committee of the National Shipping Board on new shipping routes has not so far been submitted.

Lal Bahadur Shastri Rashtriya Bhartiya Sanskrit Vidya Peeth, Delhi

2786. **Shri Raghuvir Singh Shastri** . Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received numerous complaints of irregularities and misappropriation of Government grants in Lal Bahadur Rastriya Bhartiya Sanskrit Vidyapeetha Sabha, Delhi;

(b) whether many serious irregularities of this Vidyapeeth have been detected recently while auditing its accounts;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken against the persons involved in these irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) . On receipt of certain allegations against the administration of the Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, this Ministry requested the Accountant General, Central Revenues, to conduct a special audit of the accounts of the Vidyapeetha, The special audit revealed certain financial irregularities, e. g. irregular payments of scholarships, non-miantenance of proper attendence Registers, non-observance of financial rules etc.

The matter has been referred to the Central Bureau of Investigation for further enquiry and report. Their report is awaited.

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया जाना

2787 **श्री जे० के० चौधरी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा ने मांग की है कि उनका दर्जा संघ राज्य क्षेत्र से बढ़ाकर सम्पूर्ण राज्य का कर देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, 17 मार्च, 1960 को सदन में मेरे द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में उस संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है ताकि उसकी वित्तीय व्यवहार्यता का मुल्यांकन किया जा सके। मनीपुर और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश से कहीं अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहायता पर निर्भर हैं और इस अवस्था में उनके दर्जे में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

भारत में निरक्षरता

2788. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री जगेश्वर यादव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में भारत में निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) निरक्षर व्यक्तियों की इतनी अधिक संख्या होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको शिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1961 की की जनगणना के अनुसार अनपढ़ व्यक्तियों की (10 वर्ष से ऊपर) कुल संख्या 21.55 करोड़ थी। 1968 में इन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 23.55 करोड़ थी। 1969 में अनुमान है उनकी संख्या 23.71 करोड़ होगी।

(ख) बड़ी संख्या में निरक्षर व्यक्तियों के होने के निम्न कारण हैं--

(1) प्राथमिक शिक्षा की प्रगति धीमी हो रही है। 1968-69 में 6-11 की आयु के बच्चों की कुल संख्या के केवल 77.9 प्रतिशत बच्चे पहली से पांचवीं कक्षाओं में दाखिल थे। 1973-74 में भी यह प्रतिशतता केवल 85% तक पहुंच सकेगी।

(2) प्राथमिक श्रेणी में पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। पहली कक्षा के बच्चों में से केवल 40 प्रतिशत ही चार वर्ष पश्चात चौथी कक्षा में पहुंचे थे। परिणाम-स्वरूप प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे या तो साक्षर बन ही नहीं पाते या स्कूल छोड़ने के बाद निरक्षर बन जाते हैं।

(3) प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता हटाने सम्बन्धी कार्यक्रम को उचित ध्यान नहीं गया है। प्रथम तीन योजनाओं के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कुल शिक्षा व्यय का 1% से भी कम मिल पाया था। चतुर्थ योजना-वधि में आवन्टन और भी कम है।

(4) जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष। परन्तु ऊपर दिये गये कारणों की बजह से साक्षरता की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। लगभग एक प्रतिशत प्रति वर्ष से भी कम।

(ग) चतुर्थ योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए निम्न कार्यक्रम शामिल किये गये हैं :

"स्वेच्छा सेवा और स्थानीय संसाधनों के प्रसंग से प्रौढ़ व्यक्तियों में शिक्षा फैलाने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे। आरम्भ में कुछ जिलों में अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी बाद में वहां से प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यक्रमों को अन्य क्षेत्रों में फैलाया जायेगा। कार्यक्रम के विकास के लिये उद्योगों, राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले विद्यार्थियों और स्वयं सेवी संगठनों से सहायता प्राप्त की जायेगी और उन्हें वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जायेगा। किसान शिक्षा और अधिक उपज वाले क्षेत्रों में कार्य सम्बन्धी पढ़ाई के कार्यक्रम का 100 जिलों में विस्तार किया जायेगा और 10 लाख किसान इसका लाभ उठायेंगे। प्रौढ़ शिक्षा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनी रहेगी। प्रौढ़ शिक्षा के विश्व विद्यालयों के विभागों को अग्रिम परियोजनाओं में सहायता दी जायेगी।

विकास कार्यक्रमों में सरकार को सलाह देने और सभी सम्बन्धित हितों और विभिन्न अभिकरणों की सहायता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का विचार है ।

प्रगति में मुख्य कठिनाइ संसाधनों की कमी है । चतुर्थ योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए केवल 10.3 करोड़ रु० का आवन्टन किया गया है जो शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के कुल व्यय का केवल 1.3 प्रतिशत है ।

भ्रष्टाचार-निरोध अधिकारियों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में रंगे हाथ पकड़े गये व्यक्ति

2789. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1969 तक की अवधि में भ्रष्टाचार-निरोध अधिकारियों द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में घूस के मामलों में कितने व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गये;

(ख) क्या सभी मामलों में जांच की जा चुकी है तथा अपराधियों को दण्ड दे दिया गया है; और

(ग) देश में घूसखोरी की इस बुराई को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1592/69]

(ग) घूसखोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को तेज करने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों तथा सतर्कता संगठनों को सशक्त किया है । सतर्कता कार्य का वार्षिक कार्यक्रम भी तैयार किया जाता है और उसे कार्यरूप दिया जाता है ।

राज्यों का पुनर्गठन

2790 : **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री समर गुहा :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने राज्यों को अधिक युक्तियुक्त आधार पर फिर से पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में एक प्रेस रिपोर्ट आयी है जिसमें जय प्रकाश नारायण ने सुझाव दिया है कि वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करके छोटे राज्यों की स्थापना की जाय ।

(ख) सरकार राज्यों के और पुनर्गठन के पक्ष में नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में कालेजों और स्कूलों में विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) में वृद्धि

2791. **डा० सुशीला नैयर :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों का शिक्षण-शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये कहने का है क्योंकि इसका निर्धन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा तक्षा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने स्कूलों मे शिक्षा शुल्क बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था ताकि समय समय पर संशोधित अध्यापकों के वेतन और महगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त खर्च को पूरा किया जा सके और और साथ ही प्राइवेट प्रबन्धकों को अपने कर्त्तव्य कम से कम आंशिक रूप मे पूरा करने में मदद मिल सके । किन्तु, फिलहाल मामले को आस्थगित कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में, निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ का भविष्य

2792. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री वे० कु० दास चौधरी :
वि० निरसिम्हा राव :
श्री दे० अमात :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० वें० नायक :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या पंजाब अथवा हरियाणा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि चण्डीगढ़ के भविष्य का निर्णय किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बता दिया है कि जब तक दोनों राज्य सरकारें मध्यस्थता के लिये सहमत नहीं होती, तब तक प्रधान मन्त्री द्वारा मध्यस्थता नहीं की जा सकती है; और

(घ) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार मध्यस्थता के प्रस्ताव के विरुद्ध है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (घ) : दोनों राज्यों ने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में विवाद के शीघ्र निर्णय किये जाने की इच्छा व्यक्त

की है किन्तु जहां पंजाब सरकार इस विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता के तरीके के पक्ष में हैं, हरियाणा सरकार इस तरीके का विरोध करती है ।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार स्वयं उत्सुक है कि यह विवाद शीघ्रता से हल किया जाय और संसद में बार-बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकारों के बीच समझौते के अभाव में मध्यस्थता सम्भव नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाना

2793. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी मामले पर विचार कर लिया है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय रूप में सक्षम राज्य होने की आशा है;

(ग) यदि इस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो इसका वित्तीय पहलु क्या होगा और क्या इससे केन्द्रीय सरकार के वर्तमान वित्तीय दायित्व से अधिक होने की सम्भावना है; और

(घ) हिमाचल प्रदेश को जनता की अकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य के दर्जे के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए सघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : जब तक अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या सघ राज्य क्षेत्र सक्षम होगा और क्या राज्य का दर्जा प्रदान करने से अतिरिक्त वित्तीय उलझने तो नहीं बढ़ जायगी ।

चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति

2794. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति के कितने तथा कौन-कौन से सदस्य हैं तथा वे किस-किस दल के है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रादेशिक कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को समिति में लिया गया है जब कि अन्य सभी राजनीतिक दलों की अपेक्षा की गई है;

(ग) समिति के सयस्यों को नामजद करने की क्या कसौटी है;

(घ) क्या चण्डीगढ़ के नागरिकों ने यह मांग की है कि मनोनीत निकाय के स्थान पर निर्वाचित निकाय होना चाहिये; और

(ङ) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी की गई 8-1-69 की अधिसूचना की एक प्रति, जिसमे समिति की संरचना बताई गई है, सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 159/4**] (अधिसूचना में जो उल्लिखित है उसे छोड़ कर) सदस्य किस दल के हैं, यह ज्ञात नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। समिति में मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल के हैं इस पर कोई महत्व नही दिया गया है।

(ग) समिति विस्तृत आधार पर शहर के लगभग सभी सैक्टरों के प्रतिनिधियों से बनी है। ग्रामीणता को भी कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया है। सवरण की कसौटी उपयुक्तता है जिसमें युवक तत्वों समेत औरों का भी उचित ध्यान रखा जाता है।

(घ) और (ङ) : हांलाकि ऐसे मत कभी कभी मौखिक रूप में व्यक्त किये जाते रहे हैं किन्तु लिखित रूप में ऐसी कोई मांग सरकार को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है। सरकार एक निर्वाचित सलाहकारी निकाय का कायम करना व्यवहारिक नहीं समझती है।

Grants to Welfare Associations in Government Colonies

2795- Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of such Welfare Associations functioning in Government Colonies as are given grants by the Ministry of Home Affairs;

(b) the functions and powers of these Associations;

(c) whether any special instructions have been issued in regard to spending of the grant;

(d) the total amount of grants paid to these Associations during 1968-69; and

(e) whether the Welfare Association of the Welfare Officer has the power to oust any resident ?

The Deputy Minister in the Ministery of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) 91.

(b) The associations are registered bodies under the Societies Act 1860. Their main funetions are :-

(i) to take steps to provide social cultural and receational facilities to the residsnts of the area;

(ii) to represent the interest of the residents before the appropriate authorities and take steps for the promotion of corporate life among the members living in the area. Besides these functions no other power has been conferred on these bodies.

(c) Instructions regarding the items on which expenditure can be incurred from the Grant-in-aid were issued in this Mintstry letter No. 2/14/61-Welfare dated 8.5.62. A copy of this letter is laid on the Table of the House.

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 1594/69]

(d) Rs. 73,994.

(e) Neither the Welfare Officer nor the Association has any power to oust any resident from the colony. However, if any member of the association is found to be behaving in a manner prejudicial to the insterests of the Association he can be removed from the association by a decision of the general body. Generally, a suitable provision to this effect is incorporated in the constitution of the association.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा पदोन्नतियों के सम्बन्ध में समिति

2796. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री कु० प्र० सिंह देव :
श्री रवि राय :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग की तरह विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा शिकायतों के साथ निपटने के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद के अधीन एक समिति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) । (क) और (ख) : इस सुझाव की जांच की जा रही है ।

लद्दाख में पाकिस्तान के एजेन्ट

2797. श्री म० ला० सोंधी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के उत्तेजना फैलाने वाले एजेंट तोड़-फोड़ करने के लिये लद्दाख क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) इस मामले में सरकार सजग है ।

दिल्ली पुलिस के बारे में खोपला आयोग का प्रतिवेदन

2798. श्री म० ला० सोंधी : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस सम्बन्धी खोलसा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि नई दिल्ली में दक्षिण जिले में काम अधिक है और पुलिस अधिकारी मामलों की देख रेख के लिये पर्याप्त समय नहीं दे सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण जिले को पुनर्गठित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने एक चौथे पुलिस जिले, जिसमें वर्तमान दक्षिणी जिले के कुछ पुलिस थानों के अधीन क्षेत्र शामिल हैं, के सृजन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश को मान लिया है । दिल्ली प्रशासन इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिये कार्यवाही कर रहा है ।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

2799. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री एम० एस० ओबराय :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है;

(ख) इन समाचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राजधानी के निवासियों में पुनः विश्वास जागृत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपराधों की घटना के बारे में समाचार छपे हैं ।

(ख) और (ग) दिल्ली में अपराध की स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और प्रशासन द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक निवारक तथा अन्य उपाय किये जाते हैं । ज्ञात दुश्चरित्रों पर निगरानी रखी जाती है और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी जाती है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का पुनः केन्द्रीयकरण

2800. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का पुनः केन्द्रीयकरण करने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों में विद्यमान प्रमाद और असमानता और असन्तोष तथा मनोबल गिरने की जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि पुनः केन्द्रीकरण से चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने पर उत्साह पैदा होगा और कुशलता बढ़ेगी तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्बन्ध अच्छे होंगे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) विकेन्द्रित व्यवस्था से पदोन्नतियों में असमानता अवश्यंभावी है। वर्तमान विकेन्द्रित व्यवस्था में कुछ रूप-भेद करने की सम्भावना परीक्षणाधीन है।

Use of State cars by Ministers at Faridabad Congress Session

2801- Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that staff cars were used by all the Union Ministers during the General Session of Congress held in Faridabad; and

(b) if so, the reasons therefor and the total expenditure incurred on the consumption of petrol for use of these vehicles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramasway) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

2802. Shri Bibbuti Mishra Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to start a steamer service in river Ganga from Patna to Calcutta; and

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No such proposal is under consideration of the Government at present,

(b) Does not arise.

Scheme for Inculcting Spirit of Nationalism Among Students

2803. Shri Bibhuti Mishra :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to chalk out a seheme intended for inculcating spirit of nationalism among students by way of prescribing such curriculum in all the schools and providing such rules of hostels which may give a fillip to the spirit of national integrity and patriotism amongst the members of all the communities in the country; and

(b) if so, the broad details and nature thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) As a first step for inculcating spirit of nationalism through curricular activities

in the schools, the Government of India has established a National Board of School Textbooks. This Board in co-operation with the Boards at the state level would continuously review textbooks in order to ensure that such books become powerful instrument of building up the right attitude which can promote national integrat on, a feeling of national identity. a sence of secularism, a bias towards modernity and rationality and a feeling of social awareness and identification with mass welfare.

2. Although no attempt has yet been made for providing such rules of hostels which may give a fillip to the spirit of national integration for the reason that the school hostels and their administration are a State subject; the Government of India are implementing a programme of Inter-State student-teacher camps to bring about understanding between different regional and linguistic groups, The Central Schools Organisation of the Government of India are also implementing a scheme under which Central Schools are adopting a state school situated in a different region and have been inviting a number of students from that school to come and live as guests of the Central Schools for a specified period. The scneme is designed to promote pen-friendship, regional understanding and to learn each other's customs etc,

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

2804. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़िसा में पर्यटन का विकास करने के लिये कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(ख) कितने क्षेत्र का विकास करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पर्यटन विकास के लिये निधियों का नियमन राज्य-वार नहीं किया जाता परन्तु किसी स्थान विशेष के पर्यटक दृष्टिकोण से वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रखते हुए उसके आपेक्षिक महत्व के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की जाने वाली पर्यटन स्कीमों के अलावा, केन्द्र का कोणार्क का 5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से समेकित विकास करने का प्रस्ताव है। भुवनेश्वर और पुरी में भी सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर किये जाने वाले व्यय का हिसाब स्कीमों को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद लगाया जायेगा।

शिक्षा निदेशकों का सम्मेलन

2805. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रवि राय :
श्री तुलसी दास दासप्पा :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समान शिक्षा पद्धति से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करने के लिये अभी हाल ही में शिक्षा निदेशकों का एक सम्मेलन बगलौर में हुआ था,

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई, और

(ग) इस सम्बन्ध ने सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां, सम्मेलन, 28, 29 और 30 मई, 1969 को हुआ था ।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1595/69]**

28 जून, 1969 को दिल्ली से हैदराबाद तक उड़ान सख्या 403

2806. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से हैदराबाद तक हुई उड़ान संख्या 403 के विमान को आरम्भ में तो बहुत झटके लगे ही थे व हैदराबाद में उतरते समय और भी अधिक झटके लगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान में कोई खराबी थी अथवा उसका चालक वृन्द अयोग्य था; और

(ग) क्या अखिल भारतीय एयर लाइनों की उड़ानों की जांच करने के लिये सर्वोत्तम इंजीनियरों की एक समिति बनाने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसी कोई घटना इंडियन एयरलाइन्स, नागर विमानन के महानिदेशक या सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगार इन्जीनियर तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति

2807. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री मुहम्मद इस्माईल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतः देश में तथा विशेषतः दिल्ली में बेरोजगार स्नातक इंजीन्यिरों तथा डिप्लोमा धारियों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या सामान्यतः देश में तथा विशेष रूप से राजधानी के इन बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को कार्यान्वित

कर दिया गया है; यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में यह योजना किस रूप में तथा किस सीमा तक कार्यान्वित की गई है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण भत्ता केवल उन्हीं इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को वृत्तिका देने का विचार है जो कि किन्हीं विशिष्ट उद्योगों अथवा औद्योगिक एकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और यदि हां, तो राजधानी, इसके उपनगरों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में ऐसे औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है तथा इन बेरोजगार इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने वाले ऐसे संस्थानों की कुल संख्या क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इन्जीनियरों में बेरोजगारी के कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 31 दिसम्बर, 1968 को देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 11,026 इन्जीनियर स्नातक और 39,547 इन्जीनियरी में डिप्लोमा धारी थे। इनमें से 1,301 इन्जीनियरी स्नातकों और 3,163 इन्जीनियरी डिप्लोमा धारियों ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर कराये थे।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय की व्यवहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना के अन्तर्गत इन्जीनियरी में डिग्री धारियों को 250.00 रुपये प्रतिमाह और इन्जीनियरी में डिप्लोमा धारियों को 150.00 रुपये प्रतिमाह की वृत्तिकायें दी जाती हैं जिन्हें विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है, जहां प्रशिक्षण के लिये अच्छी सुविधाएं विद्यमान हैं और जो ऐसे प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गये हैं। देश में ऐसे कुल 700 संस्थानों में से 185 राजधानी और इसके उप नगरों और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।

अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक समारोहों के उद्घाटन के लिए नियंत्रणों का स्वीकार न किया जाना

2808. **श्री रा० की० अमीन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक निदेश जारी किया है जिसमें अधिकारियों को किसी सार्वजनिक समारोह के उद्घाटन के लिये निमंत्रण स्वीकार न करने को कहा गया है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्य सरकारों को ऐसा परामर्श देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रपति भवन में स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन को मिले हुए शयन कक्ष के फर्नीचर का जामिया मिलिया इस्लामिया को दिया जाना

2809. **श्री बल राज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रपति भवन में स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन को मिले शयन कक्ष के फर्नीचर को जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली को दे देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी साम्प्रदायिक संस्था है, जो हालांकि पूरी तरह जनता के पैसे से चलती है परन्तु जिसके विरुद्ध साम्प्रदायिक आधार पर भेदभाव करने की असंख्य शिकायतें हैं जिनमें से कुछ पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी इस संस्था की आलोचना की गई है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में किये गये निर्णय के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) · स्वर्गीय राष्पति डा० जाकिर हुसैन के सम्बन्धियों ने अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति भवन में उनके शयन-कक्ष के फर्नीचर की कुछ वस्तुएं संग्रहालय में रखे जाने के लिए उनके परिवार को दे दी जायं, यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और फर्नीचर उनके परिवार को दे दिया गया है ।

(ख) जामिया मिलिया इस्लामिया कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं है । सरकार के पास दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा ऐसी किसी प्रति कूल आलोचना के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

2810. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रस्तावित नेहरू विश्वविद्यालय के लिए उप-कुलपति की नियुक्ति कर ली गई है तथा इस विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में स्थित सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं को, जिन्हें विश्वविद्यालय संस्थाएं माना जाता है तथा जिनमें आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैकनोलॉजी तथा जामिया मिलिया इस्लामिया भी शामिल हैं, प्रशासन में सुधार करने तथा उपरि-व्यय को कम करने के उद्देश्य से इससे सम्बद्ध किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां। कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने अपना कार्यभार सभाल लिया है। कार्यकारी परिषद और शिक्षा सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है और आशा है उनकी बैठक शीघ्र होगी।

(ख) और (ग). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन, जो अधिनियम के विरुद्ध न हों, विश्वविद्यालय को अन्य बातों के साथ साथ सस्थाओं को मान्यता देने, सम्बद्ध करने और उनके साथ करार करने का अधिकार है। इस विश्वविद्यालय और दिल्ली की कुछ संस्थाओं के बीच समन्वय की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

धनाबाद जिले के निकट पाई गई पैराशूट

2811. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री पी विश्वम्भरण :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में धनाबाद के निकट सीतलपुर ग्राम में तीन जुलाई, 1959 को पैराशूट में लिपटा पोलिथीन जैसे रासायनिक पदार्थ से बनी लगभग 5 फुट लम्बी एक बड़ी पेटी वृक्ष पर लटकी हुई पाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सिल्चर तथा कलकत्ता के बीच विमान दुर्घटना

2812. **श्री वेद व्रत बरुआ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल में यात्रियों को ले जा रहे एक विमान की सिल्चर और कलकत्ता के बीच हुई दुर्घटना के कारणों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि विमान चालक को आंधी की चेतावनी के संकेत वस्तुत: दिये गये थे; और

(ग) क्या विमान चालक की स्वेच्छा सम्बन्धी नियमों में इस बीच संशोधन कर दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उडडयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य क्रियाविधि के अनुसार पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा आदेशित जांच की रिपोर्ट मिलने पर ही यह सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या विमान चालकों के विवेकाधिकार प्रयोग के वर्तमान क्षेत्र को प्रतिबन्धित करने की आवश्यकता है ।

राज्यों में नजर बन्द व्यक्ति

2813. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमश: निवारक निरोध अधिनियम तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन अदालती कार्यवाही किये बिना कुल कितने व्यक्ति नजर बन्द किये गये थे और ऐसे व्यक्तियों की वर्तमान सख्या क्या है; और

(ख) उनमें से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें मुकदमा चलाने के लिए तीन माम से अधिक समय तक बन्दी रखा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (नेफा प्रशासन को छोड़कर) से प्राप्त सूचना के अनुमार 1 जनवरी, 1965 से भारत प्रति रक्षा नियमों के अधीन नजर बन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या 7,605 है। इस समय भारत प्रति रक्षा नियमों के अधीन कोई व्यक्ति नजर बन्द नहीं है । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुमार निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अधीन 1-10-55 से 30-9-68 तक के तीन वर्षों की अवधि में नजर बन्द व्यक्तियों की कुल सख्या 4,995 थी। इनमें मे 2.490 व्यक्ति 30-6-69 को नजरबन्द थे। 2490 व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में, जो मुकदमा चलाने के लिए तीन महीने से अधिक अवधि के लिए बन्दी रखे गये हैं, सभी राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Airstrip At Indore

2814. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be plesed to state :

(a) whether it is a fact that the airstrip at Indore is so bad that even landing of Viscount planes there is risky; and

(b) if so, whether any action is being taken to improve it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) . The runway at Indore was constructed for F. 27 and similar aircraft. Indian Airlines are operating services with this aircraft and have no proposal to introduce Viscounts on this route. The CPWD have been requested to improve the surface of the runway as it has become a little rough in some places.

National Highways in Madhya Pradesh

2815. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number, length and area of National Highways in Madhya Pradesh in comparison to those in other States;

(b) the expenditure incurred by Central Government on National Highways in Madhya Pradesh;

(c) whether it is a fact that the Central assistance is not made available for the construction of new National Highways needed in that State and also for the repair and maintenance of the old ones with the result that the condition of the Grand Trunk Road in Madhya Pradesh is not as good as in other States and roads are also more or less in the same condition;

(d) the action taken by the Government to improve the condition; and

(e) if no action is proposed to be taken in this matter, the reasons, therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement giving the required information is laid on the Table [**Placed in Library. See No. LT—1596/69**]

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table (**Plased in Library.** See No. **LT—1596/69**)

(c) to (e) . The question of Central Assistance for National Highways, which is the direct responsibility of the Government of India, does not arise. The Member, presumably, refers to the provisions made in regard to the new additions to the existing National Highway System in the Fourth Plan. The general question of expansion of the National Highway System, within available funds, is under examination. Within the limitations of financial resources, adequate funds for repairs and maintenance of National Highways are being made avilable and in fact the allotment for maintenance for National Highways in Madhya Pradesh has been stepped up further since 1966-67. Against this background the condition of National Highways Madhya Pradesh does not compare unfavourably with that of other National Highways.

मणिपुर में पाकिस्तानी शस्त्रों का मिलना

2816. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध विराम क्षेत्र के अन्तर्गत मणिपुर के माओ उप-मण्डल में, मई, 1969 में पाकिस्तानी मार्के वाले शस्त्रास्त्र जिनमें दो मॉर्टर भी शामिल हैं पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . मई, 1969 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किन्तु 30 अप्रैल, 1969 को मणिपुर के माओ उप-मण्डल में पुलिस गश्ती दल की नागा विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ हुई। थोड़ी देर दोनों ओर से गोली-बारी हुई। किसी भी पक्ष में किसी के हताहत होने के समाचार नहीं हैं। पुलिस गश्ती दल ने पाकिस्तानी ग्राडंनेन्स फैक्टरी मार्के की की एक 2" की मॉर्टर समेत कुछ शस्त्रास्त्र बरामद किये।

स्वाधीनता दिवस को काम का दिन घोषित करने को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

2817. **श्री रा० कृ० बिडला :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में स्वाधीनता दिवस इस आधार पर कार्य दिवस बनाने का सुझाव दिया है कि काम की निकासी के स्तर को बनाये रखने के संदर्भ में एक अतिरिक्त छुट्टी का अर्थ 11 करोड़ रुपये का परिव्यय होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आयोग के "कर्मचारी प्रशासन" विषयक प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 57 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) प्रतिवेदन पर विचार किया जा जा रहा है ।

भारत में पर्यटक यातायात में कमी

2818. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री प० गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटक यातायात में वर्ष 1968 से काफी कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में चालू बर्ष में पर्यटक यातायात कितना कम अथवा अधिक रहा; और

(घ) पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1969 के लिए आंकड़े मई, 1969 के अन्त तक के उपलब्ध हैं । तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :–

जनवरी-मई, 1968		75,088
जनवरी-मई, 1969	....	93,166
प्रतिशत वृद्धि	....	24.1 प्रतिशत

(घ) सरकार ने समस्त पर्यटन-तंत्र (टूरिस्ट प्लांट) तथा पर्यटन के आधारभूत उपादानों (इन्फ्रा स्ट्रैक्चर) के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें वर्तमान सुविधाओं का सुधार, आवास एवं परिवहन के मामले में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था, अवकास कालिक विहार स्थलों की स्थापना, चार्टर एवं वीजा विनियमों का उदारीकरण तथा विदेशों में और अधिक उन्नत एवं व्यापक प्रकार का प्रचार कार्य सम्मिलित हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार

2819 श्री पि० नरसिम्हा राव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महा नगर परिषद् के कुछ सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली महा नगर परिषद ने यह सिफारिश की थी।

(ख) उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करने का उद्देश्य यह था कि पर्याप्त राशि के महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई तथा निपटान उच्च न्यायालय द्वारा ही हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल वादों के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार 50,000 रुपये से अधिक बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया। अत: दिल्ली महा नगर परिषद की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सका।

Granting of More Popers to States

2820. Shri Yaswant Singh Kushwah : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Committee of Experts of his Ministry has submitted its recommendations as to whether more powers should be given to States or not; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No such Committee of Experts was set up in the Ministry of Home Affairs.

(b) Does not arise.

पानी (महाराष्ट्र) में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

2821. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पानी में हाल में हुए पुरातत्वीय सर्वेक्षण से एक स्तूप समूह (स्तूप काम्पलेक्स) पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने इस स्तूप समूह का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपालसिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

अभी तक खोदे गये अवशेषों की, नागपुर विश्वविद्यालय तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा, जिन्होंने मिलकर खुदाई की थी, यथा पूर्वक जांच की गई ।

(ग) खुदाई से पता चला है कि टीले में, जो अब जगन्नाथ मंदिर से घिरा हुआ है, एक स्तूप के अवशेष सम्मिलित है जो मध्य प्रदेश के भारत और सांची के सुविख्यात स्तूपों से आकार में बड़े है । स्तूप के साथ साथ जिसमें तीसरी शताब्दी बी० सी० से दूसरी शताब्दी ए० डी० तक पूजा होती थी, रेलिंग, गेटवे और स्तम्भों के अवशेष भी उपलब्ध हुए थे ।

Printing of Forms in Hindi and English

2822. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the Departments/Offices of the Government of India are getting their forms printed in diglot form i. e. in Hindi and English;

(b) the number of forms printed in 1968-69, which are not in diglot form;

(c) the number of forms out of total forms, printed in English alone with the permission of the Ministry of Home Affair during the above period; and

(d) the authority other than the Home Ministry with whose permission rest of the forms were printed in English alone ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Instructions already exist that all official forms to be printed henceforth should contain headings both to be printed henceforth should contain headings both in Hindi and English. Most of the forms used in Ministries/Departments form part of manuals, codes and regulations. These publications including the forms prescribed therein and also other forms are to be rendered into Hindi by the Central Hindi Directorate. The Hindi translation of statutory publications etc. and forms is to be provided by the Official Language (Legislative) Commission. Until Hindi translations of forms become available, relaxation for their printing in English only has to be given to avoid disiocation of work.

(b) 5,211

(c) 3,039. Most of these forms were of the three Services and the associated Defence Organisations.

(d) Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Develpment; Ministry of Shipping and Transport; and Post and Telegraph Department. In respect of some forms, print orders were placed long before the imposition of the embargo on printing of forms in English alone, but delivery was effected during the year 1968-69.

भारत में विदेशियों की गिरफ्तारियां

2823. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में भारत में 9,836 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किये व्यक्तियों के देश वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण थे; और

(घ) उनके बारे में आगे और क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) . सूचना सहज उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जा रहा है और सदन के सभा पटल रख दिया जायगा ।

Demand for Judicial Enquiry into Maunath Bhanjan Incident

2824. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Ministers of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation of the workers of Uttar Pradesh Bhartiya Kranti Dal-met him in April, 1969 and demanded that judicial enquiry be conducted into the Maunath Bhanjan incident; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The Home Minister forwarded a copy of the memorandum to the Chief Minister Uttar Pradesh. It has not been possible for the state government to accept the demand for instituting a judicial inquiry into the incident. However, an inquiry by a senior member of the Board of Revenue was ordered.

Pro-Pak Slogans in Kerala

2825. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7628 on the 25th April, 1969 and state;

(a) whether Government consider anti-Indian pro-Pakistani slogans raised by some persons in Kerala in January, 1969 as anti-Indian acts;

(b) if so, the steps taken by the Central Government and the State Government against the persons concerned;

(c) if not, whether Government propose to take any steps in this regard; and

(d) if so, when and the details of the steps to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Government.

Mazdoor Sewa Dal

2826. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7575 on the 25th April, 1969 and state :

(a) the dates when the different Senas were organised in different States :

(b) whether Government include Mazdoor Sewa Dal, a volunteer organisation, affiliated to I.N.T.U.C., as a Sena in the sense as they consider Congress Sewa Dal and Rasthtriya Swayam Sewak Sangh as Senas; and

(c) if so, the names of the places where this sena (Mazdoor Sewa Dal) has its branches and the numerical strength thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A statement, based on information furnished by the State Governments, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1597/69]**

Pakistani Natlonais Registered in M. P.

2827 Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals, on the basis of the information collected by the Central Government, who have got themselves registered so far since 1st January, 1966 on valid passports in different districts of Madhya Pradesh; and

(b) the number of Pakistani nationals who went back within the stipulated period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affair : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pakistan is in Madhya Pradesh

2828. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani Nationals in various Districts of Madhya Pradesh according to the information collected by the Central Government, who came in various Districts Madhya Pradesh with valid passports and are living underground even after the expiry of the stipulated period of their stay; and

(d) the steps taken by Government to oust them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table of the of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1598/69]**

भारत फारस की खाड़ी मार्ग पर कार्य कर रही चलने वाली जहाजरानी कम्पनियों का सम्मेलन

2829. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत फारस की खाड़ी मार्ग पर चलने वाली जहाजरानी कम्पनियों के प्रस्तावित सम्मेलन का उद्देश्य क्या है,

(ख) क्या इस मार्ग पर कार्य कर रही जहाजरानी कम्पनियों ने शिकायत की है कि भारत सरकार की स्वीकृति अभी तक भी प्राप्त न होने के कारण सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही करने में अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो उनको स्वीकृति देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

संसद्कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारत पश्चिमी एशिया (खाड़ी) मार्ग पर चलने वाली पोतपरिवहन कम्पनियों के प्रस्तावित सम्मेलन का उद्देश्य भारत से पश्चिमी एशिया (खाड़ी) पतनी के बड़े क्षेत्र की नियमित, पर्याप्त और आर्थिक जीवनक्षम पोतपरिवहन सेवाओं की व्यवस्था के लिये दीर्घ कालीन प्रबन्ध करना है ताकि उस क्षेत्र में हमारे निर्यात व्यापार के विकास के लिये यथा संभव अधिकतम प्रबन्ध किया जा सके।

(ख) और (ग) . ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सम्मेलन बुलाने के लिये किसी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सम्मेलन एक ऐच्छिक प्रबन्ध है जो उन पोत-परिवहन कम्पनियों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से प्रस्तावित किया जा सकता है जो व्यापार में शामिल होना चाहें। पोतपरिवहन कम्पनियों को उन कुछ विषयों को अभी तय करना है जिसका सम्मेलन के प्रभावशाली कार्य-कलाप से मुख्य सम्बन्ध है। सरकार उनके बीच विचार विमर्श करने में अपना प्रभाव डाल सकती है और डालेगी ताकि सम्मेलन के प्रबन्ध की बिना किसी बाधा के दीर्घकालीन दृश्य में अन्तिम रूप दिया जा सके।

दमदम हवाई अड्डे के समीप रहने वाले परिवारों के लिये-जल का प्रबन्ध

2830. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम हवाई हड्डे के आवास क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिये जल सप्लाई के क्या प्रबन्ध हैं;

(ख) क्या वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषजनक हैं; और

(ग) यदि नही, तो वर्तमान प्रबन्धों में सुधार करने के लिये यदि कोई उपाय किये जा रहे है तो वे क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख). दमदम विमान क्षेत्र पर आवास क्षेत्र के निवासियों के लिये जल सप्लाई नागर विमानन विभाग द्वारा विमान क्षेत्र में लगाये गये नल-कूपों से की जाती है। इस क्षेत्र में कर्मचारी-वर्ग के अतिरिक्त क्वार्टरों के बन जाने के कारण, जल सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

(ग) जून, 1969 में चार हस्तचालित नल-कूप चालू किये गये हैं और एक गहरा नल-कूप खोदा गया है। विमान क्षेत्र में जल सप्लाई की स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए हाल ही में नागर विमानन विभाग से प्राप्त अतिरिक्त नल-कूपों को लगाने और ओवरहैड टैंकों को बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

बम्बई और दिल्ली में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा चलाये जा रहे होटल

2831. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा बम्बई तथा दिल्ली में होटल चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा कलकत्ता में भी ऐसे होटलों का निर्माण किये जाने तथा उन्हें चलाये जाने की योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : फिलहाल इंडियन एयर लाइन्स कोई होटल संचालित नहीं कर रहे हैं।

केन्द्र द्वारा पूर्व बंगाल में सड़क संचार का विकास

2832. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग (सड़कों) के मंत्री ने 23 मई, को संवाददाताओं को बताया था कि पूर्व बंगाल के सामरिक तथा आर्थिक महत्व के कारण से वहां सड़क संचार के विकास तथा उसको बनाये रखने का समस्त खर्च केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गौहाटी में वर्तमान भवन के विस्तार अथवा नये भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव

2833. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गौहाटी में (1) परीक्षा हाल (2) कैंटीन में बैठने के लिये अधिक स्थानों तथा (3) सामान की डिलीवरी छत के नीचे देने की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान भवन का विस्तार अथवा एक नये भवन का निर्माण करने के बारे में कोई प्रस्ताव अथवा योजना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : जी, हां। चौथी पंचवर्षीय योजना में गौहाटी विमान क्षेत्र पर टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी उल्लिखित विषय शामिल होंगे।

आसाम की जनता की कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में आसाम के राज्यपाल का भाषण

2834. **श्री वि० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और नागालैण्ड के राज्य पाल ने गत अप्रैल में गौहाटी विश्वविद्यालय की बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आसाम के लोगों की कठिनाइयां और समस्याएं काल्पनिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आसाम सरकार द्वारा प्रोषित सूचना के अनुसार पिछले अप्रैल में भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति के उत्तर-पूर्वी भारत के दौरे के अन्त में उनके सम्मान में आयोजित गौहाटी विश्वविद्यालय की एक बैठक में राज्यपाल ने अपने भाषण में राष्ट्रपति को बताया कि आसाम के लोगों की अनेक कठिनाइयां हैं यद्यपि इनमें से कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक हो सकती है किन्तु वे बड़ी महसूस की जा रही हैं।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार राज्यपाल द्वारा दिया गया भाषण अपने कर्त्तव्यों के सामान्य निष्पादन में एक सामान्य भाषण था।

इन्दौर में दंगे

2835 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री के० रमानी :
श्री ग्र० कु० गोपालन :
श्री भगवान दास :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रवि राय :
श्री हुकम चंद कछवाय :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में होने वाले गम्भीर साम्प्रदायिक दंगों, जिसमें जून, 1969 में इन्दौर में होने वाले दंगे भी शामिल हैं, के मुख्य कारणों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार देश की साम्प्रदायिक स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण करती है। साम्प्रदायिक उपद्रवों की जांच करने के लिए नवम्बर, 1967 में नियुक्त आयोग ने अपना काम जारी रखा है। अगस्त, 1967 में हुए रांची-हटिया उपद्रव तथा सितम्बर, 1967 में हुई जैनपुर-सुचेतपुर (जिला गोरखपुर) की घटनाओं के बारे में दो प्रतिवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जून, 1969 में हुए उपद्रव की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया है।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के भाग (ग) के 25 जुलाई, 1969 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय योग्यता दल के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना

2836. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों ने राष्ट्रीय योग्यता दल के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आधार पर कार्यान्वित करने के लिये अप्रैल, 1965 में हुए एक सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की थी,

(1) गृह कार्य और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद निर्धारित शर्तों पर केन्द्रीय राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों का राज्य सरकारों को स्थानान्तरण,

(2) राष्ट्रीय योग्यता दल के प्रशिक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दक्षिण भारत में एक तीसरा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोलना,

(3) सम्पर्क कार्य के लिये पर्यवेक्षी-कर्मचारियों की एक केन्द्रीय पदावली बनाना, और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) और (ख).** 1965 में राज्य प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था उसने सिफारिश की थी कि गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के परामर्श से बनाये जाने वाले निबन्धन और शर्तों पर केन्द्रीय एन० डी० एस० शिक्षकों की राज्य सरकारों को बदली की जाये, दक्षिण भारत में तीसरा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जाये और सम्पर्क कार्य के लिये पर्यवेक्षक कर्मचारियों का एक केन्द्रीय संवर्ग हो।

एन० डी० एस० योजना का विकेन्द्रीकरण करने के लिये निर्णय किया गया है और एन० डी० एस० के शिक्षकों की राज्यों में बदली करने के लिये निबन्धन तथा शर्तों को अन्तिम

रूप दिया जा रहा है। योजना के विकेन्द्रीकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार तीसरा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोलने का या संपर्क कार्य के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षक कर्मचारियों के संवर्ग को बनाये रखने का नहीं है।

Construction of Bridge Over Ganga at Patna

2837. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision to construct a bridge over the Ganga river at Patna has been taken in consultation with the Central Government;

(b) if so, whether it is also a fact that some differences have arisen within the Bihar Government about the selection of the site;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) As the bridge in question would fall on a State road, a decision about its construction has to be taken primarily by the Government of Bihar,

(b) to (d) . The Government of India have no report whether there have been any differences within the Bihar Government about the selection of a site for the bridge. It is, however, learnt from them that although earlier it was decided to locate the bridge near Sabbalpur, the question of the exact location of the bridge has been further gone into by a Committee constituted by the State Legislative Council in May 1969 and the matter is being examined by the State Public Works Department further in the light of the Committee's Report.

जहाज माल भाड़े की दरों में वृद्धि

2838. श्री अदिचन : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नौवहन परिषद ने भारत-पाकिस्तान-श्री लंका और बर्मा, अमरीका निर्गामि माल भाड़ा सम्मेलन को लिखे गये अपने पत्र में उनके द्वारा 1 अगस्त, 1969 से माल भाड़े की दरों में 12 प्रतिशत वृद्धि करने के प्रस्ताव का विरोध किया था,

(ख) यदि हां, तो माल भाड़े में वृद्धि करने के क्या कारण हैं,

(ग) अखिल भारतीय नौवहन परिषद् ने इस बारे में क्या उत्तर दिया, और

(घ) अखिल भारतीय नौवहन परिषद् के विरोध के सम्बन्ध में उक्त सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) व्यय में अत्यधिक वृद्धि के आधार पर सम्मेलन ने भाड़े की दरों में वृद्धि के लिये कहा है।

(ग) और (घ) . सम्मेलन वृद्धि की मात्रा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और प्रभावशाली तारीख को 1.8.1969 से स्थगित कर 1.10.69 करने के लिये माना गया है।

इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को बेरोजगारी भत्ता

2839. **श्री प्रदिचन :**
श्री बालमीकी चौधरी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** दिनांक 9 मई 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के ऐसे प्रादेशिक कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जो इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा धारी प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे देने के लिये आवेदन पत्र मांगते हैं,

(ख) ये कार्यालय प्रत्येक वर्ष कितनी बार तथा कितनी अवधि के बाद ऐसे आवेदन पत्र मांगते हैं तथा इन प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा पिछली बार आवेदन पत्र कब आमंत्रित किये गये थे,

(ग) इन कार्यालयों में से प्रत्येक को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक द्वारा कितनी प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं,

(घ) क्या इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट मान दण्ड लागू किया जाता है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या इन प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र आमत्रित करने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराये गये हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) : शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय का उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय जो कानपुर में स्थित है प्रयोगात्मक प्रशिक्षण तथा वृतिका प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहली तथा चण्डीगढ़ के केन्द्र शासित क्षेत्र के राज्यों के संस्थानों से इंजीनियरिंग स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों से, आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

(ख) साधारणतया आवेदन पत्र वर्ष में एक बार तकनीकी संस्थानों के प्रधानों के माध्यम से आमत्रित किये जाते हैं। चालू वर्ष में प्रशिक्षण जो अक्टूबर-नवम्बर से प्रारम्भ होना है, आवेदन पत्र मार्च 1969 में आमंत्रित किये गये।

(ग) 1332 आवेदन पत्र-596 स्नातक इंजीनियरों और 736 डिप्लोमाधारियों से अब तक क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं। चूंकि, अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया अतः कई एक संस्थानों से आवेदन पत्रों की अभी प्रतीक्षा है। चयन उस समय किया जायेगा जब सभी आवेदन पत्र प्राप्त हो जायेंगे तथा उपलब्ध प्रशिक्षण स्थानों के सम्बन्ध में परिशुद्ध सूचना प्राप्त हो जायेगी।

(घ) चयन एक समिति द्वारा प्रार्थी के अन्तिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(ङ) क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों के प्रधानों को पत्रों के साथ साथ एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

विशेष पुलिस संगठन द्वारा मैसर्स एपीजे एण्ड कम्पनी के विरूद्ध जांच

2840. **श्री मुहम्मद इस्माइल -** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री उमा नाथ : **श्री प० गोपालन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संगठन ने मैसर्ज एपीजे एण्ड कम्पनी के विरूद्ध आरोपों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी आपत्तियां क्या हैं;

(ग) सरकार ने जांच के नतीजों के आधार पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। दो मामले दर्ज किये गये थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पडताल की गई।

(ख) एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है। दूसरे मामले में उन्होंने एक रिपोर्ट स्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है जिसमें कुछ अधिकारियों और सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है।

(ग) स्पात तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करने के पश्चात तीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाहियां समाप्त कर दी हैं किन्तु कुछ स्पात नियत्रण निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का विचार कर रहा है।

(घ) चूंकि विभागीय कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है अतः सम्बन्धित अधिकारियों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री द्वारा हैदराबाद का दौरा

2842. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री प्र० कु० सिंह देव :**
श्री घो० ना० देव : **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री शशि भूषण : **श्री रवि राय :**
श्री अब्दुल गनी दार। **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री डा० कर्णी सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री तथा उन्होंने तेलगाना के लिये पृथक राज्य के आन्दोलन के पहलुओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से हाल ही में हैदराबाद का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या घटना स्थल पर किये गये अध्ययन के आधार पर तेलंगाना समस्या के बारे में कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) . प्रधान-मंत्री ने 4 जून, 1969 की शाम को हैदराबाद का दौरा किया जिसके दौरान वे तेलंगाना की विद्यमान स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री तथा राज्य मन्त्रिमंडल में उनके सहयोगियों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों व संगठनों के अनेक प्रतिनिधियों तथा अलग-अलग व्यक्तियों से मिलीं। प्रधान मंत्री ने राज्य में शान्ति तथा मेल-जोल शीघ्र पुनर्स्थापित करने के लिए निवेदन करके भी अवसर का लाभ उठाया। गृह मन्त्री ने भी 7 से 9 जून, 1969 तक हैदराबाद का दौरा किया। वे भी विभिन्न वर्गों के लोगों, तेलगाना प्रजा समिति समेत विभिन्न संगठनों के प्रति-निधियों, ससद सदस्यों तथा राज्य विधान मडल के सदस्यों, इत्यादि से मिले। तेलगाना की वर्तमान स्थिति से निबटने के लिए विभिन्न विचार व्यक्त किये गये और सुझाव दिये गये। गृह मंत्री ने एक अपील की कि सभी आन्दोलनात्मक गतिविधियां स्थगित कर दी जाय और तेलगाना के लोग यह सुनिश्चित करें कि सामान्य स्थिति बनाई रखी जाएगी ताकि तेलंगाना समस्या का उचित और न्यायपूर्ण हल निकालने के लिए नेताओं से परामर्श किया जा सके। सरकार की नीति तेलंगाना के लोगों की वास्तविक शिकायतों का उचित हल आन्ध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य के भीतर ढूंढना है। प्रधान मन्त्री ने इस सदन में 11 अप्रैल, 1969 को इस प्रयोजन के लिए कुछ ठोस उपाय बताये थे और उन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही जारी है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि क्या तेलगाना क्षेत्र के लिए गठित राज्य विधान मडल की क्षेत्रीय समिति को संवैधानिक उपबन्धों के अनुकूल अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं।

Collection of Money by A New Delhi Housing Firm for Giving Residential Plots at Faridabad.

2843. **Shri Shashi Bhushan** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state .

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news items appearing in Nav Bharat Times dated the 7th June, 1969 to the effect that the Managing Director of a Housing and Building firm of Connaught Place in New Delhi has collected about Rs. 61 lakhs from people by giving them temptation of residential plot near Faridabad, but land has been given to none; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard and the action taken by Government on the written complaints made by 145 persons to recover their money or get them land ?

The Minister of State in the Ministry of Home affairs(Shri Vidya Charar Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Haryana have reported that when some of these complaints came to their notice, repeated press notes were issued by them to caution the public that the colonies had not been approved.

The Delhi Police received complaints alleging cheating by the colonizers viz. M/s. Alankar Housing & Construction Private Ltd. and their sister concerns, who had sponsored the two colonies. Hindustan Residential Estate and Green Estate in Faridabad. During investigation of the cases registered in this connection u/s 420/406/34 IPC, 8 persons including the Directors and the Managing Director of the Company were arrested. Ten of these cases have been put up to the court and the remaining cases are under investigation.

व्यापारी समुद्री जहाजों के अधिकारियों की प्रशिक्षण-सुविधाओं के बारे में तकनीकी समिति

2844. श्री क० अनिरुद्धन : श्री नाम्बयार -
श्री पी० पी० एस्थास : श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा व्यापारी समुद्री जहाजों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुबिधाएं देने के बारे में नियुक्त तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें दी हैं; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : तकनीकी समिति की मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही विवरण में दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1599/69]

रेल नौवहन समन्वय समिति

2845. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री भगवान दास :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री पी० राम मूर्ति :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल नौवहन समन्वय समिति ने रेलवे और तटवर्ती नौवहन कम्पनियों द्वारा रेल और समुद्र के मिले जुले मार्गों से माल ले जाने के लिये सीधी बुकिंग के प्रबन्ध करने का सुझाव दिया था,

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुझाव का अध्ययन किया है,

(ग) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री श्री रघुरामैया : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : यह सिफारिश कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि रेल मंत्रालय और भारतीय तट सम्मेलन की इस योजना के तय किये जाने वाले ब्यौरे के बारे में सहमति नहीं हो सकी। तथापि इस विषय में प्राक्कलन समिति (1968–69) द्वारा अपनी 73वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिश पर आगे विचार किया जा रहा है।

भारतीय तटवर्ती नौवहन को जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना

2846. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भारतीय तटवर्ती नौवहन को जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं के लिये कोई विशेष सहायता नही दी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई सहायता देने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है।

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : तटीय जहाजों की मरम्मत करने के लिए जहाज मरम्मत करने वाली कम्पनी को कोई विशेष प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। समुद्र पार और तटीय व्यापार दोनों में लगे जहाजों की देख भाल जहाजी मरम्मत करने वाले यार्ड और सूखी गोदी करती है। जहाजों की मरम्मत करने की सुविधाओं के सुधार करने और निर्माण करने के सवाल पर कलकत्ता और बम्बई दो बड़े पत्तनों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में जहाजों की मरम्मत के लिए सुविधाओं और निर्माण और सुधार के लिए जहाज निर्माता, जहाज मरम्मत करने वालों तथा जहाज सहायक अस्थाई समिति आवश्यक कदम उठाने का विचार कर रही है। समिति की शिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के सवाल पर विचार किया जावेगा।

कन्नानूर (केरल) में एझीमलाई का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

2847. **श्री के० अनिरुदन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन : **श्री आ० कु० गोपालन।**

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में कन्नानूर जिले में एझीमलाई पर्यटक केन्द्र के लिये बहुत ही उपयुक्त स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या एझीमलाई को पर्यटक केन्द्र के लिये चुनने के बारे में सरकार विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) केरल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों के मुकाबले में, जिनमें कि शीघ्र सुधार की आवश्यकता है, एझीमलाई को दी जाने वाली निम्न प्राथमिकता, और सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए, एझीमलाई को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, ऐसा समझा जाता है कि केरल राज्य सरकार की स्टेट प्लान के अन्तर्गत एझीमलाई में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार की योजनायें हैं।

पैराशूटों का पकड़ा जाना

2848. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री ई० के० नायनार :
श्री शारदा नन्द :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री रवि राय :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गणेश घोष :
श्री प० गोपालन :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार तथा आंध्र प्रदेश में पकड़े गये दो पैराशूटों की ओर दिलाया है जिसमें चीन विरोधी पर्चे और च्यागंकाई शेक की फोटो थी;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके पीछे छिपे तत्वों का पता लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : बिहार सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार च्यागकाई-शेक के चित्रों वाले पर्चों के सात गुब्बारे 31 मई और 2 जुलाई, 1969 के बीच विभिन्न स्थानों पर पाये गये। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 4 जून, 1969 को आदिलाबाद जिले के एक गांव में इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा च्यागंकाई-शेक के चित्र वाली पुस्तिकाओं वाला एक गुब्बारा पाया गया। पुलिस द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नौ टन भार के निर्धारित लक्ष्य की अपूर्णता

2849. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की नौ टन भार क्षमता को बढाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समय-समय पर निर्धारित किये गये लक्ष्य पूरे करने में उसका मंत्रालय असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं। प्रथम और द्वितीय योजनाओं के पोतपरिवहन के विकास का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया और तृतीय योजना के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सार भूत रूप से अधिक रही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणी

2850. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिल्ली के एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध की गई निन्दात्मक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है;

(घ) क्या उपर्युक्त बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार वर्तमान प्रक्रिया मे परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली नगर निगम, जो मुकदमें में एक पार्टी है, का विचार अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने का है ।

(ग) अवैतनिक मजिस्ट्रटों को दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या एफ 2(77)154-गृह दिनांक 8-7-1955 के अनुसार नियुक्त किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) . दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 14 में, जिसका स्थान संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक और कार्यकारी कृत्यों का प्रथक्करण) अधिनियम, 1969 ने ले लिया, संघ राज्य क्षेत्रों के अवैतनिक (विशेष) न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । तदनुसार जब यह अधिनियम दिल्ली में लागू होगा तो यहां कोई अवैतनिक (विशेष) न्यायिक मजिट्रेट नहीं होंगे ।

पंजाब-हरयाना क्षेत्रिक विवाद के बारे में आन्दोलन

2851. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन से उत्पन्न हुए पंजाब हरयाना के बीच क्षेत्रिक विवादों को हल करने के लिए अकालियों का विचार केन्द्रीय सरकार पर जोर डालने के हेतु एक बड़ा आन्दोलन आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में आन्दोलन के लिए अभी तक कोई निश्चत योजना नहीं बनाई गई है ।

डमडम हवाई अड्डे पर पानी की कमी

2852. **डा० रानेन सेन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डमडम हवाई अड्डे पर पीने के पानी की भारी कमी है जिससे उस क्षेत्र में रहने और काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ रहा है, और पानी की इस कमी को हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) हवाई अड्डे के आवास क्षेत्र में कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त क्वार्टरों के बन जाने के कारण, इन गर्मियों में जल सप्लाई में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई है। टर्मिनल इमारत के क्षेत्र में सप्लाई पर्याप्त है और इसका प्रभाव विमान सेवाओं पर नहीं पड़ा है।

(ख) जून, 1969 में चार हस्तचालित नल-कूप चालू किये गये हैं और एक गहरा नल-कूप खोदा गया है। विमान-क्षेत्र में जल सप्लाई की स्थिति में और अधिक सुधार करने के लिए हाल ही में नागर विमानन विभाग से प्राप्त अतिरिक्त नल-कूपों को लगाने और ओवर-हैड टैंकों को बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

लन्दन में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की योजना

2853. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा तथा युवक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हाल ही में इंग्लैंड का दौरा करते समय कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की है और सरकार ने उक्त केन्द्र के लिये कुछ धन राशि देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय संस्कृति के प्रचार के व्यापक उद्देश्य से लंदन में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की अपनी प्रायोजना के लिये तिलक स्मारक न्यास, लन्दन ने 1964 में वित्तीय सहायता के वास्ते प्रार्थना की थी। यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न भारतीय नेताओं के नाम पर लन्दन में ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों की बहुलता को ध्यान में रखते हुये यह वांछनीय होगा कि केवल एक ही ऐसा केन्द्र हो, जो एक व्यापक उद्देश्य वाली समिति के अधीन कार्य करे। इसलिये, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा बोइंग विमान खरीदने का निर्णय

2854. **श्री जनार्दनन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने कॉनकार्ड सुपर सोनिक विमान न खरीदने का निर्णय किया है और इसकी बजाय उन्होंने बोइंग कम्पनी में निर्मित किये जाने वाले अमरीकन एस० एस० टी० विमानों के विकास की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कॉनकार्ड विमान विश्व के सभी हवाई मार्गों पर वर्ष 1973 तक चलने लगेंगे और एस० एस० टी० विमानों का चलन केवल वर्ष 1978 में होगा; और

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा एस० एस० टी० विमानों के लिये विकल्प देने के क्या कारण हैं जब कि उन विमानों का चलन विश्व हवाई मार्गों पर कॉनकार्ड विमानों के चलन के बहुत बाद होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) एयर इंडिया ने दोनों ही, कॉनकार्ड तथा अमरीकन एस० एस० टी०, विमानों की दो वितरण-स्थितियों (डिलीवरी पोजिशन्स) का आरक्षण किया है। इन दोनों प्रकार के विमानों में से किसी एक को भी खरीदने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। एयर इंडिया के एक दल ने हाल ही में सोवियत सुपर सोनिक विमान टी० यू०-144 का निरीक्षण किया है। इस क्षेत्र में की जा रही प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक दोनों में से किसी को भी खरीदने का पक्का वचन नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली केन्द्रीय जांच विभाग की गोष्ठी

2855. **श्री भगवान दास :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने हाल में दिल्ली में एक गोष्ठी आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को;

(ग) क्या किसी संसद सदस्य को भाषण देने के लिये बुलाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो किस सदस्य को बुलाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 8 से 10 मई 1969 तक नई दिल्ली में अपराधिक विधि और समकालीन सामाजिक परिवर्तनों पर एक गोष्ठी आमंत्रित की थी।

(ग) और (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निम्न संसद् सदस्यों को गोष्ठी में भाग लेने तथा यदि संभव हो तो लेख देने के लिए आमंत्रित किया था :-

(1) श्री के० हनुमंतय्या
(2) श्री एस० डी० मनी
(3) श्री एम० सी० चागला
(4) श्री एम० पी० भार्गव
(5) श्री एन० सी० चटर्जी
(6) श्री जी० एल० नन्दा
(7) श्री अशोक सेन
(8) श्री फ्रैंक अन्थोनी
(9) श्री के० नारायना राव
(10) श्रीमती सुचेता कृपलानी
(11) श्री एम० सी० सीतलवाड़

पुलिस की हिरासत में गोआ के एक साम्यवादी नेता की मृत्यु

2856. **श्री भगवान दास** : क्या-गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ खान श्रमिक संघ के उप-प्रधान तथा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की गोआ राज्य समिति के सचिवालय के सदस्य श्री जे० बी० एक्स० डी क्रूज की बाइकोलिम पुलिस थाने में पुलिस की हिरासत में 6 मार्च, 1969 को मृत्यु हो गई थी,

(ख) पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु किन कारणों से हुई;

(ग) क्या यह सच है कि श्री जे० बी० एक्स० डी क्रूज को डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध नहीं की गई, जो दस घण्टों से बेहोश थे और पुलिस के अत्याचार के कारण उनका खून बह रहा था;

(घ) क्या इस रहस्यपूर्ण मृत्यु के बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है, और यदि हां, तो किसने जांच-पड़ताल की और उसके प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है, और यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या; और

(ङ) न्यायिक जाच का आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). 13 मार्च 1969 को लोक सभा में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) और (घ). गोआ, दमन व दीव सरकार ने श्री डी० क्रुज की मृत्यु के कारण तथा अनुगामी परिस्थितियों की जांच करने के लिए तथा यह पता लगाने के लिये कि क्या कोई व्यक्ति सयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से जान बूझ कर अथवा अन्यथा उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है और क्या सम्बन्धि व्यक्तियों की ओर से भी डा० क्रुज को पर्याप्त डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था न करने में कोई उपेक्षा तो नहीं है, जांच आयोग अधिनियम 1952 के अधीन पणजी के जिला तथा सत्र न्यायधीश श्री टी टो मेन्नीज को 30 अप्रैल, 1969 को नियुक्त किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सेक्टर 2 के निवासी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कल्याण सस्था

2857. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 2 निवासी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कल्याण संस्था में पिछले 7 वर्षों से पदाधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि में इस संस्था को प्रति वर्ष कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ग) उक्त अवधि में इस सस्था का प्रतिवर्ष आय तथा व्यय का लेखा जोखा क्या था जो इसने मुख्य कल्याण अधिकारी के पास भेजा था;

(घ) इस संस्था को प्रतिवर्ष अनुदान दिये जाने के क्या कारण थे, जब कि यह पता था कि वही व्यक्ति किसी न किसी रूप मे इसके पदाधिकारी बनते रहते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि अनुदान की राशि वास्तव में सैक्टर 2 निवासियों के कल्याण पर खर्च की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) यह संस्था केवल 1965–66 से नियमित पुनरावर्तक अनुदान प्राप्त कर रही है। 1964-65 से इस संस्था के पदाधिकारियों के नाम बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है (विवरण संख्या 1)। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1600/69]**

(ख) 1965-66 से संस्था को स्वीकृत अनुदान के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है (विवरण सख्या II) **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1600/69]**

(ग) 1965-66, 1966–67 तौर 1967–68 के लिये आय और व्यय के विवरण सदन के सभा पटल पर रखे जाते हैं (विवरण संख्या III) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1600/69]**

(घ) उपरोक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही नहीं है कि व्यक्तियों का एक ही वर्ग किसी न किसी रूप में इसके

कार्यकर्ता बने रहे । किन्तु, चुने जाने वाले कार्यकर्ताओं में परिवर्तन होना अनुदान की स्वीकृति के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं है ।

(ङ) जब तक आम सभा द्वारा विधिवत् अनुमोदित लेखे-जोखे गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं और इन लेखे-जोखों में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तब तक जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में पर्यटन के विकास पर खर्च

2858. श्री रवि राय : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में राज्य तथा केन्द्रीय दोनों क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर निर्धारित राशि से बहुत कम राशि खर्च की जाने के तथ्य की ओर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित राशि से कम राशि खर्च किये जाने के कई कारण थे जिनमें स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त संगठनात्मक व्यवस्था का अभाव; तीसरी योजना की अवधि में दो बार संकट-कालीन परिस्थितियों की घोषणा जिसके कारण पर्यटन विषयक स्कीमों को बड़ी निम्न प्राथमिकता दी गयी; तथा नियम-विनियम सम्बन्धी औपचारिकताओं को, जिनका कि परिपालन स्कीमों के वास्तविक क्रियान्वयन से पहले आवश्यक होता है, पूरा करने मे विलम्ब सम्मलित है । संगठन को अधिक परिपुष्ट करने के उपाय किये जा रहे हैं, तथा इस बात का हर प्रयत्न किया जा रहा है कि चौथी योजना की अवधि में खर्च करने के मामले में किसी प्रकार की न्यूनता न रहने पाये ।

दिल्ली में मस्जिदों को गिराये जाने का आरोप

2859. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में हजारों कबरों के साथ-साथ मस्जिदों को भी गिराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अधिकारियों ने इसके लिये केन्द्रीय सरकार से पहले मंजूरी ले ली थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों ने मौलाना इमदाद साबरी तथा हजारों अन्य मुसलमानों को, जो उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे गिरफ्तार कर लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). मौलाना इमदाद साबरी और अन्य 91 व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर 25-6-1969 को चांदनी चौक में गिरफ्तार किया गया था।

कलकत्ता में गैर बंगाली व्यापारी समाज के बीच तनाव

2860. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक गैर-सरकारी व्यापारी समाज के घेराव तथा उन पर हमले की अफवाहें फैलाने के परिणाम-स्वरूप 'कलकत्ता बाजार क्षेत्र में आतंक तथा तनाव' के बारे में 13 जून, 1969 को "टाइम्स आफ इंडिया (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वयं सेवकों के पास किसी भी प्रकार के हमले का सामना करने के लिये हथियार भी थे;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इस बारे में विस्तृत सूचना देने के लिये कहा है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में रहने वाले गैर-बंगाली समाज से सम्बन्ध रखता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 12 जून, 1969 को एक अफवाह फैल गई कि कुछ बंगाली युवक कलकत्ते में एक व्यापार केन्द्र, बुर्रा बाजार क्षेत्र में, घेराव और प्रदर्शन करेंगे जहां गैर बंगाली व्यापारियों की संख्या अधिक है। एहतियाती उपाय के रूप में उपयुक्त पुलिस प्रबन्ध किये गये और इससे स्थानीय लोगों को विश्वास पुनः स्थापित हो गया। कोई प्रदर्शन या घेराव नहीं हुआ। नगर में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली थी। कोई ऐसा समाचार नहीं है कि स्वयं सेवकों के पास किसी आक्रमण का सामना करने के लिए हथियार थे।

गुजरात-राजस्थान क्षेत्रीय विवाद

2861. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सन्तरामपुर और राजस्थान में बांसवाड़ा के बीच स्थित एक छोटा सा क्षेत्र दोनों सरकारों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है ;

(ख) क्या दोनों राज्यों के मोल इस स्थान को पवित्र स्थान मानते हैं; और

(ग) विवादों को सौहार्द पूर्ण तरीके से हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से मालुम पड़ता है कि सन्तरामपुर, जो अब गुजरात राज्य का भाग है और बांसवाड़ा जो अब राजस्थान राज्य का भाग है, की भूतपूर्व रियासतों के बीच की सीमा 1873 में मिस्टर प्रेसकोट द्वारा निर्धारित की गई थी, जो उस समय वहां राजनीतिक अभिकर्ता थे, और यह कि मिस्टर प्रेसकोट की क्षेत्र-पंजी में दिये गये विवरण के अनुसार भूमि पर वास्तविक सीमा का पता लगाने में कुछ कठिनाई हो रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) दोनों राज्यों के मामले पर पत्राचार हो रहा है और आशा की जाती है कि वे इस विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से तय कर लेंगे।

लन्दन में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र

2862. **श्री शंकरा नन्द :**
श्री स० अ० अगड़ी :

क्या शिक्षा तथा युवक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने लन्दन स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को कुछ धन देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के संस्थापकों नाम क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) कितना धन देने का वचन दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के०आर०वी० राव) : (क) से (ग). भारतीय संस्कृति के प्रचार के व्यापक उद्देश्य से लन्दन में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की अपनी प्रयोजना के लिए तिलक स्मारक न्यास, लन्दन ने 1964 में वित्तीय सहायता के वास्ते प्रार्थना की थी। यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न भारतीय नेताओं के नाम पर लन्दन में ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय होगा कि केवल एक ही ऐसा केन्द्र हो जो एक व्यापक उद्देश्य वाली समिति के अधीन कार्य करे। इसलिये भारत-सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

हुगली नदी पर दूसरे पुल का निर्माण

2863. **श्री देवेन सेन :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह पुल कहां पर बनाया जायेगा और क्या वह ऊंचा पुल होगा या नीचा पुल होगा; और

(ग) इस पुल के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि देने का प्रस्ताव रखा है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). निर्माण होने पर यह पुल एक राज्य सड़क में पड़ेगा । अत: पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यत: इसके निर्माण से संबंधित है । उन्होंने हाल ही में बताया है कि उसने प्रिंसप के घाट पर कलकत्ता की ओर एक उच्चस्तरीय पुल बनाने का निश्चय किया है जिस पर, इस पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से मिलाने वाली कौना एक्सप्रेस वे के निर्माण की लागत को छोड़कर, 16.52 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । भारत सरकार ने चौथी योजना अवधि में इस पुल की लागत के लिए राज्य सरकार को गैर योजना ऋण देना स्वीकार कर लिया है ।

अफगानिस्तान और भारत के बीच वैज्ञानिक सहयोग का कार्यक्रम

2864. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या शिक्षा तथा युवक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वैज्ञानिक सहयोग का एक कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग तथा राकेट्रि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2865. श्री जुगल मंडल : क्या शिक्षा तथा युवक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रांची स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनोलोजी में वर्ष 1968–69 में एक वर्षीय राकेट्रि तथा अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने रांची स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैकनोलाजी; राकेट्री तथा अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग अनुसन्धान में एम० ई० पाठ्यक्रम आरम्भ करने के बारे में अनुमति नहीं दी है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस समय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों को उनके सफलता प्राप्त करने पर किसी अन्य संस्थान में जहां ऐसी सुविधायें उपलब्ध हों अर्थात् भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में एम० इ० पाठ्यक्रम (अन्तिम वर्ष) में प्रवेश दिलाने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा वी० के० आर० वी० राव) :(क) और (ख). बिड़ला औद्योगिकी संस्थान रांची से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्थान ने राकेटरी और अन्तरिक्ष इंजीनियरी में 1964–65 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया था किन्तु चालू वर्ष से इसे दो वर्ष के मास्टर डिग्री कोर्स में बदलने का निर्णय किया गया है। अतः अब डिप्लोमा कोर्स को मंजूरी देने का प्रश्न नहीं उठता । नये मास्टर डिग्री कोर्स को केन्द्रीय सरकार से मंजूरी दी गयी है ।

संस्थान ने सूचना दी है कि 1968–69 के डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को नई मास्टर्स डिग्री के लिये पढ़ाई जारी रखने के लिये अनुमति देने का प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) और (घ) संस्थान ने सूचना दी है कि पिछले वर्षों में जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स पूरा किया था उन सब के सब को या तो रोजगार मिल गया है या वे उच्चतर अध्ययन के लिये विदेश गये हैं। मास्टर्स डिग्री कोर्स में दाखले के लिये किसी डिप्लोमाधारी से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

कल्याण संस्थाओं की कल्याणकारी कार्यवाहियां

2866. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न बस्तियों में श्रेणी एक के क्वार्टरों के निवासियों की विभिन्न कल्याण संस्थाओं की कल्याणकारी कार्यवाहियों की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति स्थापित की है;

(ख) यदि तां, तो उसका गठन किस प्रकार किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ए उक्त समिति को उनके अधीन प्रत्येक समाज सदन की देख-रेख करने के लिये एक हजार रुपये दिये जाते हैं और समिति का अध्यक्ष भी इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक संस्था से अनुदान का 15 प्रतिशत लेता है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उक्त समिति की आय तथा व्यय का लेखा-जोखा क्या है ; और

(ङ) समाज सदन की आय तथा व्यय किस नियम तथा किस प्राधिकार के अधीन नियंत्रित हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् । समन्वय समितियां, जहां कहीं भी बनाई गई है, समाज सदनों के प्रबन्ध और कल्याण संस्थाओं, गृह कल्याण केन्द्रों आदि द्वारा इनके प्रयोग के समन्वय के लिये स्थापित की गई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जहां कहीं समन्वय समिति स्थापित की गई है जहां उसकी निधियां इनसे प्राप्त होती हैं—

(1) भारत सरकार अथवा अन्य उपयोग करने वाले संगठनों व संस्थाओं से प्राप्त सहायता अनुदान;

(2) भाग लेने वाली प्रत्येक रिहायशी कल्याण संस्थाओं द्वारा प्राप्त वार्षिक सहायता अनुदान के न्यूनतम 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक चन्दे अथवा भाग लेने वाली प्रत्येक रिहायशी कल्याण संस्थाओं से 10.00 प्रति माह जहां एक सदन में तीन से अधिक संस्थाएं हैं, बशर्ते कि व्यय का वास्तविक समायोजन हो ।

(3) सदन का किराया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) समाज सदनों की आय और व्यय गृह मन्त्रालय द्वारा बनाये गये आदर्श नियमों के आधार पर अपनाये गये नियमों के अनुसार समन्वय समिति द्वारा, जहां कहीं ऐसी समिति है, नियंत्रित किये जाते हैं अन्यथा गृह मंत्रालय इनका नियत्रक प्राधिकारी है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में कुओं में पाकिस्तानियों द्वारा विष डालना

2867. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान तथा पूर्वी सीमाओं के निकट स्थित ग्रामों में कुओं तथा नहरों में पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा गत दो वर्षों में विष डाले जाने के समाचार मिले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

5 जून, 1969 को मानसून के आने पर सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर अव्यवस्था

2868. **डा० कर्णी सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जून, 1969 को 9.20 म० प० को पहली वर्षा के कारण बम्बई के सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर पूर्ण रूप से अव्यवस्था रही, यात्री पीछे के दरवाजों से हवाई अड्डे में प्रवेश कर रहे थे और वर्षा ऋतु में पर्याप्त बचाव प्रबन्ध न किये जाने के कारण उनका सामान वर्षा में पूरी तरह भीग गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) : नागर विमानन विभाग द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग के तीनों प्रवेश द्वारों पर प्रति वर्ष आयोजित किये जा रहे कैनवस के

मण्डप (केनोपी) 5 जून, 1969 को लगे हुए थे। तथापि, 5-6-69 को कुछ यात्रियों का सामान वर्षा में भीग गया क्योंकि सामान ले जाने वाली टोलियां पूरी तरह आच्छादित नहीं थी।

(क) अब यात्रियों तथा उनके सामान दोनों ही की वर्षा से रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है।

केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2869. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग का "केन्द्र-राज्य सम्बन्धों" के बारे में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1601/69**]

(ग) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा के फूलबानी जिले में रहस्यमय वस्तुओं का पाया जाना

2870. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उड़ीसा के फूलबानी जिले के बाद पुलिस स्टेशन के इलाके में कुछ रहस्यमय वस्तुएँ पाई गई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन सब बातों से अवगत कराया है;

(ग) क्या इन वस्तुओं की उचित रूप से जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार पोलीथीन की बनी हुई एक बड़े गुब्बारे के समान वस्तु फूलबानी जिले के बौद्ध पुलिस थाने के क्षेत्र में एक गाव में पड़ी पायी गई। गुब्बारे के साथ धातु के यंत्र वाला गत्ते का एक डिब्बा जुड़ा था। एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसमें चीनी

लिपि से मिलती-जुलती लिपि में लिखा हुआ था, भी पाया गया था। राज्य की पुलिस की विशेष शाखा मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

राहत कार्यों के लिए नियत धन का दुरुपयोग

2871. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि सामाजिक कार्य के लिये एक क्रिश्चियन एजेंसी, जो एक अमेरिकी एजेंसी है और राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य में लगी है; के धन का उपयोग राज्य में भारतीय क्रान्ति दल के प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए धन के आवंटन में कटौती

2872. **श्री एन. शिवप्पा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए धन के आवंटन में कटौती की है, और

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन उपक्रम में कार्यक्षमता बढ़ाने तथा इसे आर्थिक रूप से विकासक्षम संगठन बनाने के लिए एक अध्ययन एकक नियुक्त करने का है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा मांगे गये 18.50 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक आवंटन में से दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमोदित कर दी गई है। दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा प्रस्तावित 3.19 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1.5 करोड़ रुपये का वार्षिक उपबन्ध 1969-70 के लिये अनुमोदित हो चुका है।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली में हिसार की एक महिला का कथित अपहरण

2873. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हिसार से एक 20 वर्षीय महिला का अपहरण किया गया था, जबकि उसका स्वसुर 19 जून, 1969 को मोती बाग, नई दिल्ली में इन व्यक्तियों के पास एक रात के लिए ठहरा था;

(ख) क्या वह महिला अब बरामद कर ली गई है और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). श्री खेम चन्द द्वारा रामकृष्णपुरम पुलिस थाने में, यह आरोप लगाते हुए एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 14/15 जून, 1969 की रात को वह मोती बाग में ठहरा था अपने भाई की पत्नी श्रीमती बहोती तथा अन्य के साथ, जिसे वह उसके पिता के घर पर छोड़ने जा रहा था। 15-6-1969 को प्रातः श्रीमती बहोती गुम पाई गई। यह आरोप लगाया गया था कि श्री ज्ञान चन्द और श्री शर्मा द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया होगा।

इस रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल की।

जब जांच पड़ताल हो रही थी तो 24-6-69 को ज्ञान चन्द और श्रीमती बहोती न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्वय उपस्थित हुए। मजिस्ट्रेट द्वारा लड़की के बयान लिये गये। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है।

भारत और पोलैण्ड में वैज्ञानिक सहयोग

2874. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 के लिए भारत और पोलैण्ड के बीच वैज्ञानिक सहयोग के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1969 और 30 जून, 1969 के बीच कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) करार का विवरण इस प्रकार है :-

(1) विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों विनिमय, अनुभव का विनिमय, विचार विनिमय, अन्तर्राष्ट्रय उद्योगों, सम्मेलनों तथा बैठकों आदि में भाग लेना।

(2) टेक्नोलोजी तथा उद्योगीकरण की समस्याओं पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के लिए एक दूसरे को प्रति वर्ष पांच-पांच छात्र वृत्तिया देना।

(3) दोनों देशों के उद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान संगठन से संबंधित सूचना तथा टेक्नोलोजी तथा उद्योगीकरण के विकास के बारे में सूचना तथा रुचिकर सामग्री का आदान-प्रदान।

(4) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा ग्रंथ सूचियों के विनिमय द्वारा उपयुक्त पुस्तकालयों सूचना केन्द्रों तथा संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना ।

करार के अनुसरण में, पोलिश प्राधिकारी, हाल ही में भारत के चार वैज्ञानिकों को अपने देश में प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गए हैं। इनके प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

हंगरी के साथ वैज्ञानिकों की अदला-बदली सम्बंधी कार्यक्रम

2875. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा हंगरी के बीच नवम्बर, 1968 से नवम्बर, 1969 तक की अवधि के लिए वैज्ञानिकों की अदला-बदली सम्बन्धी एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन प्रस्तावों को हंगरी के प्राधिकारियों को भेज दिया गया है और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

बल्गारिया के साथ वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम

2876. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा बल्गारिया के बीच एक वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत तथा विज्ञान तथा तकनीकी प्रगती संबन्धी राज्य समिति, बल्गारिया जन गण-राज्य के बीच वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के विषय में, एक करार पर दिनांक 2-5-1967 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गए थे। कार्यक्रम का ब्यौरा मोटे तौर पर निम्नलिखित है ।

(1) उच्चतर वैज्ञानिक और अनुसंधान, संस्थाओं तथा उद्यमों से वैज्ञानिक तथा तकनीकी अन्वेषणों के क्षेत्रों में ठोस समस्याओं के अध्ययनार्थ वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों का विनमय ।

(2) वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना और अनुभव का विनमय तथा सम्मेलनों, परिवादों, प्रदर्शनी आदि का परस्पर हित के लिए संघठन ।

(3) औद्योगिकी क्षेत्रों में परस्पर हित के लिए संयुक्त वैज्ञानिक तथा तकनीकी अन्वेषण ।

(4) आदान प्रदान के आधार पर नवयुवक वैज्ञानिकों के लिए शिक्षण तथा छात्र वृत्तियों के सम्बन्ध में सुविधाएं ।

(5) विशेषज्ञों के बीच परामर्श ।

(6) वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रलेखों का विनिमय ।

(7) पुस्तकों, पत्रिकाओं और सूची पत्रों के लिए तदनुरूपी पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों और संस्थानों के बीच सम्पर्क और सहयोग की स्थापना ।

(8) विज्ञान तथा औद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशो की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन ।

1968 में बल्गारिया के अपने दौरे के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के महानिदेशक ने सहयोग के क्षेत्रों के बारे में विचार-विमर्श किया था और एक कार्यक्रम तैयार किया गया था । तदनुसार, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों तथा बाह्य संगठनों से, उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में प्रस्ताव मांगे गए थे और इन पर विचार किया जा रहा है ।

अंग्रेजी के आशुलिपिकों की कमी

2877. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अंग्रेजी के आशु लिपिकों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके कारण बहुत से सरकारी कार्यालयों में काम ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी कार्यालयों में आशु लिपिकों के वेतनमान लाभदायक नहीं हैं और गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रमों तथा सरकार द्वारा आशुलिपिकों को दिये जा रहे वेतन में भारी अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी सिफारिश पर विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । (I) 1968 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने वाले आशु लिपिकों के पदों के लिये आवेदकों की संख्या से तथा (II) 1968 के दौरान रोजगार कार्यालयों की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की तुलना में 31-12-1968 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर आशुलिपिकों की संख्या से अनुमान लगाने पर यह मालुम नहीं पड़ता कि देश देश में अंग्रेजी के आशुलिपिकों की बहुत कमी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). सरकारी/गैर-सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले आशुलिपिकों के पारिश्रमिक के बारे में गृह मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है। किन्तु सरकारी कार्यालयों में आशुलिपिकों के वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्धारित किये गये थे। आशुलिपिकों के वेतन मान अभी हाल ही में संशोधित किये गये है, गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 14-1-68 सी० एल० 2, दिनांक 24-7-69 को देखिए, जिसकी प्रति सदन के समा पटल पर रखी है। [पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 602/69]

बिहार के सहायता - प्राप्त कालेजों में छात्रों का प्रवेश

2878. **श्री भोगेन्द्र झा :** शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि उन सहायता-प्राप्त कालेजों को प्रति वर्ष कम से कक 1500 छात्रों को प्रवेश देने के नियम का पालन नहीं करते, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई अनुदान नहीं मिलने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसका बिहार में कितने कालेजों पर प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम सेना बनाया जाना

2879. **श्री हेम राज :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा।
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1969 को ट्रिब्यून में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ऐसे इश्तहार लखनऊ में देखे गये है जिनमें मुस्लिम सेना बनाये जाने की घोषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी गैर-सरकारी सेना का निर्माण भारतीय धर्म निरपेक्ष लोक तन्त्र में कहां तक ठीक बैठता है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार एक मुस्लिम सेना के बनाए जाने की घोषणा करने के अभिप्राय वाले कुछ इश्तहार लखनऊ में देखे गये। किन्तु उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसे किसी संगठन के बनाए जाने के समाचार नहीं हैं। राज्य सरकार साम्प्रदायिक मेल-जोल में सम्भावित गड़बड़ी पैदा करने वाली गति विधियों पर सावधानी से निगरानी रख रही है।

हिमाचल प्रदेश में लगाये गये पंजाब के अधिकारी

2880. **श्री हेम राज : क्या गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लगाये गये पंजाब के अधिकारियों की विभाग-वार संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं और उनकी नियुक्ति कब कब हुई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की तुलना में इन अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और गत 2 1/2 वर्ष से निर्णय स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के समकक्ष अधिकारी इनकी तुलना में कनिष्ट हैं तथा पंजाब से लगाये गए वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों से वंचित करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन वरिष्ठ पदों पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियां कर रहा है; और

(ङ) जून, 1969 के अन्त तक हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा विभागवार कितनी तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं और ये पदोन्नतियां किस आधार पर की गई हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर केवल श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के बारे में अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी : देखिये संख्या एल. टी. 1603/69**] कुल मिला कर पंजाब से हिमाचल प्रदेश को सभी श्रेणियों के 23,000 से अधिक कर्मचारियों का आवंटन किया गया है। कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के बारे में सूचना एकत्रित करने में जितना परिश्रम होगा वह प्राप्त परिणाम के तुल्य नहीं होगा।

पंजाब विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कम किया जाना

2881. **श्री एन० शिवप्पा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी करके पंजाब विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार राज्य के 11 जिलों से घटाकर 7 जिलों तक सीमित कर दिया है और पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 19 कालेजों को पटियाला स्थित पंजाबी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी करने से पहले केन्द्रीय विधि मन्त्रालय से परामर्श किया था;

(ग) क्या इस अधिसूचना से प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और साम्प्रदायिक तत्वों को भी प्रोत्साहन मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पंजाब सरकार ने 13 मई, 1969 की अधिसूचना द्वारा 30 जून, 1969 से पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला का क्षेत्राधिकार, पटियाला जिले में स्थित संगरूर, भटिण्डा और रायपुर के 19 कालेजों, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे, तक बढ़ा दिया।

(ख) राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करने में केन्द्रीय-विधि मन्त्रालय की राय नहीं ली, लेकिन अक्टूबर, 1968, में राज्य सरकार ने मेरे मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में पूछा कि, पंजाब के कालेजों को पंजाबी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिये यदि पंजाब सरकार ने उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से असम्बध करने का निश्चिय किया तो, क्या पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, विधि मन्त्रालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि नवम्बर, 1966, के पूर्व के कोई भी कालेज जो पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन कार्य कर रहे थे, अब पंजाबी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होते हैं तथा पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा।

(ग) तथा (घ). अधिसूचना से किसी प्रकार के साम्प्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इससे पंजाब विश्वविद्यालय को कुछ प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयां हो सकती है। ऐसे मामलों का, फिर भी पारस्परिक परामर्श से निपटान करना सम्भव हो सकेगा।

लद्दाख में मुस्लिम बहुल जिला बनाया जाना

2882. श्री एन० शिवप्पा।
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में कारगिल के मुस्लिम बहुल जिले बनाने की मांग हुई है;

(ख) क्या भारत सरकार इस मत से सहमत है कि अलग जिले बनाने से कोई लाभ नहीं होगा; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार किसी प्रकार हस्तक्षेप करने तथा देश की अखण्डता को कायम रखने का है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कारगिल का एक अलग जिला बनाने के लिए एक मांग की गई थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा इसे दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार कर देने पर अब इसे त्याग दिया गया है।

क्षेत्रीय अनुसधान शाला हैदरा॰ाद में कोयला गैस परियोजना

2883. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री नम्बियार :
श्री के॰ अनिरुद्धन :
श्री प॰ गोपालन :
श्री भगवान दास :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय ने परिषद् से कहा है कि क्षेत्रीय अनुसंधान शाला, हैदराबाद द्वारा आरम्भ की गई कोयले से गैस बनाने की परियोजना का निर्माण कार्य जिस पर 2 करोड़ रुपये लागत आती थी, बन्द कर दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान शाला इस परियोजन पर 25 लाख रुपये पहले ही खर्च कर चुकी है, जिसमें से अधिकांश राशि वसूल होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि फ्रांस से उपकरणों के आयात के लिए 11 लाख रुपये के खर्च को, जिसका वचन दिया जा चुका है, भी वहन करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य किन-किन कारणों से बन्द किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा॰ वी॰ के॰ आर॰ वी॰ राव) : (क) से (ग), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की कोयला गैस परियोजना के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं व प्राक्कलनों व समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी। अपनी रिपोर्ट में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रख कर, (जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी॰ एस॰ आई॰ आर) की शासी निकाय ने 14 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि पेट्रोलियम व रासायनिक तथा खनिज व धातु मन्त्रालय से, जो कोयले के 3 उर्वरक संयंत्रों का आयोजन कर रहा है, यह अनुरोध किया जाय कि यदि वे जरूरत समझते हैं तो परीक्षण के लिए इस संयंत्र को हाथ में ले लें।

(ख) इस परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक व्यय 35.12 लाख रुपये है जिसमें फ्रांस के ऋण से उपलब्ध उपकरणों के लिए भगतान किया गया 9.45 लाख रुपये का धन भी शामिल है। फ्रांस ऋण के अन्तर्गत, 37.88 रुपये की बकाया रकम (वर्तमान विदेशी मुद्रा पर आधरित) छमाही वार किश्तों में 15 फरवरी, 1978 तक पूरी की जाएगी।

जर्मन लोकतन्त्री गणराज्य में गांधी जन्म शताब्दी समारोह सम्बन्धी जर्मन-भारत सोसायटी द्वारा समिति स्थापित किया जाना

2884. **श्री हर दयाल देवगुण :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतन्त्री गणराज्य में जर्मन-शास्त्र सोसायटी ने गांधी जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए गांधी जन्म शताब्दी समिति स्थापित की है;

(ख) जर्मनी में इस समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है और उस देश में गांधी जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए इस समिति ने क्या कार्यक्रम बनाए हैं; और

(ग) भारत सरकार ने उक्त समिति को गांधी जन्म शताब्दी समारोह सफलता पूर्वक आयोजन करने के लिए क्या और किसका सहयोग तथा सहायता प्रदान की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) संघीय गण राज्य जर्मनी के चांसलर प्र० कर्ट जार्ज कीसिंगर गांधी शताब्दी समारोह सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष हैं। डा० सिफ्रीज़ जो मिनिस्टर हैं इस समिति के अध्यक्ष हैं।

शताब्दी समारोह संघीय गण राज्य जर्मनी में 20 अक्टूबर, 1968 को आरम्भ हुआ था और सारे देश में मनाया जा रहा है। समारोह की मुख्य बातें निम्न हैं :—

(एक) वहां पर महात्मा गांधी के सम्बन्ध में सात गोष्ठियां की गई हैं जिनमें सबसे बड़ी जुलाई, 1969 में लोक्कम में हुई थी।

(दो) देश के विभिन्न महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में गांधीजी के जीवन, कार्य और विचारों पर कई भाषण दिये गये।

(तीन) "इन्डो एशिया" और "दास पार्लियामेन्ट के विशेष सस्करण निकाले गये हैं।

(चार) जर्मन प्रेस महात्मा गांधी पर लेख प्रकाशित कर रहा है।

(पांच) स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भाषण दिये जा रहे हैं।

(छः) जर्मन रेडियो और टेलीविज़न पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं।

(सात) वहां की सरकार द्वारा गांधीजी की स्मृति में डाक टिकट निकाला जायगा।

(आठ) जर्मन नगरपालिका प्राधिकार ने विभिन्न प्राधिकारों को सलाह दी है कि वे सड़कों, चौराहों, गलियों आदि के नाम गांधीजी के नाम पर रखें।

(नौ) विज्ञान तथा शिक्षा फिल्म और पिक्चर संस्थान, म्यूनिच स्कूलों और अन्य स्कूलों तथा संस्थानों में दिखाने के लिए एक फिल्म तैयार कर रहा है।

(दस) विभिन्न संगठनों, जैसे कि कार्मिक संघों, राजनीतिक दलों, विश्वविद्यालयों, गांवों के विकास सम्बन्धी सगठनों और सार्वजनिक शिक्षा और युवक कार्य सम्बन्धी संगठनों ने अपनी शाखाओं को अपने कार्यक्रमों और विशेष रूप से अपने प्रकाशनों ने गाधीजी जा सम्मान करने के लिये सलाह दी है।

(ग्यारह) संघीय गणराज्य की गांधी शताब्दी समारोह समिति द्वारा संघीय गणराज्य में शताब्दी समारोह की सभा घटनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) विदेशों में गांधी शताब्दी सम्बन्धी उपसमिति, नई दिल्ली ने भारतीय राजदूतावास बोन को, शताब्दी समारोह मनाने वाले संस्थानों/संगठनों में वितरण के लिये निम्न सामग्री दी थी।

(एक) महात्मा गांधी पर 7 किट (बक्सों में बन्द चल प्रदर्शनियां)

(दो) महात्मा गांधी पर या द्वारा लिखित 241 पुस्तकें।

(तीन) गांधीजी पर 3 वृत्त चित्र।

(चार) 123 स्लाइडें और फिल्म 7 स्ट्रिपें।

बोन में भारतीय राजदूतावास ने संघीय गणराज्य जर्मनी में गांधी शताब्दी समारोह समिति को पूरा सहयोग दिया है। राजदूत ने महात्मा गांधी पर गोष्ठियों और बैठकों में भाषण दिये हैं। शताब्दी के संदर्भ में जो महात्मा गांधी पर अच्छी तरह बोल सकते थे उन सर्वोपरि व्यक्तियों ने (श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती आशा देवी और श्री आर० आर० दिवाकर) संघीय गणराज्य का दौरा किया।

डा० मलिक अब्बास की गिरफ्तारी

2885. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० मलिक अब्बास को इस आशय का वक्तव्य देने के कारण कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था कि कब्रिस्तानों, मस्जिदों तथा अन्य धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिए एक मुस्लिम सेना बनाई जायेगी; और

(ख) सरकार को मुस्लिम सेना के निर्माण में क्या आपत्ति है जबकि राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ, शिव सेना और ऐसी ही अनेक सेनाएं चिरकाल से चली आ रही हैं और उनकी गतिविधियां साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद पर आधारित होने के बावजूद उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार डा० अब्बास मलिक को 12 मार्च, 1969 को पहाड़ी भोजला पर 19 फरवरी, 1969 को एक सार्वजनिक भाषण करने के लिए गिरफ्तार किया गया जो पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 9, जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, के अधीन कार्यवाही करने योग्य था। उस भाषण में मुस्लिम सेना बनाने का कोई उल्लेख नहीं था।

(ख) सरकार उन सभी संगठनों की उन गतिविधियों के प्रति चिन्तित है जो धर्म, जाति, जन्म-स्थान, रिहायश अथवा भाषा के आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय वर्गों के बीच असंगति या शत्रुता की भावना, घृणा या द्वेष बढ़ाते हैं या बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, हिंसा का पक्ष लेते हैं।

दिल्ली में घेराव

2886. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में (एक) मिलों (दो) कारखानों (तीन) दूकानों (चार) बैंकों (पांच) सरकारी कार्यालयों (छ) अधिकारियों (सात) शिक्षा संस्थाओं (आठ) रेल गाड़ियों (नौ) बसों (दस) समद भवन और (ग्यारह) प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर घेराव की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) घेराव की इन घटनाओं के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) क्या घेराव की घटनाओं में किसी को गिरफ्तार किया गया और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और यदि उन्हें कोई दण्ड दिया गया है तो वह क्या है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

2887. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा में से 40 प्रतिशत भाग काले बाजार में चला जाता है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों की आय में से लीकेज के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी ;

(ग) क्या 'लीकेज होटल' में 'मनी एक्सचेंज' की सुविधा उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में बिलों के अनिवार्य उचित भुगतान के बारे में विधान न होने के परिणामस्वरूप हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा को काले बाजार में जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : पर्यटकों से उपार्जित की गयी विदेशी मुद्रा के क्षरण (लीकेज) के बारे कोई प्रामाणिक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं । सरकार ने विदेशी मुद्रा के क्षरण की समस्या पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की है । एक अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने सुझाव दिया है कि अधिक खर्चीले होटलों में ठहरने वाले विदेशी अतिथियों से, कुछ अपवादों को छोड़कर, अपने भोजन तथा आवास का व्यय विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अपेक्षा की जाये । इस सिफारिश पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है ।

जम्मू तवा काश्मीर सरकार द्वारा लिया जाने वाला पथकर

2888. **श्री सं० अ० अगड़ी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ पर बनिहाल के निकट जम्मू तथा काश्मीर सरकार पथकर चालू कर रही है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को पथकर वसूल करने की अनुमति कब से दी गई है,

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार को यह विशेषधिकार प्राप्त है अथवा किसी अन्य राज्य को भी यह कर वसूल करने की अनुमति दी गई है, और

(घ) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) . सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विद्रोही कुकी और मिजो लोगों द्वारा भर्ती

2889. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही कुकी तथा मिजो लोग तामेंगलांग आदिवासी क्षेत्र में लोगों को जबरदस्ती भरती कर रहे हैं और उनसे भोजन और धन भी जबरदस्ती ले रहे हैं;

(ख) यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मणीपुर प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, सुरक्षा दल विद्रोही गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हैं ।

वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग

2890. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यह आयोग कब तक अपना कार्य पूरा कर लेगा; और

(घ) इस पर अब तक कितना खर्चा आया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की योजनाएं, उनकी प्रगति, उन पर हुआ खर्च और अभी कितना कार्य बाकी है जिसे पूरा करना रहता है यह सब दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1604/69]

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश

2891. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें जो महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर ली थीं बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी कालेजों में पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कालेज कौन से हैं जिनमें ये सिफारिशें लागू नहीं की हैं, जहां अध्यापकों को नये वेतनमान नहीं दिये गये और जिन्होंने उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ग) राज्य के शिवाजी, पूना मराठवाड़ा तथा नागपुर विश्वविद्यालयों के बारे में तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या कार्यवाही करने का परामर्श दिया है जिससे वेतनमानों सम्बन्धी ये सिफारिश सर्वत्र लागू हो जाये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने की केन्द्रीय योजना को बम्बई विश्वविद्यालय के सम्बद्ध सभी कला, विज्ञान, वाणिज्य और माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों ने लागू कर दिया है। किन्तु, दो कालेजों में (एम० वी० कालेज, अन्धेरी, और पार्ले कालेज, बम्बई) 400-800 रु०/700-1100 रु० के ग्रेडों में अध्यापकों को रखने के कुछ मामले बकाया हैं। इनके सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

राज्य सरकार ने अधिकतर कालेजों को, योजना के नियमानुसार 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के वर्षों के बकाया की अदायगी के लिए भी अनुदान स्वीकृत कर दिए हैं।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों तथा इनसे सम्बद्ध कालेजों ने योजना को लागू कर दिया है।

(घ) संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने के लिए सरकार सभी राज्य सरकारों को मनाने का प्रयत्न कर रही है और करती रहेगी।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों में सेवा निवृत्ति आयु और वेतनमान को एक समान करना

2892. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ सेवा निवृत्ति की आयु वेतनमान के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया है ताकि समूचे देश में एक समान नीति अपनाई जा सके;

(ख) भारत सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु क्या निर्धारित की है और क्या यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अन्य सभी तकनीकी संस्थानों में लागू होती है; और

(ग) किन राज्य सरकारों ने वेतनमान तथा सेवा निवृत्ति की आयु को भारत सरकार के संस्थानों में निर्धारित वेतनमान तथा सेवा निवृत्ति की आयु के बराबर किया है और उनके द्वारा इस नीति का अनुसरण न किये जाने के बारे में उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) श्रेणी I, II तथा श्रेणी III की सेवाओं। पदों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और श्रेणी IV में 60 वर्ष है। उपर्युक्त सेवा निवृत्ति की आयु केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम तथा परिनियत स्वायत निकाय अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु स्वयं निधारित करते हैं।

(ग) तामिल नाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, जम्मू व काश्मीर, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार के समान है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेनतमान भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और एक समान नहीं हैं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों को भी नही माना हैं। राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति तथा उनके वेतन मान को निर्धारित करने का अधिकार है और इस कारण भारत सरकार को उनके द्वारा लिये गये निर्णयों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

भारत-नेपाल सीमा पर बिहार में राष्ट्रीय राजपथ

2893. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री 11 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान सड़कों, जिनमें निर्माणाधीन सड़कें भी शामिल हैं, जो बिहार के बिल्कुल उत्तरी भागों में भारत नेपाल सीमा के बिल्कुल पास तथा सीमा के समानान्तर चल रही हैं, जैसे सीतामढ़ी माधवपुर-हरलाखी-जयनगर-लाड़निया-लूकाहा और बीरपुर तथा फारबसगंज आदि के बीच बनी के बारे में सूचना प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा के साथ-साथ सड़क यातायात को निर्विघ्न बनाने के उद्देश्य से इनके बीच के खाली भाग में सड़कें बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो खाली भाग कितने मील है तथा वर्तमान सड़कें कितने मील लम्बी हैं और बीच के खाली भाग में सड़कें बनाने के काम पर कितना धन खर्च आयेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : उल्लिखित सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हैं। बिहार सरकार से निश्चित रूप से मालुम किया गया है कि सीतामढ़ी से सुरसांद तक राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इस में माधवपुर-हारलखी होते हुए सुरसांद से जैनगर तक 24 मील की लुप्त कड़ी है। लदानियां होते हुए जैनगर से लोकाहा तक एक राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क बन रही है। वीरपुर और फारबसगंज के बीच लगभग 17 मील लम्बी एक और लुप्त कड़ी है। सीतामढ़ी से सुरसांद तक 16 मील लम्बी सड़क तैयार हो गयी है। जैनगर से लादानिया तक की 13 मील लम्बी सड़क का निर्माण हो रहा है जिस में से सातवें मील से आगे निर्माण-कार्य सब तरह से पूरा हो गया है। 1965 के भारी बाढ के कारण इस सड़क के कुछ भाग में पानी भर गया था। अब पुश्ता ऊंचा किया जा रहा है और इस कार्य के जून 1970 तक पूरा होने सम्भावना है। लादानिया से लोकाहा इस योजना के पदमा-चाप्ती-लदानिया-लोकाहा-फूलपारस सड़क का एक अंग है। निर्माण-कार्य 1968—69 में शुरु किया गया था और इसके 1970 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। वित्तीय कमी के कारण राज्य सरकार अंत से (गैप्स) को भराने के प्रश्न पर विचार करने की स्थिति में नहीं है। सीतामढ़ी और लोकाहा के बीच की लुप्त कड़ी 24 मील के लगभग है। वीरपुर और फारबसगंज के बीच की लुप्त कड़ी 17 मील है। लोक-निर्माण विभाग की सड़क की कुल लम्बाई लगभग 42 मील है। अंतरों को जोड़ने की लागत का अनुमान 41 मील के लिए 82 लाख रुपये हैं।

भारत में चीनी और पाकिस्तानी जासूस

2894. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह-कार्य मन्त्री भारत में चीनी और पाकिस्तानी जासूसों के बारे में 9 मई, 1969 के अंतारांकित प्रश्न सख्या 8977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हा, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)। (क) और (ख) . आंध्र-प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, तामिल नाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनीकोय व अभिनादेवी द्वीपसमूह, दादरा व नगर हवेली, गोवा, दमण व दीव तथा पाण्डिचेरी प्रशासनों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रतीक्षित है।

शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1605/69]

प्राचीन तथा बहुमूल्य कला वस्तुओं का भारत से चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना

2895. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** . क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन तथा बहुमूल्य कला वस्तुओं की भारत से बाहर तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में भारत से बाहर चोरी छिपे ले जाई गई बहुमूल्य प्राचीन मूल्यवान कला वस्तुओं जैसे प्रतिमाएं, कांस्य, मूर्तियां, पाण्डु लिपियां, सूक्ष्म चित्र और कला तथा कढ़ाई की हुई अन्य वस्तुओं का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार संग्रहालयों, भारतीय नरेशों, गैर सरकारी व्यक्तियों आदि से जिनके पास ये वस्तुएं हैं, उपरोक्त संग्रहीता वस्तुओं की सूची तैयार करेगी और उनके फोटों लेगी तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जय पाल सिंह) : (क) राज्य सरकारों को अपनी अपनी पुलिस को मंदिरों और अन्य पुराने स्मारकों से चोरी को रोकने के लिए गतिशील बनाने के लिए सावधान कर दिया गया है । केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में निगरानी का काम यथासम्भव सुदृढ़ कर दिया गया है । निरोधक उपाय के रूप में, इन स्मारकों के चारों ओर पड़ी हुई मूर्तियों को केन्द्रीय स्थान पर स्थित ऐसे मूर्ति-शाहबानों में ले जाया जा है, जहां पर उनकी देख भाल अच्छी प्रकार की जा सके । चोरी सम्बन्धी मामलों की पुलिस को तुरन्त सूचना देने के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को कह दिया गया है । प्रमुख बन्दरगाहों की निर्यात सलाहकार समिति तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों से चोरी की हुई और बिना लाइसेंस प्राप्त पुराशेषों के निर्यात को रोकने के लिए अनुरोध किया गया है । और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय भी विचाराधीन है ।

(ख) भारत से बाहर चोरी छिपे ले जाई गई वस्तुओं का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

(ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित संग्रहालयों का सम्बन्ध है, वे अपने-अपने संग्रहों की सूची बना रहे हैं, तथा फोटो ले रहे हैं । फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन किसी व्यक्ति से उसके अधिकार में सभी कला वस्तुओं का प्रलेख करने के लिए अनुरोध किया जा सके ।

होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों (मध्य प्रदेश) में प्राचीन स्मारक

2896. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों में स्थित किन प्राचीन स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक स्मारक की देखभाल तथा रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1606/69]

विदेशों में भारतीय प्रतिमाओं, कांस्य मूर्तियों, सूक्ष्म कला चित्र तथा कला कृतियों आदि की प्रदर्शनी

2897. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न किन-किन देशों में भारतीय प्रतिमाओं, कांस्य मूर्तियों सूक्ष्म कला चित्रों और कला कृतियों आदि की प्रदर्शनी की गई थी;

(ख) इन प्रदर्शनियों में कितनी वस्तुओं का नुकसान हुआ तथा खोई हुई हैं और इनका मूल्य कितना था;

(ग) क्या उन देशों ने भी भारत में अपनी कला की पुरातन वस्तुओं की प्रदर्शनी की है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारत द्वारा एकतरफा प्रदर्शनी आयोजित किये जाने का क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1607/69]

(ग) और (घ). यद्यपि, संलग्न विवरण में उल्लिखित देशों ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में अपनी अपनी प्राचीन कला की वस्तुओं के प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं की थी, किन्तु सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रम के अन्तर्गत, इन देशों में से कुछ ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान, ग्राफिकों, चित्रों, प्रतिमाओं, पोस्टरों, प्रतिकृति फोटो आदि से सम्बन्धित अन्य प्रदर्शनियां आयोजित की थी। इस कार्यक्रम के अधीन भारत ने भी विदेशों में ऐसी ही प्रदर्शनियों का आयोजन किया था।

एकात्मक सरकार

*2898. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एकात्मक सरकार स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अलगाव की प्रवृत्तियों को रोकने का है, जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विशाल हरियाणा की मांग, बुंदेलखन्ड, मालवा छत्तीसगढ़, विदर्भ के अलग राज्यों की स्थापना के रूप में सिर उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) कुछ अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में यह भावना मालूम पड़ती है कि अतीत में विकास सम्बन्धी उनकी मांगों पर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया और यह कि उनका पिछड़ापन, यदि इन क्षेत्रों को पृथक् बना दिया जाये, समाप्त हो जायेगा । ऐसी मागें तेलंगाना विदर्भ आदि के व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा समय-समय पर की गई हैं । सरकार का दृष्टिकोण है कि इन क्षेत्रों के व्यक्तियों की वास्तविक मागें तीव्र विकास से, न कि पृथक् राज्यों के बनाने से, पूरी की जा सकेंगी ।

योजनाओं के बनाने में अच्छे क्षेत्रीय संतुलनों के उद्देश्य की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । नई चतुर्थ योजना के बनाने के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा राज्यों को पहले ही सुझाये गये विकास के सूचकों के आधार पर राज्यों के भीतर सुस्पष्ट रूप से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के प्रश्न के पुनरीक्षण के लिये राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है । स्थानीय साधनों और आवश्यकताओं के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये योजनाएं तैयार करने के लिये भी उनसे निवेदन किया गया है । इन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों के विकास के लिये अवस्थापक सुविधाओं के सृजन पर तथा यथोचित अवधि में विकास की प्रगति को तीव्र करने पर विशेष जोर दिया गया था । अभी हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के उपायों की परीक्षा के लिये योजना आयोग द्वारा दो कार्यकारी वर्ग स्थापित किये गये । आशा की जाती है कि राज्य सरकारें योजना आयोग द्वारा सुझाई गई रूपरेखाओं पर कार्यवाही करेंगी ।

Correspondence Course in M. A.

2899. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry and the University Grants Commission have supported the move for introducing correspondence course in M. A.;

(b) whether it is also a fact that the Delhi University has recently taken a decision not to introduce the said correspondence course;

(c) whether it is also a fact that the main reason for taking such a decision is that the Academic Council has not given permission therefor; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The University has decided to introduce Correspondence Courses for M. A. in Hindi, English and Political Science from this academic year (1969-70).

(c) and (d) . Do not arise.

Book on 'My Experiments with Truth'

2900. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report that the Haryana Government has made compulsory the study of "My experiments with Truth", the autobiography of Gandhiji, in all the schools in the State;

(b) if so, whether his Ministry is drawing up any scheme for making compulsory the study of the said book in the schools all over the country; and

(c) if so, the time by which this scheme is proposed to be introduced and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Haryana Government has a proposal under consideration to introduce the book in an abridged student edition as compulsory reading between the 5th and the 8th classes.

(b) and (c) . Prescription of text-books in schools is the responsibility of State Governments. Nevertheless, we are writing to the State Governments drawing their attention to what Haryana Government has done and requesting them to consider the possibility of their taking similar action.

Durgapur Firing Incident

2901. **Shri Shashi Bhushan** :
Shri Deven Sen :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report of the D. I. G. of the Intelligence Department about the Durgapur firing wherein he has categorically stated that "the Police constables had gone out of control";

(b) whether Government's attention has also been drawn to that part of the report wherein it has been stated that "Police entered the Engineering College and indulged in acts of sabotage; they did not seek permission from the College authorities to enter the College precincts; they opened fire and started beating students without any reason and although they had not been given orders to open fire";

(c) the details of the report received from the State Government in this regard; and

(d) Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d) . Facts are being ascertained from the State Government,

कलकत्ता में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि

2902. **श्री कृ० गु० देशमुख :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में पूर्वी प्रदेश के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मुख्यालय के निर्माण के लिये 100 एकड़ भूमि का आवंटन करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या भूमि निःशुल्क अथवा उचित मूल्य के आधार पर मांगी गई थी;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये भूमि न देने के क्या कारण बताये हैं; और

(घ) भूमि को अर्जित करने के लिये भारत का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल (क), (ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए कलकत्ते में किसी भूमि के आवंटन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया था। फिर भी, दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वर्ग केन्द्र के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया था और दुर्गापुर विकास अधिकरण द्वारा विकास संबंधी लागत के भुगतान पर गत वर्ष 198 एकड़ भूमि आवन्टित की गई थी, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार भूमि का मूल्य वहन करने के लिए सहमत हो गई थी। भावी आवश्यकताओं के लिए समान शर्तों पर अतिरिक्त भूमि के लिए एक अनुरोध के उत्तर में राज्य सरकार ने यह मशवरा दिया था कि अत्यधिक आवश्यकताओं के कारण वे अतिरिक्त भूमि को आवंटन करने की स्थिति में नहीं हैं।

(घ) दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तुरन्त तथा निकट भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

गुब्बारों द्वारा आसाम में चीनी इश्तहार छोड़े जाना

2903. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जून, 1969 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि आसाम में डेरांग के समीप कल्याणपुर गांव में 24 जून, 1969 को एक गुब्बारा छोड़ा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें चीनी भाषा में लिखित चीनी प्रचार-साहित्य था और एक इश्तहार पर माओत्से तुंग का चित्र भी छपा था; और

(ग) क्या उसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ भी थे, क्योंकि उसे उठाते हुए तीन व्यक्तियों के घायल होने का समाचार दिया गया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने समाचार देखा है । समाचार में उल्लिखित गांव उड़ीसा में है न कि असम में ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 23 जुलाई, 1969 को पुरी जिले के कल्याणपुर में एक बड़ा गुब्बारा पाया गया था । यह पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया था । यह लम्बाई में 63 फीट और चौड़ाई में 33 फीट था । इसमें चीनी भाषा में लिखे कुछ पर्चे थे । जब उत्पुकतावश कुछ ग्रामीणों ने गुब्बारे को हिलाने डुबाने का प्रयत्न किया तो यह फट गया और पांच व्यक्ति जलने से घायल हुए ।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री बी० पी० सिन्हा को पेंशन दिया जाना

2904. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री० बी० पी० सिन्हा को कितनी पेंशन मिलती है;

(ख) क्या सरकार को उन कम्पनियों के नामों का पता है, जिनके निदेशक मंडल में श्री बी० पी० सिन्हा निदेशक हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि सरकार को उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या सरकार श्री सिन्हा को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को कहेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) 24,800 रुपये प्रतिवर्ष ।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल के कम्पनियों के पंजीकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार श्री बी० पी० सिन्हा निम्नलिखित कम्पनियों के निदेशक हैं.—

1- टर्नर, मौरिसन एण्ड कम्पनी, लि०
2- इलाहाबाद बैंक लि०
3- लोदना कोलिरी कम्पनी (1920) लि०
4- स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी, लि०
5- एंगेलो ब्रदर्स लि०
6- असम सिल्लीमेनाइट लि०, असम
7- दी ओस्मशाही मिल्स लि०, महाराष्ट्र
8- आर० पी० सिन्हा सीमेंट कम्पनी, लि० बिहार ।
9- क्योरवैल (इण्डिया) लि०, दिल्ली ।
10- सिलवानिया लक्ष्मण लि०, नई दिल्ली ।

National Policy on Education

2905. **Shri Valmiki Choudhary** Will the Minister of **Education And Youth Services** be pleased to state:

(a) the steps taken so far to implement the declared National Policy on education and the progress made in this regard; and

(b) the details of various schemes included in the Fourth Five Year Plan in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K R. V. Rao) : (a) The National Policy on Education has been adopted as the basis for the formulation of the Fourth Five-Year Plan in Education.

Most of the programmes included in the National Policy on Education have to be implemented by the State Governments. Here the main difficulty has been the constraints of resources. The amount allocated to Education in the Fourth Five-Year Plan in the State sector is now only Rs. 543 crores as against Rs. 884 crores which was allocated in the draft outline of the old Fourth Five-Year Plan. It has, therefore, not been possible to undertake any large scale implementation of major programmes.

In the Central sector also, the implementation of the National Policy has suffered on account of the paucity of resources-the total allocations to education in the Central sector now stand at Rs. 259 crores only as against Rs 326 crores in the draft outline of the old Fourth Five-Year Plan But within this constraint of resources, steps are being taken to place larger funds at the disposal of the University Grants Commission (the allocation to UGC in the new Fourth Five-Year Plan is Rs. 115 crores as against Rs, 58 crores in the draft outline of the old Fourth Five-Year Plan) for improvement of higher education, to develop modern Indian languages with a view to their adoption as media of instruction at the university, stage, to improve teacher education at the secondary level (an allocation of Rs. 8 crores has been made for the first time in the Central sector) and for the introduction of the scheme of National Service and National Sports Organisation as alternative to N.C.C. on a voluntary basis. Funds have also been provided for research, experiments and pilot projects.

Another difficulty for implementation has been created by the drastic reduction made in the centrally-sponsored schemes under education. In the draft outline of the old Fourth Five-Year Plan, there were as many as 16 centrally-sponsored schemes with a total allocation of about Rs. 86 crores. In the new Fourth Five-Year Plan, there are only four schemes in the centrally-sponsored sector in education and the total allocation is Rs. 28 crores. This reduction has become a great handicap in the efforts of the Centre to assist the State Governments for implementing the National Policy.

(b) The major schemes included in the Centre and the State Fourth Five-Year Plans based on the National Policy are as follows :

1. Fulfilment of the Constitutional directive of providing free and compulsory education for all children up to the age of 14 :

Enrolment in classes I-V will increase to 85% of the age-group 6-11 and 42.1% of the age-group 11-14 by 1973 74.

2. Improvement of Teacher Education :

A sum of Rs. 8 crores has been provided for the qualitative improvement of teacher education at the secondary stage, and placed at the disposal of the UGC.

3. Development of Indian languages and the adoption of regional languages as media of education at the university stage :

An 18 crores scheme is being implemented for the production of university level books in the regional languages. The Government of India has also taken up a programme of producing core books to be used in all universities and for the production of media book.

4. Implementation of the three-lauguage formula at the secondary stage :

A pilot scheme is being introduced to assist Hindi speaking States for appointing teachers in the modern Indian Languages.

5. Promotion of Hindi :

Production of university level books in Hindi is being taken up as first priority programme at the State and Central levels. A scheme for the development of Hindi abroad is also being taken up.

6. Identification of Talent :

Expansion of scholarship programme, expansion on of science talent search programme and a point effort at identifying sports talent are major programmes under these heads.

7. National Service Scheme :

The programme of National Service is being interoduced on an optional basis within the allocation available. A similar programme for development of sports is also being developed.

8. Promotion of Science Education and Research :

These programmes are being implemented through the UGC with increased allocation.

9. Schemes to relate technical education to industry and manpower needs of the country ;

These include sandwich courses, industrially oriented post-graduate course; programme of apprenticeship training.

10. Production of School Textbooks :

These programmes include the establishment of a National Board of School Textbooks, creation of a Department of Textbook in the NCERT.

11. Examination Reform :

Expansion of programmes of Examination Reform at the school and university stages.

12. Expansion of Secondary Education :

Enrolment in the age-group 14-17 will reach 26% by 1973-74 the main emphasis being on providing facilities in rural areas. Secondary education is being made free in many States, while some others are increasing the provision of free student ships.

13. Vocationalisation of Secondary Education :

This includes a programme of providing agricultural education at the secondary stage undertaken in Orissa, organisation of pilot projects for developing worthwhile programmes of vocationalisation, etc.

14. Strengthening of University Education :

Allocations to the UGC have been increased to strengthen university education. Special emphasis is being placed on the organisation of part-time education and correspondence courses.

15. Training of Youth for Self Employment :

A pilot project will be implemented in selected districts for the training of youth for vocational education and self-employment.

16. Bharatiya Bhasha Sansthan :

This central institution has been established to make a comparative study of Indian languages and to train teachers for them. The study of tribal languages will receive special attention.

17. National Staff College of Educational Administration :

It is proposed to start immediately an Indian programme in the Asian Institute of Educational Planning & Administration and to develop it ultimately into the National Staff College for Educational Administration.

18. National Integration :

Several programmes of National Integration are being developed. These include the compilation of patriotic songs; the Nehru Library for Children's books; Antar Bharti programmes among the general public; Antar-Bharti programmes in Secondary schools and colleges; National Integration camps for students; etc.

19. Adult Education :

Some programmes for the development of adult education and liquidation of illiteracy are being taken up. A National Board of Adult Education is being established.

20. Youth Services :

A comprehensive programme of youth services is being drawn up. As it was not included in the original draft of the Fourth Five Year Plan, a request for additional funds is being made.

दिल्ली में सड़क दुर्घटना में वृद्धि

2906. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात पुलिस द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के अधिकतर चालक किसी न किसी शारीरिक दोष के कारण अस्वस्थ पाये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में अधिक दुर्घनाएं होती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर मोटर गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं और उन्हें यातायात नियमों की भी जानकारी नहीं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में अत्यधिक बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मोटर गाड़ी चलाने का लाइसेंस देने के नियमों को और अधिक कठोर बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राज पथों के निर्माण के लिए दी गई सामग्री

2907. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा केन्द्रीय अभिकरण है जो राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए दी गई सामग्री की किस्म अथवा मात्रा की जांच करता है,

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राज पथ संख्या 28 (अब सीमा पार्श्व सड़क), जो बिहार राज्य में सारन जिले में हैं, के लिये जो निर्माण-सामग्री दी गई थी, क्या उसकी कभी किसी केन्द्रीय अभिकरण ने जांच की है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस सड़क के लिये जो निर्माण-सामग्री दी गई थी वह बहुत ही घटिया किस्म की थी और मात्रा में भी कम थी ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यद्यपि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है तथापि विशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग जिन राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में पड़ती है उन्हीं की एजेन्सी द्वारा उसका निर्माण कार्य करवाया जाता है। अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्गों सहित सब सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों के अपने लोक निर्माण विभाग हैं । संविदा की शर्तों और विशिष्ठियों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा पूर्ति किये गये सामान की मात्रा तथा प्रकार की जांच करने के लिए उनका अपना प्रबन्ध है । इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्राप्त सामान की मात्रा और प्रकार की जांच के लिए कोई पृथक केन्द्रीय एजेन्सी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बिहार लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि जब कभी अवमानक सामान प्राप्त हुआ उसे राज्य लोक निर्माण विभाग ने अस्वीकार किया और उसके लिए भुगतान नहीं किया । उसने वास्तविक नाप तौल के अनुसार सामान स्वीकार किया और सामान के कम मात्रा में पूर्ति किये जाने का कोई भी मामला नहीं हुआ है ।

आसाम में विदेशी धर्म प्रचारक

2908. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने लखीमपुर जिले के विदेशी धर्म-प्रचारकों से राज्य छोड़ कर चले जाने के लिये कहा है;

(ख) क्या इन धर्म-प्रचारकों की गति-विधियाँ भारत-विरोधी पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ये धर्म-प्रचारक किन गतिविधियों में भाग ले रहे थे; और

(घ) अगर भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो आसाम राज्य से उनके निकाले जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) लखीमपुर में कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों को असम से चले जाने के लिये कहा गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सुरक्षा के विचार से ।

दिल्ली की ईदगाह में मस्जिदों का कथित गिराया जाना

2909. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ईदगाह क्षेत्र में कुछ मस्जिदों को गिराने से केन्द्रीय सरकार से इस संदर्भ में परामर्श लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन को क्या परामर्श दिया गया था ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ईदगाह क्षेत्र में गिराने की कार्यवाही के बारे में दिल्ली नगर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श नहीं लिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सर्वेक्षण और खुदाई कार्य

2910. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में पुरातत्वीय महत्व के विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण और खुदाई कार्य के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की हैं और गत तीन वर्षों में इस कार्य के लिये कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) सरकार ने उड़ीसा के उन प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है, जिनका अभी सर्वेक्षण किया जाना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने, उड़ीसा में, खुदाई का कोई कार्य अपने हाथ में नहीं लिया है, किन्तु उदयगिरि में हुए खर्च के लिये, 1968-69 में राज्य सरकार को 757 रुपये का तुलनात्मक सहायक-अनुदान दिया गया था ।

(ख) पुरातत्व विषयक अवशेषों का गांव गांव में सर्वेक्षण करने के लिए, एक चौथी पंचवर्षीय परियोजना है, इस योजना के अधीन, उड़ीसा के सभी जिलों में, भारतीय पुरा-तत्वीय सर्वेक्षण के पूर्वीय सर्किल द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा। इस परियोजना के अगली आयोजना में भी चलने की आशा है।

उड़ीसा में पर्यटकों के लिए परिवहन तथा अन्य सुविधायें

2911. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को परिवहन तथा अन्य सुविधाओं को इस वर्ष बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उड़ीसा में प्राकृतिक सौन्दर्य वाले तथा पर्यटकों के आकर्षण स्थलों के विकास के लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) उड़ीसा में किन स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में चुना गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुरी जिला में कान्तिलो तथा मुडियापाड़ा नामक स्थानों को रमणीय और पर्यटन-स्थलों की सूची में जोड़ने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पुरी जिला में अत्री में स्थित उष्ण जल स्रोत को विकसित करने का है, ताकि पर्यटक लोग वहां गंधक के चश्मे में स्नान कर सकें ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) परिवहन की व्यवस्था करना मुख्यत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार ने इस वर्ष पर्यटकों के उपयोग के लिये दो कारें ली हैं। इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर और पुरी में निजी पार्टियों को पर्यटन संगठन के सहयोग से भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क त्रिकोण के गिर्द संदर्शित यात्राओं के लिए 'मिनी-बसें' चलाने के परमिट जारी किये गये हैं। कोणार्क में श्रेणी II के एक पर्यटक बंगले का संचालन इस वर्ष से प्रारम्भ हो चुका है और रम्भा में एक अन्य पर्यटक बंगला शीघ्र ही संचालित किया जाने वाला है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कोणार्क का समेकित विकास करने का प्रस्ताव है, जिसके लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भुवनेश्वर और पुरी में भी पर्यटक सुविधाओं को सुधारने का प्रस्ताव है। इन दो स्थानों पर लगायी जाने वाली राशि का नियमन विशिष्ट योजनाओं के तैयार हो जाने पर तय किया जायेगा।

राज्य सरकार ने कोणार्क में मेरीन ड्राइव के निर्माण के लिये चालू वर्ष में 2 लाख रुपये की व्यवस्था की है। भुवनेश्वर में और उसके आस-पास स्थानीय महत्व के स्थलों के विकास के लिये 50,000 रुपये की एक रकम की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, रूरकेला और रम्भा ऐसे पर्यटक केन्द्र हैं जहां राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार की सहायता से पर्यटक सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

(घ) और (ङ) : सीमित साधनों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पर्यटन विभाग इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है। तथापि, राज्य सरकार यदि निधियां उपलब्ध हो सकीं, तो इनके क्रियान्वयन पर विचार कर रही है।

शिक्षा तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने सम्बन्धी समिति के बारे में कार्यवाही सारांश रिकार्ड करने में अनियमितताएं

2912. **(डा० कर्ण सिंह)** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष ने कार्यवाही सारांश में अपने आप कुछ पैराग्राफ जोड़ दिये जिन पर समिति द्वारा बिल्कुल चर्चा नहीं की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही का गलत वृतान्त रिकार्ड करने वाले अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : विद्यार्थियों के भाग लेने, पाठ्यचर्य्या और परीक्षा में सुधार समिति के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कुछ पैराग्राफों को जोड़ा, जिस पर कि समिति के कुछ सदस्यों ने सम्मेलन के समापन्न सार्वजनिक अधिवेशन में, इस आधार पर आपत्ति की कि इन पर समिति की बैठक में विचार-विमर्श नहीं हुआ। इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, समिति के अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों से परामर्श करके रिपोर्ट का पुनरीक्षण किया जो कि बाद में स्वीकार कर ली गई। इसलिए, समिति के अध्यक्ष पर किसी प्रकार की कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठा।

ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास इंजीनियरी डिप्लोमाधारी व्यक्ति

2913. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या गृह-कार्य मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास इंजिनियरी डिप्लोमाधारी व्यक्तियों के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्। कुछ मंत्रालयों। विभागों से अभी सूचना की प्रतीक्षा है।

संविधान विरोधी नारे

2915. **श्री पी० विश्वम्भरन्** :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री एस० एम० कृष्णा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे कलकत्ता नगर में ऐसे नारे और इश्तहार लगाये गये हैं जिनमें 'काले सविधान को नष्ट करो" तथा "माओ को लाल सलाम" लिखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से विरोध प्रकट किया है और उसे उन्हें हटाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो यह विरोध और अनुरोध कब किया गया; और

(घ) यदि कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

संसद् सदस्यों के लिए आचार संहिता

2916. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय और लगेगा और इसमें क्या मुख्य रुकावटें हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). विधायकों और प्रशासकों के बीच सम्बन्धों को विनियमित करने हेतु विधायकों के लिए आचार संहिता का प्रारूप और इस विषय पर सन्थानम समिति की सिफारिशें संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को भेजी गई हैं। इस मामले को सितम्बर, 1969 में होने वाले अखिल भारतीय सचेतकों के सातवें सम्मेलन के सामने लाने का विचार है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य-संचालन के बारे में एक संसद सदस्य का पत्र

2917. श्री मधु लिमये : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक संसद सदस्य से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य-संचालन के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में किन मुख्य बातों का उल्लेख है; और

(ग) प्रत्येक बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां। एक माननीय संसद सदस्य से, जिन्होंने कि प्रस्तुत प्रश्न किया है, इंडियन एयरलाइन्स के कार्य-चालन के सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ है । उसमें उठाये गये विषयों के सम्बन्ध में

इंडियन एयरलाइन्स से विस्तृत टिप्पणी प्राप्त की जा चुकी है और शीघ्र ही माननीय सदस्य को इससे अवगत कराया जा रहा है। उठाये गये विषयों का सम्बन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचित सेवाओं में विलम्ब, परिचालनों की सुरक्षा, और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद, से है।

Complaint regarding appointment of relatives of Officers of I. A. C. on high positions

2918. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Tourism & Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received some complaints to the effect that only the sons or relatives of high officers of the Indian Airlines Corporation are appointed on high posts;

(b) whether it is also a fact that there is an officer in the Indian Airlines Corporation, Delhi whose 68 relatives are working on high posts and that they are not qualified to hold the posts; and

(c) if so, whether Government would make an enquiry into the matter and lay a report on the Table of the House ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) The Indian Airlines have no such information.

(c) Does not arise.

Amenities to Sweepers working in Indian Airlines

2919. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Tourism & Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no proper arrangements for sleeping, sitting and bathing for the sweepers working in the Indian Airlines, Delhi;

(b) whether Government have received complaints to the effect that the officers of the said Airlines practise untouchability with the sweepers; and

(c) the arrangements that exist in regard to urinal and lavatory for the female employees working at the Safdarjung Airport ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Facilities for sitting and bathing have been provided to all staff including sweepers by the Indian Airlines. No arrangements for sleeping have been made as staff are not supposed to sleep in the premises of the Corporation.

(b) No, Sir.

(c) Separate Urinal and Lavatory have been provided for the exclusive use of women employees in Training Section at Safdarjung Airport. Female employees in the Engineering and Stores Department avail of the toilet facilities provided at the Airport. The Corporation, however, propose to convert one of the existing toilets for the exclusive use of female employees working at Safdarjung in the Engineering and Stores Departments.

स्वर्णरेखा नदी (उड़ीसा) पर पुल का निर्माण

2920. **श्री स० कुन्डु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जालेश्वर में स्वर्णरेखा नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा चुका है,

(ख) क्या यह पुल इसी वर्ष बन जायेगा या अगले वर्ष में बनेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) . पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा और अत: इसके निर्माण का दायित्व उड़ीसा सरकार पर है। परन्तु यह कार्य जिसकी अनुमानित लागत 74.00 लाख रुपये है के लिये वे सहायता अनुदान की मांग कर रहे हैं। यह प्रार्थना और ऐसी अन्य मागें जो दूसरे राज्यों से प्राप्त हुई हैं उन पर चौथी योजना में ऐसी नयी परियोजनाओं के सहायता के लिये धन के वास्तविक रूप से उपलब्ध होने पर विचार करना होगा ।

अध्यक्ष का निर्वाचन
ELECTION OF SPEAKER

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि श्री गु० सिं० ढिल्लों को जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये ।"

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I wholeheartedly Second it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री गु० सिं० ढिल्लों को, जो इस सभा के एक सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted unanimously

[प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) तथा श्री रंगा, श्री गु० सिं० ढिल्लों को अध्यक्ष आसन तक ले गये ।]

[Shri G. S. Dhillon was Conducted to the Chair by the Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) and Shri Ranga]

[अध्यक्ष महोदय (श्री गु० सिं० ढिल्लो) पीठासीन हुए
Mr. Speaker (G.S. Dhillon) *in the Chair*]

प्रधान मन्त्री तथा सभा नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय मैं केवल अपनी सरकार तथा अपने दल की ओर से ही नहीं अपितु इस सभा के सभी दलों की ओर से आपका इस उच्च पद पर नियुक्त होने पर हार्दिक स्वागत करती हूं ।

इस उच्च पद पर आपका सर्वसम्मत निर्वाचन भविष्य के लिये शुभ लक्षण है । यह बहुत हर्ष की बात है कि इस सभा के सभी पक्षों ने आपके चुनाव का समर्थन किया । मैं ऐसा इसलिये कहती हूं कि निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष सम्पूर्ण सभा का हो जाता है और सभी दलों तथा सभी मतभेदों से ऊपर उठ जाता है ।

इस सम्मानित आसन पर आसीन होने के पहले आपको अध्यक्ष के रूप में कई वर्षों का अनुभव प्राप्त है । आप अपने सार्वजनिक जीवन में राजनैतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार तथा एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं । मुझे आशा है कि सभा आपके इन गुणों से प्रेरणा लेगी और पीठाध्यक्ष के रूप में आप जो विनिर्णय अथवा निर्णय देंगे उसे सभी परिस्थितियों में निर्विवाद रुप से स्वीकार करेगी ।

वास्तव में संसद के दोनों सदनों का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण विषयों पर स्वतंत्र और उत्तेजनात्मक वाद-विवाद करना है और कभी-कभी ऐसे विवादों में गरमागरमी आ जाना अनिवार्य है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस सभा के सभी वर्गों के मेरे सहयोगी मुझ से सहमत होंगे कि इस सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने के लिये सभी को मिल-जुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है । इसका बुनियादी दायित्व आप पर आयेगा, अतः इस अवसर पर हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इस महत् कार्य में हम सभी एक होकर आपके पीछे रहेंगे ।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि सभा के सभी पक्षों तथा प्रत्येक सदस्य के अधिकार आपके हाथ में सुरक्षित रहेंगे ।

मैं आपको हार्दिक वधाई देती हूं और साथ ही साथ यह आश्वासन भी देती हूँ कि अपने कठिन दायित्वों के निभाने में हम आपको सदैव अपना पूरा सहयोग देंगे ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस खुशी के अवसर पर जब कि आपका बिना किसी विरोध के तथा सर्वसम्मति से इस उच्च पद के लिये निर्वाचन हुआ है, अपनी ओर से तथा अपने दल और मित्रों की ओर से आपको वधाई देता हू ।

इस सभा के लिये यह एक दुर्लभ अवसर है व ऐसे हर्ष के अवसर बहुत कम आते हैं । इस सभा में प्रायः उत्तेजना भरी रहती है, कुछ दिनों से यह सभा काफी शक्तिशाली बन गई है इसलिये इस पर आसानी से काबू पाना कठिन है । इसे नियत्रण में रखने तथा उसका मार्ग दर्शन करने के लिये वास्तव में एक महान व्यक्ति की आवश्यकता है और मुझे यकीन है कि आप इस पद के लिये बहुत उपयुक्त व्यक्ति प्रमाणित होंगे ।

मैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रुप में कई वर्षों से जानता हूँ। हमने भारत सेवक समाज के प्लेटफॉर्म पर, जब वह बहुत अच्छा समाज था, साथ-साथ काम किया है। एक सहयोगी के नाते मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष अधिक उग्र राजनैतिज्ञ थे लेकिन चुने जाते ही उन्होंने तुरन्त घोषणा कर दी कि वह पक्षपात पूर्ण राजनीति से अपने को अलग रख रहे हैं और इसलिये उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जो एक महान त्याग था क्योंकि उसकी सदस्यता का परित्याग करना बहुत कठिन होता है, अतएव आपके लिये भी उसका परित्याग करना बहुत कठिन होगा लेकिन फिर भी आपसे वास्तव में यह आशा रखते हैं कि आप इस पद के गौरव को दृष्टि में रखते हुए कांग्रेस की सदस्यता का परित्याग करेंगे क्योंकि अध्यक्ष का पद हमारी किसी भी राजनैतिक दल की सदस्यता से कहीं अधिक ऊंचा, गौरवपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होता है, एवं आप अब इस सभा के एक ऐसे सदस्य हो गये हैं जिसका किसी भी दल से कोई सम्बन्ध नहीं है और हम आशा करते हैं कि आप इस पद के लिये अपेक्षित गौरव को अवश्य प्राप्त करेंगे।

मैं आपकी सफलता के लिये हार्दिक कामना करता हूँ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Mr. Speakr, Sir, I cognratulate you on my own behalf and on behalf of my party on the occasion of your unanimous election as Speaker of this august House.

Sir, we knew of your reputation much before you were elected to this House. You have occupied a prominent place in the public life of Punjab. As a Speaker of the Punjab Legislative Assembly for ten years, you discharged your difficult duties with great efficiency and ability. We still remember those days when you as a Speaket gave bold rulings and did not hesitate to put the administration into difficuties. Later as a member of this House we had an occasion to come into closer contact with you and it is on account of your personal qualities, pleasing manners and courteous nature that you have been chosen unanimously for this high office.

Mr. Speaker, Shri Ranga was right when he said that the conditions in this House are such that need improvement. The House has been witnessing scenes of unprovoked excitement, intolerance, baseless allegation and the use of unparliamentary expressions. Lack of decorum and decency has become a regular feature of this House. This House has not only to be a model for the State Legislatures but it should also work in a dignified manner so as to set up a standard of decency and decorum before 50 crores people of India. It does not mean that we will not ventilate the genuine grievances of the public. We will do it with all our might. But at the same time we have to work within the framework of and regulations laid down for the purpose.

We fervently hope that you would allow enough time to members who raise matters of urgent public importance in regard to which they have strong feelings. If necessary, the number of sittings may be increased and the duration of a Session extended so as to give them adequate opportunity. On the other hand, the members should observe the rules made for the purpose You, Sir, will have to direct the Government in a way as would make them alive to their responsibility towards the

House. You will at the same time have to see that the opposition behaves in a proper and disciplined manner.

Sir, I hope with your unanimous election a fresh chapter in the history of the House would be started in which Parliamentary traditions, rules and procedures would be respected. It is necessary to create a healthy atmosphere in the House and for that it would be highly appreciated if you call a meeting of the Party leaders and discuss with them the matter so that we have a smooth sailing in the conduct of the business before the House. I can visualise that there might be occasions which may generate excitement to the House. It should be so only on and off. We should remember that visitors from all parts of the country come here to witness the proceedings of the House and whatever is said here has its ecloes throughout the country. For that reason, sir a difficult task of giving the members every opportunities to express themselves on the one hand, yet maintaining the decourm of the House on the other has now fallen on your shoulders. Your predecessor Shri N. Sanjiya Reddy had shown admirable ability in conducting the proceedings of this House. I am sure, you will prove worthy of the expectations of the House and the House will, in return, equally co-operate with you.

श्री अंचाजागन (तिरुचेंगोड) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा के अध्यक्ष पद के लिये आपके सर्व-सम्मत निर्वाचन पर मैं आपको बहुत-बहुत बधाइयां देता हूं। मुझे अत्यधिक हर्ष है कि आप जैसे व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रह चुके हैं और जिसने जन कल्याण के लिये आम लोगों के आन्दोलनों में भाग लिया है, इस सभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए हैं जो जनतंत्र में सर्वाधिक गौरव का स्थान है। मुझे आशा है कि यह संसद, कम से कम, भविष्य में विधान मण्डलों के लिये आदर्श मार्ग दर्शक का काम करेगी और लोगों में जनतंत्र के प्रति आवश्यक विश्वास तथा आशा पैदा करेगी। मुझे आशा है कि आप जिसे इस सभा के सभी वर्ग अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सभी दलों के सहयोग से इस सभा की मान, मर्यादा तथा अनुशासन बनाये रखेंगे।

हमें आशा है कि आप प्रतिपक्षी दलों को, जो कई मामलों पर आपस में एकमत नहीं हैं तथा विभिन्न दलों को सामान्यतौर पर आवश्यक संरक्षण देंगे।

इसके साथ-साथ आप से मेरा एक अनुरोध यह भी है कि आप इस सभा में सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के लिये आवश्यक अनुवाद व्यवस्था की सुविधा प्रदान करें ताकि यहां सभी राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग हो सके।

मुझे आशा है कि आप अपने आचरण एवं व्यवहार से इस सभा का गौरव तथा गरिमा में वृद्धि करेंगे ताकि लोगों की इस सभा को अधिक से अधिक सम्मान की दृष्टि से देखें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस सभा में डी० एम० के दल की ओर से आप को बधाई देने में सभा के नेता भी तथा अन्य प्रतिपक्षी नेताओं के साथ शरीक होता हूं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपके सर्व-सम्मत निर्वाचन पर सभा ने भी तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं सहमत हूं और उसी प्रकार मैं भी आपको इस अवसर पर बधाई देता हूं।

मैं आपको पिछले दस वर्षों से जानता हूं और आपकी उन गुणों की तारीफ करता हूं जिनका अभी मेरे साथियों ने उल्लेख किया है ।

मैं नहीं समझता कि देश में अध्यक्ष के पद से अधिक कठिन तथा मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक भार-स्वरूप अन्य कोई पद है । यह सभा एक फोरम है जहां देश में व्याप्त प्रचुर असन्तोष प्रतिध्वनित होता है जो देश के जीवन का अनिवार्य अंग है । यही कारण है कि इस सभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसे संसदीय शिष्टाचार नियमों के अन्तर्गत जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में बनाया गया है, नियत्रित करना बहुत मुश्किल काम है, यदि हम संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में संसदीय प्रणाली रहे, तो उसके लिय आवश्यक है कि हम ऐसे ढंग से काम करें जहां इस सभा के सदस्यों के सहयोग से अध्यक्ष के प्राधिकार का इस तरीके से प्रयोग किया जाना जरूरी है जो हमारे देश के गौरव के अनुरूप हो ।

आपका जीवन कई प्रकार का रहा है और आप कई पदों पर आसीन रहे हैं मुझे आशा है कि आप पर उनका विशेषकर जब आप पंजाब सरकार के मंत्री थे, कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि आप अध्यक्ष हैं, आपको देश के महत्वपूर्ण पदों में से एक के लिये चुना गया है । मुझे आपसे आशा है कि आय इस पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करेंगे । अध्यक्ष का पद सर्वोच्च पदों में से एक है और केवल इसी पद के आधार पर देश में प्रजातंत्रीय प्रणाली काम करती है । मुझे पूर्ण आशा है कि आप एक निष्पक्ष तथा सिद्धान्तवादी अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

मेरा विश्वास है कि आप इस पद पर सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए कार्य करेंगे । मैं जानता हूं कि इस सभा में कभी-कभी उत्तेजना आ जाती है और जिस पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है और उसमें कुछ हास्य का भी मिश्रण होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, हम आशा करते हैं कि आप ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे ।

मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से आपके इस निर्वाचन पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं ।

Shri Rabi Ray (Puri): Sir, I congratulate you on my behalf and on behalf of my party on your election to his august office. This is, indeed, a very important day in the history of this House when the Speaker has heen elected unanimously.

About five or six months back I had an occasion to visit Bangalore as a member of a Committee with you, and from you amicable behaviour and courteous manner I can confidently say that the rights and privileges of members will be safe in your hands. I agree that we should also behave in decorous manner within the rules framed for the conduct of the business of this House. However, I will urge upon you that as a custodian of democracy in whose hands the rights of the members are secure, you should kindly realise the discontentment of the millions of the poor and downtrodden outside the house which would naturally be reflected in the speeches of the opposition members. These may at times generate heat and excitement. At the same time

you will agree that criticism of the Government is the hallmark of the opposition and the Government have to tolerate it. In this context, I hope you will be able to hold the high traditions of democracy in this House.

I once again extend my hearty congratulations to you on this occasion.

श्री पी० राममूर्ति (मदुराई) : अध्यक्ष महोदय, आपका इस पद के लिये सर्व-सम्मत निर्वाचन स्वतः आपके गुणों का परिचायक तथा द्योतक है ।

लोगों ने आपकी अच्छाई की भूरि-भूरि प्रशंसा की है, लेकिन मैं कहता हूं आप में वास्तव में शौर्य है क्योंकि इस रोषोन्मत्त सभा का अध्यक्ष बनने के लिये सहमति देना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है । श्री वाजपेयी जी इस सभा का गौरव तथा मान बनाये रखने तथा कई अन्य बातों के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं इस अवसर का उपयोग इस प्रकार की शिक्षाएं देने नहीं करना चाहता कि विभिन्न सदस्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए तथा अध्यक्ष को कैसा वर्ताव करना चाहिए आदि ।

बाहर की सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं और देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन की इस सभा में प्रतिध्वनि होती है और उसका यहां प्रतिबिम्ब पड़ता है । मेरा विश्वास यह है कि प्रत्येक आदमी नई परम्पराएं कायम कर सकता है । मेरी राय में प्रत्येक नया अध्यक्ष तथा नया व्यक्ति समूचे देश तथा संसद के सर्वोत्तम हितों पर विचार करके तथा उसके आधार पर नये स्तर निर्धारित कर सकता और नई परम्पराओं की स्थापना कर सकता है ।

मुझे आशा है कि आप जिसने इस उत्तेजनापूर्ण सभा का अध्यक्ष बनने के लिये सहमति प्रकट करके साहस का प्रदर्शन किया है, भविष्य में इस सभा के लिये नई परम्पराएं तथा स्तर कायम करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मझधार से निकलने के लिये बहुत साहस और उत्साह की आवश्यकता होती है । आप उस समय निर्वाचित हुए हैं, जब कि इस सभा का आधा कार्यकाल समाप्त हो चुका है । यद्यपि आप इस सभा में नये हैं, तथापि इस की कार्यवाही को ध्यान पूर्वक देखते रहे हैं । मुझे ज्ञात है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति के रूप में आप समिति की कार्यवाइयों का संचालन बहुत अच्छी तरह करते रहे हैं ।

महोदय, पंजाब विधान सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में आपको पर्याप्त अनुभव है । आप 2½ पदावधियों तक वहां के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे हैं तथा आपकी शेष आधी पदावधि शायद लोक सभा में पूरी होगी । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अपनी सज्जनता, अच्छे व्यवहार तथा देश की समस्याओं के प्रति अपने सही दृष्टिकोण से आप एक सफल अध्यक्ष सिद्ध होंगे तथा समस्त सभा को अपने साथ रखने में सफल होंगे ।

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि आप नई परम्परायें स्थापित करेंगे तथा सभा के गौरव को कायम रखेंगे ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभा के सम्मान तथा मर्यादा को कायम रखने में हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। आप इस पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं इसलिये मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपको समस्त सभा का सहयोग प्राप्त होगा।

Dr. Govid Das (Jabalpur) : Mr. Speaker, Sir, as a seniormost Member of this House I congratulate you on your unanimous election to this high office. I had seen the early days of Central Assembly when Sir Frederik White was elected as the First President of the House. At that time we represented the Swaraja Party in the House and Pandit Moti Lal Nehru was our leader. After one year Shri Vithal Bhai Patel was elected to this high office. I still remember the day when Shri Vithal Bhai Patel was opposed by Diwan Bahadur T. Rangachari and no one could predict as to who would be elected because it was a very keen contest. Shri Vithal Bhai Patel was elected by a majority of two votes only. The way he conducted the business of the House had become an example, not only in the history of democracy of this country, but in the history of democracy of the whole world.

After that I saw many Speakers. It was Shri Mavalankar who impressed me most. The way in which Shri Mavalankar conducted the business of the House and the way in which he took up initiative in giving an honoured place to the national language Hindi without making any change in the existing rules would always be remembered in the history. He was succeeded by Shri Ananthasayanm Ayyangar. Shri Sanjiva Reddy was the last Speaker to adorn this Chair.

I have had the privilege of presiding over the first sittings of Lok Sabha on three occasions. I had been in this House for 45 years and I do not know whether any other Member would be able to continue here as a member for 45 years. I can say that the times in which you have been entrusted the responsibilities of this high office are not smooth. I have been in all countries of the world, and have seen many great democratic institutions of the world. But I have nowhere witnessed such noisy scenes as we witness in Lok Sabha these days. You have been entrusted with the reins of this House. You have to protect the rights of all parties and above all you have to ensure the dignity of your high office.

You have been entrusted with a heavy responsibility which is not only vital for the proper functioning of the democracy in this country but which has its repercussions on the democracies in the entire world. Ours' is the largest democracy in the world and the future of democracy in the world depends on the success of our democracy. I have been reading reports about your excellent performances in coducting the deliberations of Punjab Legislative Assembly and I trust that with your unanimous election to this high office you will be able to discharge your duties in such a way which will give satisfaction not only to this House but to the whole country.

I cogratulate you once again on this occasion:

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए जो मेरे बारे में बोले हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य अपने भाषणों को छोटा रखें तो अच्छा रहेगा।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय इस सभा के निर्दलीय सदस्यों में पुराने सदस्य होने के नाते, मैं वर्ष 1952 से अर्थात प्रथम लोक सभा के प्रथम दिन से यहां हूं मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मुझे आपके इस उच्च पद पर निर्वाचित होने पर आपको बधाई देने का अवसर मिला है। आपने अपने शान्त, सौम्य और दयालु स्वभाव तथा निष्पक्ष व्यवहार से अपने आपको ऐसा बना लिया है कि सभा का हर वर्ग आप से प्यार करता है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम निर्दलीय सदस्य आप को अधिकतम आदर तथा सहयोग देंगे तथा हम आशा करते है कि आपके दक्ष मार्ग दर्शन में निर्दलीय सदस्यों को उससे अधिक सम्मान तथा आदर मिलेगा जो उन्हें गत दो वर्षों में मिलता रहा है।

सभा की मर्यादा नष्ट हो रही है ; इस सम्बन्ध में अभी अभी कुछ बातें कही गई हैं। हममें से कुछ सदस्य जो वर्ष 1952 से इस सभा के सदस्य हैं और जिन्होंने श्री मावलंकर, श्री अन्नतशयनम आयगर, सरदार हुकम सिंह तथा श्री संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में काम किया है और अब आप के अधीन है यह महसूस करते हैं कि हम सब को सभा के सम्मान को अवश्य बनाये रखना चाहिये। यह सुनिश्चित करना कि देश की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, भारतीय संसद का नाम एक मणी की भांति चमके, कांग्रेस अथवा विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है अपितु हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। परन्तु इस सभा के सम्मान को कायम रखना दो तरफा याता यात है, अपने विचार व्यक्त करने का संसद के प्रत्येक सदस्य को मौलिक अधिकार है तथा प्रत्येक संसद सदस्य को इस अधिकार को संसद के प्रत्येक अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये। हम निदलीय सदस्यो को अपने पूर्व कार्य पर गर्व है। हम अपने आपको विस्मृत नायक कह सकते हैं। हम इस सभा के सबसे अधिक शांत और निरुपद्रवी सदस्य रहे हैं तथा साथ ही साथ अवसर मिलने पर सभा की कार्यवाही में हमने अपना योगदान देने का प्रयत्न किया है। हमने इस सभा के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम सहयोग तथा आदर दिया है। इस के बदले में हम भी इसी आदर तथा सद्भाव की आशा करते हैं ताकि हम अपना कर्तव्य पालन भली भांति कर सकें और सभा की कार्यवाही में योगदान दे सकें।

प्रजा तन्त्र वह पद्धति है जिसमें विचार विनिमय वाद विवाद तथा तदनुपार लिये गये निर्णयों के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है तथा मैं आशा करता हूँ कि आप के दक्ष मार्ग-दर्शन में हम इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, Sir, I congratulate you on your unanimous election to the high office of Speakership of this august House I congratulate you in the capacity of a friend, and a collageue, because I have very high opinion about you and my experiences about you have been very fine. You had the cooperation of the entire House. As Shri Vajpayee has said, I also feel desperate like him that since the beginning of this Session certain undignified things have been happening, However I now fervently hope that the deliberations of the House will be conducted in an exemplary way under your stewardship. I hope that you will give equal opportunites to all sections of the House keeping yourself above from the party affiliations as you have done in the Punjab Legislative Assembly. I hope that the Congress as well as the opposition will receive equal treatment from you.

A reference has been made to Shri Vithal Bhai Patel and Shri Mavalankar. I assure you that as a Speaker the name of Shri Sanjiva Reddy will also be written in golden letters because he did not discriminate between the Congress and the opposition. At times the charges that he gave more time to the opposition were levied against him. I hope you will prove equally successful. It has been said that you have been elected for half the term. I hope next time you will be returned to Parliament unopposed and will again be elected to this high office. You are also the youngest who have adorned the chair so far and as such I trust that your heart will also remain young. I congratulate you once again on this occasion.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, Sir, the present political trends in the country indicate that the coming few weeks or months and may be few years will be the most critical period in our history when our democracy will be put to test. Our Parliament occupies a vital place among the important democratic institutions which will be put to a test and the responsiblity of counducting the deliberations of this institution has been bestowed upon you. I offer my good wishes on my own behalf as also on behalf of my colleagues in B. K. D. and wish you every success in maintaining and upholding high democratic traditions.

श्री तन्नेटी विश्वनाथन (विशाखापत्तनम्) : महोदय इस शुभ अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं। आपका कहना है कि हमें आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहिये। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि आज अध्यक्ष पीठ पर एक शांत स्वभाव तथा मृदु भाषी सज्जन सुशोभित हैं। जैसा कि श्री राममूर्ति ने कहा है मैं आपको कोई धर्मोपदेश नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं हमारे अन्दर धर्मोपदेश देने की लालसा बढ़ती जाती है। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि गत वर्षों में इस सभा का विकास हुआ है तथा वर्ष 1967 से जब कि नये संसद् का गटन हुआ है, प्रक्रिया के नियमों में, आवाज की बुलन्दी में तथा शब्दों के प्रयोग में कुछ ढील दी जाने लगी हैं मैं समझता हूँ कि यह ढील देश में लोकतन्त्रात्मक विचारों के विकास तथा एक प्रकार के एक नये प्रगतिवाद का द्योतक है। मैं आशा करता हूँ इन सब बातों को आप अच्छी दृष्टि से देखेंगे और समस्त सभा का सहयोग प्राप्त करेंगे। जीवन के अन्य क्षेत्रों का तथा अध्यक्ष पद का भी आप को बहुत अधिक अनुभव है। मैं आशा करता हूं कि लोक सभा का अध्यक्ष होने का अनुभव आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

अपने दल की ओर से भी मैं आप को बधाई देता हूँ।

श्री जी० भ० कृपलानी (गुना) : आपके बारे में विभिन्न दलों के नेताओं ने जो सम्मान पूर्वक बात कही है, मैं उनसे अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह देश का सर्वोच्च पद है, आप न केवल हमारे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं अपितु हमारे माध्यम से आप जनता के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के रक्षक भी हैं। संभव है कार्यपालिका इन अधिकारों की उपेक्षा करे पर न केवल इस समय अपितु इस देश के अधिकारों को हमेशा ध्यान में रखना आपका कर्त्तव्य होगा। आपका कार्य बहुत जटिल है। यह एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदा ईश्वर की कृपा रहे, ताकि आप अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभा सकें।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरुर) : महोदय, जिस ढग से इस सभा ने आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया है उसके लिए मैं इस सभा को बधाई देता हूं। हम ने गत दो वर्षों में ऐसा सहयोग कभी नहीं देखा है। ऐसा सहयोग जैसा कि आज देखा गया है, बहुत कम अवसरों पर पाया जाता है। मैं सभा को बधाई देती हूँ कि कम से कम आपके निर्वाचन पर हम एक मत रहे हैं। आपको पंजाब विधान सभा की अध्यक्षता करने का अनुभव है। पंजाब विधान सभा एक शांत सदन नहीं था तथा कुछ माननीय सदस्य वहां गुस्से का प्रदर्शन करते रहते थे तथा उसमें विभिन्न दल थे। पंजाब विधान सभा एक अशांत सदन था तथा आप हमेशा प्रजातन्त्र के नियम और संसदीय पद्धति की रक्षा किया करते थे। अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए आपके लिए यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मै आशा करती हूँ कि आप सदा इस सभा का कार्य ऐसे ढंग से चलाते रहेंगे जो कि देश के लिए एक आदर्श होगा। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हम यहां करते हैं उसका प्रभाव विधान सभाओं पर पड़ता है तथा उनसे नीचे भी उसका प्रभाव पड़ता है। मुझे इस तथ्य के बाद विवादों में स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, मैंने गत दो वर्षों में, जब से मैं यहां हूँ देखा है कि मृदुभाषी सदस्यों को सभा की कार्यवाही में योगदान देने का अवसर नहीं दिया गया है। देश के मामलों पर बोलने तथा अपने विचार व्यक्त करने का हमें भी अधिकार है। आप का कार्य काल बहुत अच्छे ढग से आरम्भ हुआ है तथा मैं आशा करती हूं कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार दिया जायेगा तथा उस की बात सुनी जायेगी। मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ।

श्री मुहम्मद शरीफ (रामनाथपुरम्) : अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि आप इस देश के अल्प संख्यक समुदाय से हैं इस सभा ने आप को सर्व सम्मत निर्वाचित करके अपने सम्मान की प्रस्थापना की है। सभापति की हैसियत से जिन अवसरों पर आपने इस सभा का सभापतित्व किया है, उन अवसरों पर आपने सभा के सब वर्गों को समान दृष्टि से देखा है तथा निष्पक्ष होने का परिचय दिया है। मैं आशा करता हूं कि बिना किसी दुर्भावना के आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा सभा की मर्यादा और सम्मान को कायम रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तथा मेरे दल मुस्लिम लीग के सदस्य, जैसा पहले करते रहे हैं, आपको पूर्ण सहयोग तथा समर्थन देंगे।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Mr. Speaker, Sir, the country has very high hopes from you. Ours' is the biggest democracy in the world. Our Parliament is the greatest in the world and as you have been elected its Speaker, the country has very high hopes from you.

You have earned a high reputation in Punjab Assembly. I have every hope that you will be able to elevate the dignity of this Parliament in a similar way. I believe that you will continue to guide us for all times to come by upholding the decorum in this House. I also hope that you will preserve the ideals enshrined in our scriptures. I wish you a long life.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने मुझे इस उच्च पर निर्वाचित करके मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है तथा सभा नेता, विपक्षी दलों के नेताओं एवं सभा के सब वर्गों के

मेरे माननीय सहयोगियों ने मेरे बारे में जो शुभ भावनायें प्रकट की हैं उनके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, मुझे भली भांति मालुम है कि मुझे कितना बड़ा सम्मान दिया गया है। एक बार फिर मुझे उन जिम्मेदारियों की याद आ गई है जो कठिन परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी को निभानी होती हैं। इस अवसर पर मेरा कुछ भयातुर होना स्वाभाविक ही हैं, क्योंकि मैं एक महान अध्यक्ष डा० संजीव रेड्डी के बाद इस पद को ग्रहण कर रहा हूं उन्हें गत दो वर्षों से अधिक समय तक इस सभा की कार्यवाही को पूर्ण सफलता एव शानदार तरीके से चलाने के लिए सभा की सर्व सम्मत सराहाना प्राप्त हुई है। फिर भी सभा के सब वर्गों ने मुझे सहयोग देने के जो वचन दिये हैं, उनसे मेरा मनोबल बढ़ा है। हमारे सविधान में ससदीय सरकार की व्यवस्था है, जिसकी विशेषतया यह है सभी मामलों पर विचार विनमय द्वारा सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर निर्णय लिये जाते हैं। संसदीय प्रजातन्त्र में विपक्ष का कार्य भी उतना ही कठिन होता है, जितना कि सरकार का, हमें इस सभा में अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि यह स्वतन्त्रता सब के लिए समान है। इसलिये यह जरुरी है कि सभा के सब पक्ष उदारता, आपसी सद्भाव और सम्मान का प्रदर्शन करें। सभा की कार्यवाही को शानदार ढंग से चलाने के लिए यह जरुरी है कि हम अनुशासित तरीके से काम करें तथा न केवल नियमों और विनियमों अपितु संसदीय वाद विवाद के दौरान प्रस्थापित अनेक संसदीय परम्पराओं का भी आदर करें, बहु-दलीय प्रणाली में, जो कि हमारे देश में हैं, विभिन्न मामलों पर विभिन्न विचारधाराओं का होना स्वाभाविक है। सभा की मर्यादा तथा इस का सम्मान तभी कायम रखा जा सकता है, यदि माननीय सदस्य सहन शीलता का प्रदर्शन करे, अपने विरोधियों की बातें सब्र से सुनने तथा उचित तरीके से तर्कों के द्वारा उनका उत्तर दें।

अध्यक्ष से यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्ष तथा न्याय सम्मत रहे। मैं सभा के सब पक्षों को आश्वासन दिलता हूं कि मेरा प्रयत्न हमेशा यह रहेगा कि मैं निष्पक्षता तथा सब के साथ समान व्यवहार की उच्च परम्पराओं को कायम रखूं। मैंने पहले कहा है कि अध्यक्ष को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब कि अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय से कुछ व्यक्ति अथवा कोई पक्ष सन्तुष्ट न हो। मैं आप सब को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं हमेशा नियमों और विनियमों के अनुसार ही निर्णय लूंगा। ये नियम तथा विनियम, जैसा कि आपको ज्ञात हैं, इस सभा ने अर्थात स्वयं आप ने अपने लिये बनाये हैं। निर्णय लेते समय दल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं रखा जायेगा जैसा कि मैंने पंजाब विधान सभा का अध्यक्ष बनने पर किया था, उसी परम्परा का पालन करते हुए मैं संसद में कांग्रेस दल की कार्यकारी समिति, उसकी स्थायी समितियों तथा साधारण सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। मैं यह सिद्ध करने के लिये कि सभा के सब पक्ष यह समझें कि मैं किसी दल विशेष से सम्बन्धित नहीं हूं, हमेशा प्रयत्न शील रहूंगा मेरा सदा यह प्रयत्न यह रहेगा कि मैं उस ढंग से कार्य वाही करूं जिससे सभा के सब पक्ष

व करें कि मैं अपने विचारों तथा कार्यवाही से एक न्याय सम्मत निष्पक्ष तथा विवाद-रहित अच्छा पीठासीन अधिकारी हूं।

अन्त में इस शानदार सभा की कार्यवाइयों को अच्छे ढग से चलाने के लिये, जैसी कि हम से आशा की जाती है मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मुझे अपना पूर्ण सहयोग दें, जिसका कि अपने भाषणों में अनेक माननीय सदस्यों ने मुझे वचन दिया है।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक निवेदन है.....

अध्यक्ष महोदय : मध्यान्ह भोजन से पूर्व कार्यसूची में उल्लिखित औपचारिक कार्य को लिया जा सकता है, शेष कार्य को मध्यान्हन भोजन के बाद लिया जायेगा।

श्री एस कण्डप्पन (मैटूर) मध्याह्न भोजन का समय हो गया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर दो मिनट म० प० पुनः समवेत हुई।
The Lok-Sabha reassembled after Lunch at two minutes past fourteen of the Clock.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
Re : CALLING ATTENTION NOTICE

{ **श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

श्री समर गुह : मेरा एक निवेदन है——

सभापति महोदय : सभा के समक्ष इस समय कुछ भी नहीं है। क्या आपने अध्यक्ष महोदय को लिखा है ?

श्री समर गुह : मैंने उपाध्यक्ष महोदय को लिखा है।

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि वह विचाराधीन है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) Sir, we have given a Calling Attention Notice.

सभापति महोदय : शांति शांति।** *

---

* * कार्य वाही को वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
** Not recorded.

Shri Onkar Lal Berwa : In Rajya Sabha.

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में शामिल न की जाये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक लेखा

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्तदर्शन) : श्री वी० के० आर० वी० राव की ओर से मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1967-68 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1587/69]**

शस्त्रास्त्र अधिनियम तथा अन्त राज्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च सेठी) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप धारा (3) के अधीन शस्त्रास्त्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1636 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1939 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सख्या एल० टी० 1588/69]**

(2) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 को धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) एस० ओ० 1820 जो दिनांक 17 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 1303 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(दो) एस० ओ० 2571 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 1304 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(तीन) एस० ओ० 2572 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31

मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस० ओ० 1306 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(चार) एस० ओ० 2573 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित एस० ओ० 1305 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(पांच) पजाब जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम सभाए (पुनर्रचना तथा पुनर्गठन) आदेश, 1969 जो दिनांक 18 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या एस० ओ0 2933 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2934 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1588/69]

(3) (एक) सविधान के अनुच्छेद 350 ख के खंड (2) के अधीन 1 जुलाई, 1966 से 30 जून, 1967 और 1 जुलाई, 1967 से 30 जून, 1968 तक की अवधियों के लिए भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के क्रमशः नवें और और दसवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1589/69]

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

सातवां प्रतिवेदन

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 11 अगस्त 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:—

(1) श्री कंवर लाल गुप्त तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत स्वर्ण नियंत्रण संशोधन अध्यादेश 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर अग्रेतर चर्चा तथा स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1969 पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पास किया जाना ।

(2) दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक, 1968 पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंड-वार चर्चा ।

(3) विचार तथा पारित करने के लिए—

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1968

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

शपथ विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(4) गृह-कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर दल-बदल सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(5) चर्चा तथा मतदान

(क) वर्ष 1969-70 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)

(ख) वर्ष 1967-68 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे)

(6) विचार तथा पारित करने के लिए खुदा बख्श ओरियण्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक 1968

विदेश विवाह विधेयक, 1969 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अड़तीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से, जो 7 अगस्त 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

श्री मी० नू० मसानी (राजकोट) : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हू :

इसके अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें।

रूप भेदों की व्यवस्था रखते हुए राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक, 1969 के लिए नियत किया गया समय 8 घण्टे से बढ़ा कर 10 घण्टे कर दिया जाये जिस में से 2 घण्टे के बजाय 4 घंटे खंड-वार विचार के लिये नियत किये जाय।"

यह विधेयक बैंकिंग विधेयक से भी अधिक जटिल तथा विवादास्पद है। इस पर सैकड़ों संशोधन हैं। अतः मेरा निवेदन है कि खंड-वार चर्चा के लिए दो घण्टे और दिये जायें।

श्री रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति में भी यह सुझाव दिया गया था और कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया था कि चर्चा आठ घण्टे में समाप्त हो जायेगी। यदि माननीय सदस्य यह महसूस कर रहे हैं कि इसके लिये दस घण्टे आवश्यक हैं तो मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:—

"रूपभेदों की व्यवस्था रखते हुए राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक, 1969 के लिए नियत किया गया समय 8 घण्टे से बढ़ा कर दस घण्टे कर दिया जाये जिसमें से 2 घण्टे के बजाय 4 घण्टे खंड-वार विचार के लिए नियत किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 38 वें प्रतिवेदन से, जो 7 अगस्त 1969 को सभा में पेश किया गया था, से सहमत हैं और रूप भेदों की व्यवस्था रखते हुए राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक 1969 के लिए नियत किया गया समय 8 घण्टे से बढ़ाकर 10 घण्टे कर दिया जाये और उसमें से 2 घण्टे के बजाये 4 घण्टे खण्ड-वार विचार के लिए नियत किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Ramavatar Shashtri (Patna) : More than three hundred teachers have been arrested in Patna. Lathi charge is being made on the people. I have given a short notice question as well as a Calling Attention Notice on the issue.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए और अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी चाहिए।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : तेलगाना के मामले पर यहां पर चर्चा की जानी चाहिए। कई महीनों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को संशोधन का नोटिस देना चाहिए था। तेलंगाना के बारे में श्री कंवर लाल गुप्त ने प्रस्ताव दिया है जिस पर चर्चा के लिए 2 घण्टे का समय नियत किया गया है। माननीय सदस्य अध्यक्ष से उनके चैम्बर में मिलकर बातचीत कर सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सचिवालय ने आज आपको ठीक जानकारी नहीं दी है।

श्री शिव नारायन (वस्ती) : आज सुबह इन लोगों ने कहा था कि वे नियमों का पालन करेंगे परन्तु अब वे नियमों को तोड़ रहे हैं। (**अन्तर्बाधायें**)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

(**अन्तर्बाधायें**) ** ** मैं किसी भी सदस्य को इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

स्वर्ण नियंत्रण संशोधन निरनुमोदन अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा स्वर्ण नियंत्रण संशोधन विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF GOLD CONTROL (AMENDMENT) ORDINANCE AND GOLD CONTROL (AMENDMENT) BILL

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I beg to move :

This House disapproves of the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 (Ordinance No 6 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 3rd July, 1969".

The Supreme Court had declared some clauses of the Gold Contral Act as illegal. The Government have introduced some new provision in this Bill keeping in view the decision of the Supereme Court.

I do uot think that there is anything condmanable in this Bill. Some relief has been given in the Bill and I welcome that. Myself and my party are basically against the Gold Control Act. I would, therefore, say that Government should honour the feelings of the people and scarp this Act. The people should be given free hand in this trade as before.

The Gold Control Act was enacted with the hope that it will help in reducing this trade. Smuggling and that the economic position of the country will improve. But

**सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

this Act has failed to achieve these objectives. I, therefore, want to know the justification for pressing on this Act.

The hon. Prime Minister has stated at the time of the nationalisation of the banks that good things have now started moving. I want to request her that she may do another good thing by scarping this Gold Control Act. Crores of people outside this House will support this move.

Smugggling of gold has increased. The amount of gold that has been seized is much more than before. The Act has failed to achieve the objective of reducing the smuggling of gold.

The people of our country are keeping the gold and gold ornaments with them from the time immorable as their security for rainy days. The use of gold has not been reduced after the passing of this Act. The Government have also not taken any steps to educate the people that it will be beneficial to the country if the use of the gold is reduced. In the wealth tax return the hon. Prime Minister has indicated that she still possesses ornaments worth twenty thousand rupees. If she has so much love for the gold what can we expect from a village woman. The Government have also failed to make such arrangement from where poor farmers of the villages can take loan at the time of emergency without giving any security. In spite of the existance of Gold Control Act the value of the Indian rupee is falling in the foreign countries. Some months before the value of curreucy of Pakistan was more than the currency of our country. Keeping in view all these things I want to have the justification for conitnuing this Act. On the other hand it has rendered from lakh people jobless. It is an anti-people Act and it must be scrapped. At least the restriction on the sale of gold and manufacturing of ornaments should be removed.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Some Ministers of the Cabinet rank should be present in this House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि मन्त्रिमण्डल के वित्त मन्त्री को सभा में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान अधिनियम के कुछ खण्डों के बारे में ही अपना निर्णय दिया है । स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की वैधता को भी चुनौती दी गई थी परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित नहीं किया है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि इस अधिनियम की धारा 5 (2) (ख), 27 (2) (घ), 27 (6), 32, 46, 88 और 88 उपयुक्त है और अतः इस लिए इन्हें अवैध घोषित किया जाता है । यह भी कहा गया है कि अवैध घोषित की गई धाराओं से अधिनियम की वैधता पर प्रभाव नहीं बढ़ सकता । सभा के समक्ष जो विधेयक लाया गया है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस अधिनियम में जो परिवर्तन किये गये हैं वे निहित हैं । अतः इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है ।

1963 में जब प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था तो उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि 14 कैरेट से अधिक के आभूषण नहीं बनाये जा

सकते । परन्तु इस सभा के अन्दर तथा बाहर जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं उन्हें देखते हुए सितम्बर 1963 में यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया था और यह कहा गया था कि स्वर्णकार 14 कैरट से अधिक के आभूषण बना सकते हैं। उनको 22 अथवा 24 कैरट के आभूषण बनाने की अनुमति दे दी गई थी। देश में लगभग 12000 व्यापारी तथा 2,50,000 स्वर्णकार हैं। इनपर 14 कैरट से अधिक के अभूषण बनाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जिस व्यापारी के पास कोई कर्मचारी नहीं है वह 400 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है। यदि उसके पास दस से अधिक कर्मचारी हैं तो वह 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है और यदि 20 से अधिक कर्मचारी है तो वह 2000 ग्राम सोना अपने पास रख सकता है। स्वर्णकार 300 ग्राम से अधिक सोना अपने पास नहीं रख सकता। इसमें से 100 ग्राम से अधिक सोना छड़ के रूप में नहीं होना चाहिए। व्यापारी सोने की जितनी भी छड़ें अपने पास रख सकता है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्ण नगर) : जब किसी स्वर्णकार के पास कोई ग्राहक अपने आभूषणों को पुनः बनाने के लिए लाता है तो कई बार स्वर्णकार कठिनाई में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास कुछ सोना पहले ही पड़ा होता है। अतः प्रतिबन्ध के कारण उसको ग्राहक को वापस करना पड़ता है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं केवल प्राईमरी सोने के बारे में कह रहा था। स्टण्डर्ड क्वालिटीकी सोने की छड़ें रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यदि किसी व्यापारी के परिवार में 60,000 रुपये से अधिक के मूल्य के आभूषण हैं तो उनको इस बारे में घोषणा करनी होगी। सर्वोच्य न्यायालय ने जिन खण्डों को अवैध घोषित किया है वे प्रशासनिक उपायों तथा प्रशासन को दी जाने वाली शक्तियों के बारे में है। अतः इन खण्डों के बारे में ही हमने यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए हमने जो संशोधन दिये हैं वे विधेयक के खण्ड 2, 6, 8, 10, 12 और 13 में निहित हैं। अन्य वर्ग के संशोधन धारा 17 (2) (घ), 17 (6) और 39 (2) (ग) में दिये गये हैं।

यह समय यह बताने का नहीं है कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से सोने की तस्करी में कमी हुई है अथवा नहीं। परन्तु यह सच है कि सोने की तस्करी में कमी हो रही है।

यह एक तथ्य है कि यदि स्वर्ण नियन्त्रण नहीं होता, तो तस्करी बहुत अधिक होती। मैं यह दावा नहीं करता है कि अब यह समाप्त हो गई है। अब यह अन्य तरीकों से हो रही है। सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयत्न कर रही है कि इसे समाप्त किया जाये। सोने के बदले में चांदी चोरी छिपे देश से बाहर ले जायी जा रही है। स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उद्देश्य तो बहुत सीमित है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : संकल्प तथा विधेयक दोनों सभा के समक्ष हैं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं संशोधन "स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु । नवम्बर, 1969 तक परिचालित किया जाये ।"

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधनविधेयक पर राय जानने के लिये इसे 19 सितम्बर, 1969 तक परिचालित किया जाये ।"

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन पर राय जानने के लिये इसे 31 दिसम्बर, 1969 तक परिचालित किया जाये ।"

Shri Yashwant Singh Kushwali (Bbind) : I move that that the Gold (Control) Amendment Bill be circulated for the purpose of cliciting public opimion.

सभापति महोदय : संकल्प तथा विधेयक दोनो पर एक साथ चर्चा चलेगी ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : The hon. Minister has said that Goldmiths can keep Gold upto 500 grams. Th s is not helpful to them at all. They have to prepare ornaments for a pumber of customers at a time. Suppose he is keeping 400 grams of gold of three or four customers each, he is liable to be prosecuted. We want he should be allowed to keep more than 400 grams gold. This provision should be relaxed and goldsmiths should be permitted to keep more ornaments and the Excise Department authorities should instructed accordingly.

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर) : स्वर्ण नियन्त्रण आदेशों पर मतभेद तो है परन्तु उनकी बहुत आवश्यकता थी । हमारे परम्परागत जीवन में अनेक असन्तुलन हैं । उन्हें समाप्त करना नितान्त आवश्यक है । यह आदेश उसी दिशा में एक कदम है । हमने कानून बनाने में बहुत तत्परता दिखायी है परन्तु इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रचार नहीं किया गया है । हमें इस बारे में अन्य देशों से सबक सीखना चाहिये था ।

सोने के प्रति लोगों में बहुत लगाव है । इसी कारण इसे चोरी छिपे लाने के बहुत प्रयत्न होते हैं । करोड़ों रुपये के मूल्य का सोना लोगों के घरों में जमा पड़ा हुआ है और अनुत्पादक है । यदि इसे देश के विकास में लगाया जाये तो देश बहुत प्रगति कर सकता है । चूंकि इसकी बहुत अधिक मांग है, अतः इसका मूल्य भी बहुत अधिक है । मांग अधिक होने के कारण चोरबाजारी और मुनाफाखोरी जैसी कुप्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलता है । इस प्रकार एक प्रकार से कुचक्र चल रहा है । सोने के कारण चोरियां भी बहुत होने लगी हैं । हत्याओं की घटनाएं भी हुई हैं ।

हमें सोने की जमाखोरी को रोकने का जबर्दस्त प्रचार करना चाहिये । हमें देश की स्त्रियों में यह धारणा उत्पन्न करनी चाहिये कि गहनों के पहनने से कोई लाभ नहीं है और

इनके प्रति मोह को त्याग दें। इतने कीमती गहने नहीं पहने जाने चाहियें। ऐसा प्रचार समूचे देश में किया जाना चाहिये। यदि देश में जमा सोने को ले लिया जाये तो पंचवर्षीय योजना के लिये संसाधन प्राप्त हो जायेंगे।

वैसे भी देश में विषमताओं को समाप्त करने के लिये हमें एक प्रकार का सन्तुलन लाना चाहिये। यह ठीक नहीं कि कुछ लोगों के पास तो पहनने को जूते भी न हों और कुछ इतने अधिक धनी हों।

मुख्य बात तो यह है कि सोने के प्रति मोह को समाप्त किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक 1969
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SEIENCES (AMENDMENT) BILL 1969

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I beg to leave to introduce a Bill to amend the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

धनकर (संशोधन) विधेयक 1969
WEALTH TAX (AMENDMENT) BILL 1969

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धनकर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—"कि धनकर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं विधेयक को प्रस्थापित करता हूं।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक-जारी
(धारा 87 ख का हटाया जाना)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL-CONTD
OMISSION OF 87 B

सभापति महोदय : अब हम श्री नारायण रेड्डी द्वारा 25 जुलाई, 1969 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :-

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री नारायण रेड्डी अपना भाषण जारी रखें ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I want to raise a point of order under rule 340 and request that discussion on Shri Reddy's Bill may be adjourned. It has been published by all the newspapers of Delhi that there is danger to the life of the Prime Minister. She has received threat to the effects that she would be killed. She has herself said that. She is the Prime Minister of the country. It is a matter of concern for the entire country. The Home Minister may be requested to enlighten.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सरकार तथा गृह-कार्य मंत्री प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये सक्षम हैं । इन्हें फिक्र नहीं करना चाहिये.....(व्यवधान)

Shri George Fernandes : She has herself said that before thousands of people. We sould discuss this matter and the Prime Minister's statement.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : नियम 340 के अन्तर्गत विधेयक पर चर्चा स्थगित की जा सकती है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस समय सभा श्री नारायण रेड्डी के विधेयक पर चर्चा कर रही है । श्री फरनेन्डीज और हम नियम 340 के अन्तर्गत चर्चा समाप्त करके प्रधान-मंत्री के कथन के अनुसार उनको इस आशय के पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उनकी हत्या करने की धमकी दी गयी है । इसलिये हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं । हम इस बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं । प्रधान मंत्री स्वयं अथवा गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करें । मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रेड्डी के प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाये ।

सभापति महोदय : मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं । ऐसा मैं नियम 119 के अन्तर्गत कर रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : * *

सभापति महोदय : जो कुछ श्री फरनेन्डीज़ ने कहा है कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमान् उस दिन मैं भूतपूर्व विधि मंत्री डा० अम्बेडकर द्वारा धारा 87 ख के बारे में दिये गये आश्वासन का उल्लेख कर रहा था । उन्होंने कहा था कि संसद यदि चाहे तो इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर सकती है । अब उपयुक्त समय है कि संसद ऐसा करे । देशी रियासतों के विलय को 20 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है । अब इन विशेषाधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अन्तर्गत राजाओं को कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए है जो नहीं होने चाहियें ।

इस सयय में मैं अनुच्छेद 14 का भी उल्लेख करना चाहता हूं । इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं । इस समय विभिन्न भूतपूर्व रियासतों के लगभग 284 राजाओं को सरकार ने मान्यता दे रखी है । उन्हें अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं । इन में से कुछ ऐसे भी है जिनकी वार्षिक निजी थैली की राशि 6,000 रुपये से भी कम है । इनका दर्जा हैदराबाद के निजाम और मैसूर के महाराजा के बराबर है । एक व्यक्ति जिसकी अ य लगभग 100 रुपये प्रति मास हो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुविधा देना बड़ा हास्यास्पद मालुम होता है । इस प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जिनको ये विशेषाधिकार मिले हुए सविधान में उनको ऐसा किये जाने के लिये अनुमति नहीं दी है । इन दोनों में प्रयोग किये गये शब्द भिन्न भिन्न हैं । अतः संविधान के अनुच्छेद 366 के अन्तंगत इनको मिलने वाली सुरक्षा सिविल प्रक्रिया सहिता की धारा 87 ख के अन्तंगत नहीं मिल सकती ।

उच्चतम न्यायालय के 1961 के एक निर्णय के अनुसार न्यायालय भूतपूर्व राजाओं को उन्हीं विशेषाधिकारों का लाभ देंगे जिनका उल्लेख संविधान में है । यह निर्णय आल इंडिया रिपोर्टर के 1961 के निर्णयों के पृष्ठ 778 पर दिया हुआ है । सिविल कार्यवाही के मामले में उन्हें इससे अधिक सुरक्षा या प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती । यह सुरक्षा भूतपूर्व शासको को दी गई गारंटी के अनुसार है । अतः सरकार इस प्रकार का कानून बना रही है । हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम को ऐसे विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं थे । जब उनके शासन काल में भी किसी भी नागरिक को 'सरफे-खस' सम्बन्धी मामलों पर उनके विरूद्ध मुकदमा करने के अधिकार थे तो अब राज्यों का विलय किये जाने के बाद ऐसे अधिकारों को देने, जो राज्यो के विलय से पूर्व नहीं दिये गये थे, क्या कोई औचित्य नहीं ।

अभी हाल में ही जब हैदराबाद के निजाम ने जेवहरात, हीरे और सोने को हैदराबाद से ले जाने का असफल प्रयत्न किया तो उनके विरूद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि उस धारा के अन्तर्गत मुकदमा न चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त होने की दलील दी । लेकिन

* * कार्यवाही को वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।
* * Not recorded.

बाद में उनके विरूद्ध रिट याचिका दायर की गई और उस पर निर्णय करने में एक वर्ष से अधिक समय लगा। भूतपूर्व शासको के विरूद्ध मुकदमा चलाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण बहुत से भूतपूर्व शासक बहु-मूल्य सम्पत्ति देश से बाहर ले जा रहे हैं और कानून के अन्तर्गत न तो सरकार और ना ही कोई नागरिक इसको रोकने के लिये मुकदमा चला सकते है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस धारा को समाप्त करने में सदस्य मेरे विधेयक का समर्थन करें।

मुकदमे को चलाने से पूर्व इस बात के बारे में निश्चय करना कि क्या यह मुकदमा सदाशय अथवा दुराशय से किया गया है, केन्द्रीय सरकार का काम न होकर न्यायालय का काम है। देश के स्वतन्त्र होने के 22 वर्ष बाद भी कानून की पुस्तको में इस धारा को बनाये रखना बड़ा असंगत प्रतीत होता है। विधि मंत्री को अब यह आश्वासन देना चाहिये कि यह उपबन्ध कुछ समय के लिये वैध था और इसको निश्चित अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा ताकि भूतपूर्व शासकों को भी सामन्य लोगो के समान लाया जा सके। इस धारा को सरकार द्वारा सांविधिक ग्रंथो में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Bill introduced by Shri Narain Reddy is a progressive measure. I fully support this Bill. There are rulers in several countries-like India but they do not enjoy these privileges.

{ श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair* }

The particular provision of Civil Procedure Code is against Articles 14,15,18 and 44 of the Constitution.

The question of special rights and privileges of the former rulers cannot be separated from the issue of their privy purses. Combined action should be taken on both these issues.

The privy purses will be abolished after two months.

I am not against the former rulers. They have done praisetworthy deeds in the past. I want that all the provisions in Civil Procedure Code which are against the welfare of the country should be removed. The rulers should voluntarily surrender their privy purses and they should become common man.

It cannot be tolerated that summons can be issued against the Prime Minister, President, leaders of the opposition, but they cannot be issued against the princes.

The Bill of Shri Reddy is in good spirit and the object of Shri Reddy for bringing this Bill has been achieved because it has attracted the attention of the public. I will request the Home Minister that this provision of C.P.C. should immediately be abolished.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I fully support this Bill. This issue was also discussed in the House during the last week. But it is very sad that nothing was done in this respect except an assurance from the Home Minister that an early decision would be done in this matter.

We have already clarified our position with regard to the privy purses of the former rulers and the privileges etc. enjoyed by them.

The Bill has been brought to impose restrictions on the powers to be misused by the Government. Special privileges enjoyed by the ex-rulers should be abolished. I do not know what to say about the cases of this nature * *

Mr. Chairman : If you want to raise such question you should give in writing about it to the Speaker. If he permits only then you can produce proofs in your support.

Shri George Fernandes : This is Ministry of Industrial Development and Company Affair's file·····I am prepared to submit the extract of the file**

श्री रणधीर सिंह : हम इनका विरोध करते हैं ।

Mr. Chairman : Nothing will go in the record (Interruptions).

The Minister of State in the Ministry of the Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : There is procedure for such types of allegations on the persons who are not present in the House or who have no opportunity to defend themselves. Therefore, I will request the hon. Member that he should follow the procedure before making such allegations.

श्री रणधीर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने से पूर्व मेरी अनुमति ले लेनी चाहिये । इसके लिये निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये । इस वक्तव्य को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have to raise a point of order. Special privileges enjoyed by the former princes should be abolished. He has full right to say so and you cannot expunge his statement (interruptions).

सभापति महोदय : इस मामले में व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता । मेरे आदेश बने रहेंगे । माननीय सदस्य के वक्तव्य को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । सदस्य को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिये ।

* * अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा की कार्य वाही से निकाल दिया गया
Expunged as ordered by the Chair

**अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
**Expunged as ordered by the Chair.

Shri George Fernandes : The special privileges enjoyed by the princes under the law,should be abolished. Persons in powers are misusing their powers. I simply refer the name of Bagalkot Cement Company.

Mr. Chairman : Please do not refer it.

Shri George Fernandes : I withdraw my allegations.

श्री एस० कन्डप्पन (मेंटूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत गम्भीर मामला है। चूंकि कुछ बातों को सरकारी रिकार्ड से उद्धृत किया गया है और माननीय सदस्य का यह दावा है कि इन उद्धरणों को सरकारी फाइलों से लिया गया है, अतः उनको सभापटल पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को जो कुछ सभा में प्रस्तुत करना हो उसकी अध्यक्ष से अनुमति ले लेनी चाहिये और यदि अध्यक्ष इसकी अनुमति दे देते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

Shri George Fernandes : I have not to impose any allegation against any person or any Minister. I request to look into that file and the whole situation will be cleared itself (interruptions)

Mr. Chairman : I have already told you, first send it to the Speaker, and if he thinks it proper he will admit. In case, some one speaks without prior permission of the Chair, it will not be recorded.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Then you will not receive co-operation.

Mr. Chairman : The hon'ble Member should speak only when he is permitted to do so and then it will be recorded.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) नियम 369 में सभा-पटल पर पत्र रखने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र को प्रमाणित करना पड़ता है। श्री फरनेन्डीज़ ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, no doubt permission of the Chair to lay any paper on the table is necessary but a question has been raised as to the source from which this document has been received ? In this connection Sardar Hukam Singh had stated that a Member of Parliament can get the document from any source. We can certainly read this document here. Let the hon'ble Speaker examine the authenticity of this document.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The hon'ble Member who is reading the document, is responsible for its authenticity. He should be allowed to read it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There should not be any objection to a true copy of a document being laid on the Table when the hon'ble Member is prepared to

authenticate it. In this connection there has been ruling given by Sarder Hukam Singh on similar previous occasions. In view of this it would not be proper to refuse The permission to lay this document on the Table. Kindly allow the hon'ble Member to read it out and then we would demand to place it on the table and he should be allowed to do so.

Mr. Chairman : Shri George Fernandes; do you take full responsibility that you are going to read Government document ?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Yes, Sir.

Mr. Chairman : Read it then.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं । मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसको ध्यान में रखकर आप यह निर्णय करें कि क्या इस दस्तावेज़ का इस चर्चा से कोई सम्बन्ध है या नहीं ? इस समय हम व्यवहार प्रक्रिया सहिता की धारा 87–बी को हटाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका सम्बन्ध भारतीय राज्यों के शासकों के विशेषाधिकारों से है । उन्होंने नये महाराजा और पुराने महाराजा शब्द का प्रयोग किया है परन्तु इनका इस वाद-विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । तथाकथित नये महाराजाओं के कोई विशेषाधिकार नहीं है और फिर धारा 87–बी के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः उपर्युक्त दस्तावेज़ का इस विधेयक के साथ बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरे विचार से इसको सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यदि आपके विचार में इस दस्तावेज़ का इस विधेयक साथ कोई सम्बन्ध है तो आप अनुमति दे सकते हैं ।

जहां तक तथाकथित केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है सरदार हुकम सिंह ने अपने विनिर्णय में कहा था कि "मैं इस दस्तावेज़ को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के रूप में सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।" उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी थी । (व्यवधान)

Mr. Chairman : Our ruling stands but I want to ascertain whether this is relevant or not.

Shri George Fernandes : I was trying to make out a point that on one hand we intend to bring an end to privileges enjoyed by the ex-rulers but on the other hand a new section of society is coming into being who want to make use of the law as and when they like. I want to put an example before you and you have allowed me to do so.

Mr. Chairman : I thought that the said document is related to Rajas and Maharajas. But if it relates to some new Rajas you may follow the rule 118 (2) (1).

श्री मधु लिमये : वह नियम सभा-पटल पर पत्र रखने के बारे में है उद्धत करने के बारे में नहीं। वह उद्धत कर रहे हैं।

Mr. Chairman : In case he has got some document which reates to the ex-rulers I can allow him otherwise I cannot. If he wants to refer to the new Rajas a fresh Bill should be introduced for the purpose.

Shri S. M. Banerjee : You have changed the ruling.

Mr. Chairman : I thought that documents is related to ex-rulers. He should not read it but place it on the table.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : In case he is allowed to read it, that will be recorded in the proceedings. Therefore he should not read it. **(interruptions)**

Shri George Fernandes : I shall place it on the Table after reading a sentence out of it.

Mr. Chairman : You should not read any portion.

Shri George Farnandes : If we cannot quote from Government document then what is the fun of coming over here **(Interruptions)**.

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

व्यवधान**

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं आपका ध्यान वाद विवाद में से शब्दों को निकालने के बारे ये प्रक्रिया नियम 380 की ओर दिलाता हूं। यदि कोई शब्द अपमानजनक, अभद्र अथवा असंसदीय बोला जाये तभी आप उसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं। सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध होने का प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : मैं उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा (**व्यवधान**) क्योंकि यह सम्बद्ध नहीं है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर): श्री जार्ज फरनेन्डीज़ ने दस्तावेज़ में कुछ वाक्य उद्धृत किये थे और आपने विनिर्णय दिया कि उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाय। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्होंने मेरी अनुमति के बिना वह भाग पढ़ा था। इसीलिये मैंने कार्यवाही में सम्मिलित न किये जाने का आदेश दिया था। आप वह दस्तावेज़ मुझे दे दीजिये।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded

Shri George Fernandes : I shall read it

Mr. Chairman : No please.

Shri George Ferandes: Sir, you have allowed me to place it on the Table. I want to point out that people are using powers by adopting illegal means. This document subsitute this charge.

Mr. Chairman : I will not allow to read it.

Shri George Feranandes :

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियम 340 के अधीन प्रस्ताव करता हूं कि सभा स्थगित कर दी जाये। मैं यह प्रस्ताव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दस्तावेज पढ़ा जा रहा था जिसमें कुछ.....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्होंने नियम 340 पढ़ा है परन्तु उन्हें नियम 109 भी पढ़ना चाहिये। हम एक विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने मेरी अनुमति नहीं ली है।

कार्यवाही को वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : कोई भी मामला उठाने से पूर्व उन्हें आपसे चेम्बर में अनुमति लेनी चाहिये।

सभापति महोदय : मैं उसे पढ़ने की अनुमति नहीं देता।

जार्ज फरनेन्डीज :

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।
Not recorded

Shri George Feranandes : Let me finish it.

श्री चेंगलराया नायडू : आपके आदेश के बावजूद वह पढ़ रहे हैं। आपको उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri George Feranandes . This is a Government document.

सभापति महोदय : आपको अध्यक्ष का आदेश स्वीकार करना चाहिये था। यह आपका कर्तव्य था।

श्री एस० कन्डप्पन : हमारे देश में यदि कानून सबके लिए समान नहीं है तो हमारे संविधान में कोई अच्छाई नहीं है। 22 वर्षों बाद भूतपूर्व शासक स्वयं कुछ अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भूत पूर्व शासक हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे धनवान हैं और उनका सम्बन्ध शाही परिवारों से है। यह बात नहीं है। हम उनके विशेषाधिकारों को लोकतन्त्रीय संविधान के अनुरूप नहीं समझते। भूतपूर्व शासक भी अन्य लोगों के समान हैं। संविधान के अन्तर्गत हमारे सभी नागरिक चाहे वे कांग्रेस सदस्य हों या भूतपूर्व शासक हों, समान हैं ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस विधेयक का नये शासकों के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस विधेयक का सम्बम्ध उन शासकों से हैं जो निजी थैलियां प्राप्त करते हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : हाल ही में हमने भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियां और विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा की थी। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री चेंगलराया नायडू : मैंने सुना है कि आपने मुझे बाहर जाने का आदेश दिया है। यह ठीक नहीं है। इसे कार्यवाही वृतांत में से निकालने का कष्ट करें।

सभापति महोदय : मैंने आपको और उनको भी बाहर जाने के लिए कहा है जो सदस्य धैर्यवान नहीं हैं। उनके लिए कुछ देर के लिए बाहर जाना ही अच्छा है। वे थोड़ी देर के बाद वापस आ सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री एस० कण्डप्पन : श्रीमान्! इस विधेयक में निहित प्रस्ताव बहुत सामान्य हैं और मेरे विचार से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की इस धारा के निकालने पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पहिले भी सरकार ने यह वायदा किया था कि भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जायगा। उनका न्यायालयों में हाजिर न होने का विशेषाधिकार निजी थैलियों के विशेषाधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है।

हम इन विशेषाधिकारों के विरुद्ध हैं क्योंकि ये विशेषाधिकार लोक तन्त्रीय भावना और संविधान के अनुरूप नहीं हैं। अतः क्या सरकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता से इस प्रकार के भेद भाव को स्वीकार कर सकती है। क्या देश में कानून में इस बात को जारी रहने दिया जा सकता है।

यदि सरकार देश में बनने वाले कुछ नये वर्गों को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से संरक्षण देना चाहती है तो उसकी भी निन्दा की जानी चाहिये।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्री फरनेन्डीज द्वारा उठाई गई बात की विस्तृत रूप से जांच करें और उससे आपको पता चलेगा कि जिस आदेश के अन्तर्गत आपने वाक्यों को

निकालने के लिए कहा है वह आदेश समुचित नियमों के अधीन नहीं है। मुझे आशा है कि आप इन वाक्यों को कार्य वाही वृतांत में रहने देंगे।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यदि सरकार इस मामले में अपने ईरादों में ईमानदार है, तो उसे इन बातों को तत्काल समाप्त कर देना चाहिये।

सरकार देश को यह दिखा सकती है कि वह दम्भी नहीं है और उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं, मेरे विचार से इस विधेयक को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है। यह हो सकता है कि संविधान में अन्य सम्बन्धित उपबन्धों के कारण कुछ कठिनाईयां आवें। फिर भी यदि सरकार वचन देने को तैयार है तो हम संतुष्ट हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want to give a personal explanatian. It may be that some of my utterings might have offended you. I am sorry for that. I was rather more pained when I heared that.

Mr. Chairman : I would again request you that you should not talk in this way. Whatever you have said now will not go on record.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Reddy in his Bill seeks to abolish the privileges of ex-rulers. But may I ask him whether only the ex-rulers have got these privileges. Have not the Legislators and officers got these privileges ? Moreover, can no Government go back on its promise ? Therefore, while considering Shri Reddi's Bill, Government should pay attention to other privileges also which shoued be abolished. He said that these documents are stolen. In case my hon. friend wants to do election propaganda through this discussion, it does not behave him.

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : श्रीमान, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। माननीय सदस्य चोरी का दस्तावेज कह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दस्तावेज में क्या है एव यह जाली दस्तावेज है अथवा सही दस्तावेज है। आप इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

Shri Abdul Ghani Dar : I have not said that the document is false or true. I have said that if a member says that he has brought the document by stealing it and he wants to present it with the intension of insulting somebody, chair should never permit it.

Shri George Fernandes : It is irresponsible talk. We can bring the document from anywhere we like.

Shri Abdul Ghani Dar : The point at present is that the privileges enjoyed by the ex-rulers should be abolished. Where is the question of new rules at present ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : पहले लोक सभा में भी श्री म० ला० द्विवेदी इस प्रकार का विधेयक लाये थे।

हम इस विधेयक के सिद्धान्त और भावना से सहमत है। मैं धारा 87–बी की वैधता के बारे में जिसे श्री नारायण रेड्डी निकलवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था :

"समानता के मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए यह कुछ अजीब सा लगता है कि धारा 87–बी हमेंशा कायम रहे। सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या 26 जनवरी, 1950 के बाद के कार्यों के लिये यह संरक्षक जारी रहे अथवा नहीं। समय के साथ साथ ऐतिहासिक आधारों को मान्यता, जिन पर धारा 87-बी आधारित है, समाप्त हो जायेगा और व्यवहार प्रक्रिया संहित में इस धारा के जारी रहने पर बाद में गंभीर आपत्ति उठाई जा सकती है।"

सरकार इस विचार से सहमत है। जिस दिन हम श्री रवि राय के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे थे तो गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि उन विशेषाधिकारों सहित, जिनको समाप्त करने के लिये यह विधेयक लाया गया है, ये समस्त विधेयक समाप्त कर दिये जायेंगे। सरकार ने सिद्धान्त रूप में इन विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। इस विशेष अधिकार के बारे में, जिसे माननीय सदस्य विशेषाधिकारों में से हटाना चाहते हैं, हम हम पहिले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम इस विशेषाधिकार को वापस ले रहे हैं और जब सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में कानून में संशोधन हो जायेगा, तो यह विशेषाधिकार भी समाप्त हो जायेगा। हम इसको एक सुनियोजित योजना के अंग के सूत्र में करना चाहते हैं। विचार विमर्श का दौर चल रहा है। यह इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा। यह जल्द बाजी में नहीं किया जा सकता। परन्तु विशेषाधिकारों समाप्त करने का निर्णय कर लिया गया है। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपने विधेयक को वापस ले लें क्यों कि सरकार इस मामले पर स्वयं कार्यवाही करने जा रही है।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : सरकार इन शासकों को इन विशेषाधिकारों से कब तक वंचित कर देगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : गृह मंत्री पहिले ही बता चुके हैं कि विचार विमर्श की प्रक्रिया के इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, शासकों को स्वयं इस विशेषाधिकार के संमाप्त किये जाने और व्यवहार प्रक्रिया संहिता से इस धारा को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को इस को निजी थैलियों के मामले से नहीं जोड़ना चाहिये।

दूसरे, व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संशोधन विचाराधीन है और इसको संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है और यह शीघ्र ही सभा के समक्ष आने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस मामले को भी इस समिति के विचार के लिये शामिल किया जायेगा। इसके लिये केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन की आवश्यकता है जब

कि निजी थैलियों के मामले में संविधान में संशोधन करना होगा। यदि इस मामले को व्यवहार प्रक्रिया सहिता सम्बन्धी संयुक्त समिति को, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता में काफी संशोधन करने वाले एक विधेयक का प्रारूप तैयार कर रही है, निर्देशित कर दिया गया तो यह एक व्यापक विधेयक होगा और इससे सब सदस्यों को संतुष्टि हो जायेगी, यदि मुझे माननीय मंत्री यह आश्वासन दें, तो मैं अपना विधेयक वापस लेने के लिये तैयार हूँ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहिले ही बता चुका हुँ कि जब ये विशेषाधिकार समाप्त हो जायेंगे तो यह विशेषाधिकार भी समाप्त हो जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं कह चुके हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन किये बिना इस विशेषाधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। और यह निर्णय समूचे रूप में किया जाना है। इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जायेगा। उस समय यह सरकार द्वारा लाया जायेगा। मैं कोई अवधि नहीं बता सकता। इस मामले पर खण्डशः कार्रवाई नहीं की जायेगी। अपितु बातचीत की समाप्ति पर एक साथ कार्यवाही की जाएगी। हम सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव से सहमत हैं और यथा समय इस बारे में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री एम० नारायण रेड्डी : उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इसलिए मैं सदन से अपने विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय . क्या सदन विधेयक को वापिस लेने की अनुमति देता है।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री बि० अ० मंडल (माधोपुरा) : नहीं।

सभापति महोदय : प्रस्तावक को विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री बि० अ० मंडल : नियम 339 (2) के अधीन यदि एक भी सदस्य विरोध करता है तो सभापीठ को मत लेना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मंडल बिहार के मुख्य मन्त्री रहे है। मन्त्री महोदय के आश्वासन के बाद व्यवहारिक रूप से किसी को कोई आपति नहीं और आपने बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लिया।

सभापति महोदय : मैं इसे पुनर्विचारार्थ रखता हूँ।

श्री एस० कन्डप्पन : आपके निर्णय के पश्चात् मामले को दुबारा नहीं लेना चाहिए।

श्री दत्ता त्रय कुन्टे (कोलाबा) : सदन की अनुमति पूर्ण होनी चाहिए। यदि एक भी सदस्य मतदान की मांग करता है तो मतदान लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"श्री एम. एन रेड्डी को अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Bill was, by leave withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 4, 80 आदि का संशोधन)

(Amendment of Articles 4, 80 etc.)

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have prepared the following amendments in the Indian Constitution.

First, I want to substitute the words, "and the Fourth Schedule" with these words, in Article 80 clause (1).

"(b) for representatives of each of the States and of the Union territories. "

Then I want to remove sub-clause (2) from article 80. My third amendment is that Fourth Schedule be removed from the Constitution.

The purpose of my amendments will be clearly understood if you read Article 80 (1) B Clause 80 (1) B contains :

"(b) not more than two hundred and thirty eight representatives of the States and of the Union territories. "

I want to substitute it with the following ;

"four representatives of each of the States and of the Union territories. "

Then there would be no necessity for Article 80 sub-clause (2) and also Fourth Schedule.

My amendments ought to be viewed from three view points. What was the reason that equal representation was not allowed to every State at the time when Constitution Assembly was formed. Secondly, Second Chambers in other countries of the world give equal representation to States. We passed a bill for the abolition of second chamber in Bengal and are likely to take up abolition

of Punjab legislative council shortly. Equal represnetation in the upper house, as prepared by me, would establish equality of States and it is essential for removing extravagent expenditure which today is incurred in the Upper House.

It is revealed from the study of the proceedings of the Constitution Assembly that two representatives advocated for equal representation as is apparent from the statement of Prof K. T. Shah of 3rd Jan, 1949. He stressed that Rajya Sabha should have give representation from each States. Shri Lok Nath Mishra pleaded that there should be three representatives for every State in the Council of States. In short both of them wanted the status of the Rajya Sabha to be on the basis of equality for all the States.

Ultimately the question of representation was settled on the basis of the report of the Union Committee, presented by Shri T. T. Krishnamachari. By that time the Native States had merged into the Union territory but the constitution makers had in their mind that the re-organisation of States was still to be completed.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को अगले अवसर पर जारी रखें। अब आध घण्टे की चर्चा की जाती है।

* जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

Export of Iron-ore to Japan

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाडा) मंत्री महोदय ने अपने 30 जुलाई के वक्तव्य में लौह अयस्क का खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रयत्नों से किये गये निर्यात के बारे में सदन को गुमराह किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जापान के दृष्टिकोण को ही दुहराया है। मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने जापानियों ने यह कहा होगा कि वे देत्री और बरजमडा खानों को छुऐंगे भी नहीं।

1954 में दैत्री खानों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिये एक जापानी दल आया था। जापानी, खानों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने को तैयार थे। किन्तु भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार की प्रार्थना को ठुकरा दिया। भारतीय खान विभाग ने कहा है कि दैत्री में बढ़िया किस्म का अयस्क 61 से 62 प्रतिशत तक होगा। वहां का अयस्क संसार के किसी भी अयस्क का मुकाबिला कर सकता है। अतः उसकी किस्म के घटिया होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

बात दर असल यह है कि इन लोगों ने कभी कोई प्रयत्न ही नहीं किये। उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन 1968 में 1967 के उत्पादन का $\frac{1}{4}$ अधिक था। मैं जानना चाहता हूं कि उस वर्ष लौह अयस्क के निर्यात के लिये खान तथा धातु निगम ने क्या कार्यवाही की। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचे स्तर पर कोई षडयन्त्र है जो यह नहीं चाहता कि उड़ीसा की खानों के लोह अयस्क का निर्यात हो और पारादीप पत्तन का विकास हो। उड़ीसा सरकार

* आधे घण्टे की चर्चा
Half an Hour Discussion

दैत्री खानों और पारादीप पत्तन के विकास पर 35 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। पारादीप पत्तन के विकास के लिये यह आवश्यक है कि कुछ संचार व्यवस्था हो। हम इस बात पर बल देते रहे हैं कि तालचेर-बिमलागढ़ लाइन का यथा शीघ्र निर्माण किया जाये ताकि खरकेला का उत्पादन पारादीप पत्तन से जा सके। किन्तु खान तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि ने सम्मेलन में उसका विरोध किया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पारादीप पत्तन के रास्ते विशेष रूप से जापान को उड़ीसा की खानों से लोह अयस्क निर्यात करने के लिये कभी कोई प्रयत्न किये गये हैं? यदि नहीं तो निर्यात की तिथियां क्या हैं। दूसरे, माननीय मंत्री की शिकायत है कि बन्दरगाह तो खुली है किन्तु परिवहन लाइन विकसित नहीं हैं। यह सच नहीं हैं। अब सड़क खुल गई हैं और उसके रास्ते कितनी भी मात्रा में लोह अयस्क भेजा जा सकता हैं। यह कहना सही नहीं हैं कि परिवहन शुल्क अधिक होने के कारण जापानी इन्कार कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार परिवहन सम्बन्धी करों में उचित समायोजन करने के लिये सहमत हो गई थी। उसका कारण यह है कि कुछ निहित हित काम कर रहे हैं जो एक राज्य के विकास को रोक रहे हैं। जापान के वाणिज्यदूत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय अयस्क घटिया नहीं हैं। उनकी शिकायतें केवल प्रतिस्पर्धा मूल्यों और पत्तन सुविधाओं के सम्बन्ध में हैं।

यह स्पष्ट है कि सरकार ने इन खानों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है और पारादीप पत्तन का विकास करने का उसका कोई इरादा नहीं है। यदि पारादीप पत्तन को विकसित कर दिया जाये तो बिहार में प्रयोग होने वाला अयस्क भी बड़ी मात्रा में यहां से निर्यात किया जा सकता है।

श्री ए० श्री धरन (बडागरा) : हमारा देश समृद्ध है किन्तु इस सरकार की गलत नीतियों के कारण यह निर्धन बन गया है। मैसूर लोह अयस्क में भारी विक्षेप है किन्तु मंगलोर और मरमागोआ पत्तनों पर सुविधाओं की कमी होने के कारण उन्हें निर्यात नहीं किया जा सकता है, **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: इस समय पारादीप और उड़ीसा की बात चल रही है गोआ आदि की नहीं।

श्री ए० श्री धरन : क्या सरकार को, केरल राज्य में जापान को लोह अयस्क निर्यात करने की संभावनाओं के बारे में केरल सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : Since 1954 the Government of Orissa have been endeavouring to secure the entire quantity of iron ore to be exported to Japan. But it has become quite evident now that M.M T.C. which is a public undertaking has been conspiring to usurp the iron ore of Daitari. Orissa is a backward State and the Government have discriminatory attitude towards this State.

We are interested in the development of Vishakapatnam and it is a national problem. The State Government has invested Rs. 2.50 lakhs on the Orissa Port. Besides, there are two and a half lakh workers employed in the Daitari mines. If the iron ore is not exported to Japan all the amount spent by the State Government will become infructuous and the workers also will be rendered jobless. Not only this but the Paradeep Port will also be affected. The Government had decided to complete

the Cuttak Paradeep Railway line by 1970. But now they want to digress from their decision saying that the area from which the railway line is to be constructed is not suitable. May I say when an express high way has become a fait accomplie then the raliway line would also be constructed by the year 1970. I would like to quote a few lines from the letter of the Minister of Industries of Orissa sent to the Union Deputy Minister for Industries on the 20th June :

> 'It is a matter of common knowledge that development of Paradeep Port was conceived as one to deal with export of iron ore in the beginning and Daitari iron ore were to be exported: Japan had agreed to purchase Daitari ore after survey by their own team of the Tomka Daitari mines and inspection of the ore. Years have passed and now suddenly it is being said that due to inferior quality of Daitari ore, Japan is declining to accept it... M.M.T.C. had previous knowledge about the quality of Daitari from ore and are also aware of the fact that Paradeep Port will suffer if there is no export of this ore. The Express way is complete by now for transfer of the Daitari iron ore and the sudden refusal by Japanese to accept Daitari iron ore and MMTC raising no contention is quite intriguing."

In the circumstances, a feeling would be created in the minds of the people of Orissa that the State is not being given a fair treatment. It is necessary for the Government to take proper steps in this regard. I request the hon. Minister should look into the matter and find out the conspiracy woven by the MMTC which is not in favour of the export to be done to Japan. The State Government of Orissa should also be permitted to make negotiations with the Government of Japan as has been desired by the Government of Orissa.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर राज्य से जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता है । यद्यपि आस्ट्रेलिया के साथ हमारी भारी प्रतियोगिता है किन्तु सरकार ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे हम आस्ट्रेलिया के साथ प्रतियोगिता में सफल हो सकें । सरकार ने संचार व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं की है । कुछ मामलों में लौह अयस्क का पता लगाने के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण अवश्य हुये हैं किन्तु परियोजनाएं पूर्ण नहीं की गईं । सरकार की ढील के कारण हमारा निर्यात ज्यों का त्यों है किन्तु अन्य देशों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता जा रहा है । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूं कि सरकार लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने तथा जापान को अयस्क के निर्यात में अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता रखने के बारे में क्या उपाय कर रही है ।

श्री स० कुपदू (बालासोर) : ज्ञात हुआ है कि रूमानिया सरकार के साथ एस० एम० टी० सी० ने उन्हें 220 लाख टन लौह अयस्क भेजने का समझौता किया है । मैं जानना चाहता हूं कि रूमानिया को देत्री से कितना लौह अयस्क निर्यात किया जायेगा । एक समाचार यह भी है कि एम० एम० टी० सी० एक बिलेट बनाने का कारखाना स्थापित कर रही है । यद्यपि उड़सा में खनिज पदार्थों के पाये जाने की बहुत सम्भावनाएं हैं तथापि यह कारखाना वहां स्थापित नहीं किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय उड़ीसा में भी इस प्रकार का कारखाना स्थापित करेंगे क्योंकि यह राज्य पिछड़ा हुआ है ? तीसरे क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिये एक समन्वित योजना बनाई जानी चाहिए जिससे उड़ीसा तथा बिहार जैसे पिछड़े हो सके ।

श्री ब० रा० भगत : सभापति महोदय ! मैं सदन तथा माननीय सदस्यों को इस बात का पुन: आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उड़ीसा की देत्री तथा बरजमड़ा की खानों का विकास करने तथा वहां से लौह अवस्क का निर्यात करने के बारे में किसी प्रकार का कोई षड-यंत्र नहीं रचा गया है। पारादीप पत्तन के विकास के बारे में भी मुझे यातायात मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है।

यद्यपि वर्तमान प्रश्न से लौह अयस्क के निर्यात और विलेट कारखानों की स्थापना का समुचित सम्बन्ध नहीं है तथापि मेरा इस बारे में निवेदन है कि केरल में लौह अयस्क के विकास के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है। खानों का विकास करने के पहले विकसित खानों और क्षेत्रों से लौह अयस्क निकालने में प्रगति लाना आवश्यक है।

मैसूर के बेलरी-होस्पेट क्षेत्र से 250 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जा चुका है। यह क्षेत्र विकसित है तथा आगामी वर्षों में वहां से भी यथा सम्भव निर्यात किया जायेगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि गोली आदि बनाने के पेलेटाइजेशन प्लांट और कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में एम० एम० टी० सी० का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है अत: इस बारे में उड़ीसा की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एम० एम० डी० सी० का क्या प्रस्ताव है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं आती। सम्भव है माननीय खान मन्त्री को दूसरी सूचना हो।

यह सच है कि उड़ीसा अत्यन्त गरीब राज्यों में से है। क्षेत्रीय असंतुलन तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह भी सच है कि ऐसा अवसर नहीं आने दिया जाय जिसमें देश की जनता के दिलों में यह भावना पनपे कि उनकी उचित मांगों की अवहेलना की जा रही है। किन्तु यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि क्या वास्तव में इन खानों से प्राप्त लौह अयस्क का किसी भेद भाव के कारण निर्यात नहीं किया जारहा है। दूसरे, ऐसी भावना का उदय नहीं होने देना चाहिए। वस्तुत: जनता में भावनाओं का सूत्रपात माननीय सदस्यों द्वारा, संसद द्वारा तथा नेताओं के द्वारा किया जाता है। अत: यह हम सभी का कर्त्तव्य है कि हम इस प्रकार की अहितकर भावनाएं जनता में न उकसायें।

जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला तो मुझ से इस प्रकार के प्रश्न किये तथा एम० एम० टी० सी० के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाये गये कि वे यहां के लौह अयस्क के निर्यात के बारे में कोई रुचि नही रखते। मैं निगम के अध्यक्ष से मिला तथा लौह अयस्क के निर्यात न किये जाने के सम्बन्ध में जांच की। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि यह लौह अयस्क घटिया किस्म का नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यगत सम्बन्धों के बारे में अन्य प्रकार की कठिनाइयां भी होती हैं, अन्य कई कारण भी होते हैं जिनका इस बारे में पर्याप्त महत्त्व होता है। मेरा यह भी निवेदन है कि गत 6 वर्षों के अन्तर्गत बहुत से तकनीकी उतार चढ़ाव भी आये हैं।

पारादीप पत्तन का उपयोग 1967 में प्रारम्भ हुआ। विचार था कि देत्री खान भी 1965 तक सम्पन्न हो जाएगी किन्तु वास्तव में हुई वह इस वर्ष में उसमें कार्य आरम्भ

हो गया है किन्तु उसमें पूर्ण यांत्रिकता इस वर्ष से प्रारम्भ होगी । पत्तन अवश्य सम्पन्न हो गया था किन्तु उससे जाने वाला अयस्क तैयार नहीं था । देतारी खान में कार्य आरम्भ होने पर इस पत्तन पर माल की कोई कमी नहीं रहेगी । पारादीप योजना कार्यक्रम इस प्रकार है ।

1969 में 150 लाख टन, 1970-71 में 260 लाख टन; 1971-72 में 360 लाख टन; 1972-73 में 360 लाख टन तथा 1973-74 में 380 लाख टन ।

मुझे यह तो ज्ञात नहीं है कि देतारी की पूर्ण क्षमता ली गई है अथवा नहीं किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उससे पत्तन पर माल की कोई कमी नहीं होगी । यातायात मंत्री महोदय से भी यह प्रश्न एक बार रखा गया था कि हल्दिया पत्तन का विकास तो किया जा रहा है किन्तु पारादीप पत्तन की उपेक्षा क्यों की जा रही है । उन्होंने उत्तर दिया था कि वह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उसकी अपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सामान्य माल की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी सरकार ने ध्यान दिया है । इस कार्य का अनुमानतः 2·29 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । किन्तु इस बजट में इस व्यवस्था को पूरा करना कठिन है और सरकार आगामी बजट में इस कार्य को हाथ में लेगी ।

यह सोचना एक दम भ्रामक है कि किसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । यह कहना भी उतना ही गलत है कि जापान की इस कार्य में रुचि थी अथवा उससे किसी प्रकार की आर्थिक या तकनीकी सहायता या सहयोग प्राप्त किया गया था । जापानी दल 1963 में भारत सरकार के निमंत्रण पर ही आया था तथा उसने अपने प्रतिवेदन में किसी प्रकार का वायदा नहीं किया था । जापान से केवल ड्रेजर मंगाये गये थे । शेष सहायता, तकनीकी या अन्य अमरीका या इंगलैंड से प्राप्त की गई थी । अतः इस मामले में जापान का वित्तीय सहायता आदि में कोई हाथ नहीं था और न ही उसने कभी किसी प्रकार का वायदा किया था ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि पहला प्रारम्भिक सर्वेक्षण जापानियों द्वारा किया गया था । पहला सर्वेक्षण 1954 में हुआ तथा जापानियों ने बताया कि लग भग 499.90 लाख टन लौह आयस्क देतारी खानों से निकाला जा सकता है । यह कहना सच नहीं है कि 1963 मे कुछ नहीं किया गया था ।

श्री ब. रा. भगत : जापानी दल भारत के अनुरोध पर आया था । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार का वायदा नहीं किया था । उन्होंने न अयस्क खरीदने का वायदा किया था और न वित्तीय सहायता की बात कही थी । यदि 1969 की बजाय 1965 में ही खान से अयस्क निकालने का कार्य आरम्भ हो गया होता तो स्थिति दूसरी होती । अब चूंकि जापान ने अन्य सूत्रों से अपनी मांग पूरी कर ली है, उन्हें सायबेरिया, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों से माल मिल रहा है, अतः उनकी रुचि में अब परिवर्तन आ गया है । अब जापान सरकार का कहना है कि वे केवल बैलाडीला से अयस्क ले सकते हैं । यद्यपि एम० एम० टी० सी० के अध्यक्ष ने यथा सम्भव प्रयत्न किया कि जापान देतारी के लौह अयस्क को स्वीकार करे किन्तु जापान इस बात से सहमत नहीं हुआ ।

अब उड़ीसा के मुख्य मंत्री भी इस बात से सहमत हो गये हैं कि जापान से अब यह आग्रह करना व्यर्थ है । उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह राष्ट्रीय सम्पत्ति बिना उपयोग के पडी है अत: हमें इसके लिये कोई और रास्ता खोजना चाहिये ।

मैं प्रसन्नता पूर्वक सदन में यह घोषणा करता हूं कि अब रुमानिया से होने वाले व्यापार से देतारी के लौह अयस्क सम्बन्धी समस्या बहुत दूर तक हल हो जायेगी । एम० एम० टी० सी० के अध्यक्ष ने इस बारे में रुमानिया से बात चीत की है । इस व्यापार के तहत वर्ष 1970 में देतारी से 14 लाख टन लोह अयस्क का रुमानिया को निर्यात किया जायेगा जिसमें से 8 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात तो पक्का है व शेष व्यापार योजना के अनुसार पूरा किया जायेगा । जैसा कि मैंने निवेदन किया है प्रति वर्ष 8 लाख टन अयस्क का निर्यात तो निश्चित है । इसके अतिरिक्त 1970 में 14 लाख टन की योजना है, 1971 में 17 लाख टन की योजना है तथा 1978 से 25 लाख टन की योजना है । इस प्रकार हम देखते हैं कि देतारी लौह अयस्क की 70 प्रतिशत मात्रा की व्यवस्था तो लगभग हो चुकी है ।

मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि वह एम० एम० टी० सी० के अध्यक्ष पर तथा मुझ पर भरोसा रखें । मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि हम हर सम्भव प्रयत्न करके उड़ीसा या अन्य राज्यों की खानों का पूर्ण विकास करेंगे । किसी भी माननीय सदस्य को यह धारणा रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी राज्य के प्रति किसी प्रकार का कोई षड यंत्र रचा जा रहा है । एम. एम. टी. सी. के अध्यक्ष अपनी पूरी शक्ति से इस कार्य को विकसित करने में लगे हैं अत: उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाना अनुचित होगा ।

श्री क. लकप्पा : माननीय मंत्री ने यह बात स्पष्ट नहीं की कि जापानी बाजार हमारे हाथों से छिनता जा रहा है तथा आस्ट्रेलिया की वहां प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है ।

श्री ब. रा. भगत : मैंने जान-बूझ कर इस बात को नहीं उठाया । माननीय सदस्य स्वयं ही इस बात को कह चुके हैं कि आस्ट्रेलिया के पत्तनों पर अनेक तकनीकी, यांत्रिक तथा संयंत्र सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं । हमारे देश में अभी उतनी सुविधाएं नहीं है । और इससे हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है । फिर भी हमारा निर्यात गिरा नहीं है । हमारी स्थिति में सुधार आता जा रहा है तथा हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वही सुविधाएं हमारे यहां भी उपलब्ध हो सकें ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 अगस्त 1969/20 श्रावण 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha Then Adjourned Till Eleven of the Clock on Monday the 11th August, 1969/20 Sravana, 1891 (Saka).

मुद्रक:– डाइमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3